राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

मूल्य : ₹15/-

उभरता बिहार

वर्ष : 15, अंक : 9, मार्च 2023

सच्चाई, ऊर्जा, सकारात्मक विचार

जहां श्रीकृष्ण के सात वर्ष की अवस्था के ठाकुर की होती है पूजा

सरकारी अधिवक्ता वीणा जायसवाल ने की छठ पूजा

ENVISION MEDICAL
IMAGING & SCAN CENTRE

(A UNIT OF ENVISION MEDICAL IMAGING & SCAN CENTRE PVT. LTD)

C-14 BEHIND V-MART, KANKARBAGH AUTO STAND, KANKARBAGH, PATNA - 800 020

MOBILE : 9155998970, 9155998971, E-mail : envisionimagingpatna@gmail.com

उभरता बिहार

वर्ष : 15, अंक : 9, मार्च 2023

RNI No. BIHHIN/2007/22741

संपादक

राजीव रंजन

छायाकार

विनोद राज

विधि सलाहकार

उपेन्द्र प्रसाद

चंद्र नारायण जायसवाल

साज-सज्जा

मयंक शर्मा

प्रशासनिक कार्यालय
सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर
कंकड़बाग, पटना - 800020
फोन : 7004721818

Email : ubhartabihar@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक रांजीव रंजन द्वारा कृत्या पब्लिकेशन, लंगरटोली, बिहार से मुद्रित एवं सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना - 800020 से प्रकाशित।
संपादकः राजीव रंजन

सभी कानूनी विवाद पटना न्यायिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निपटाये जायेंगे। लेखकों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने है। इसकी जिम्मेदारी उनकी है एवं इसके लिये संपादक, प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नही है। सामग्री की वापसी की जिम्मेवारी उभरता बिहार की नहीं होगी। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वोधिकार सुरक्षित है। कुछ छाया चित्र और लेख इंटरनेट, एजेंसी एवं पत्र-पत्रिकाओं से साभार। उपरोक्त सभी पद अस्थायी एवं अवैतनिक है। किसी भी आलेख पर आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर खंडन करें।

नोट : किसी भी रिपोर्टर द्वारा अनैतिक ढंग से लेन-देन के जिम्मेवार वे स्वयं होंगे।

संरक्षक

डॉ. संतोष कुमार — अखिलेश कुमार जायसवाल

राजा बाबू — डॉ. राकेश कुमार

सरकारी अधिवक्ता वीणा जायसवाल ने की छठ पूजा वीणा जायसवाल ने की छठ पूजा 09

बीमारी की वजह बनी बर्फ, जांच में 95% 17

शिक्षा का स्तर गिरने में राजनीति है जिम्मेवार! 22

भारत की धमक ऑस्कर तक पहुंची

भले लोग सहमत नहीं हों, लेकिन वीर भोग्या वसुंधरा वाला सूत्र सिनेमा में भी फिट बैठता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सिनेमा अपने मैक्रो रूप में एक सफल उद्योग है और उसकी अपनी रीति—नीति है। अवार्ड समारोह, फिल्मोत्सव, प्रचार—दुष्प्रचार आदि इस नीति के टूल हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित अकादमी अवार्ड, जिसे आम भाषा में ऑस्कर कहा जाता है, वह भी इस नीति से अछूता नहीं है। अमेरिकी वर्चस्व के अभियान में इसने भी सॉफ्ट वीपन के रूप में अपना योगदान दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

भारत में ऑस्कर इस बार विशेष रूप से चर्चा में है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय फिल्म के गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला है। पहली बार मिला है, इसका यह अर्थ भी हुआ कि अकादमी अवार्ड के 95 वर्षों के इतिहास में इससे पहले एक भी भारतीय गाना ऐसा नहीं था, जिसे पुरस्कार मिलने लायक समझा गया! आश्चर्य। गाने के अलावा कोई फिल्म भी नहीं। 'मदर इंडिया' में क्या खराबी थी? यही कि ऑस्कर के आकाओं को फिल्म समझ नहीं आई। यही कि एक भारतीय विधवा ने लाला के ऑफर क्यों ठुकरा दिया, यह भारतीय मूल्य उनके गले नहीं उतरा। आज ऑस्कर मिलने पर हम इतरा रहे हैं। इतराना भी चाहिए। लेकिन, मेरी दृष्टि में इसका एक और पक्ष है। इसको ऐसे समझिए।

ऑस्कर विजेता गाना 'नाटु—नाटु' मूलतः हाई ऑक्टेन नोट पर रचा गया एक मसाला गाना है। ऐसे गाने रचने में दक्षिण के संगीतकार दक्ष हैं और उन्होंने दर्जनों ऐसे गाने रचे हैं। आरआरआर चुकी कालजयी फिल्म है, इसलिए गाने की चर्चा हुई। वरना, ऑस्कर की सूची में नामांकित होने के पहले कहां यह गाना यूथ एंथम बन गया था? इससे अधिक चर्चा तो पुष्पा के गाने 'ऊअंतावा' का हुआ। यहां स्पष्ट कर देना चाहिए कि 'नाटु—नाटु' के पुरस्कार मिलने पर किसी को आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बल्कि, आपत्ति इस बात पर है कि 'नाटु—नाटु' के मुकाबले कई भारतीय गाने हैं, जो अति लोकप्रिय हैं और कालजयी भी। फिर उन्हें आजतक ऑस्कर वालों द्वारा क्यों नजरअंदाज किया गया? प्रश्न तो बनता है, क्योंकि ऑस्कर एक पॉपुलर जलसा है, जहां सिनेमाई उत्कृष्टता से अधिक व्यवसाय—विपणन का गणित काम करता है।

राजीव रंजन
संपादक

ठीक है लोकप्रियता के अलावा गुणवत्ता भी कोई चीज होती है। यही न। ...तो सी. रामचंद्र, सचिन, पंचम, खय्याम, नौशाद, नैयर की गुणवत्ता पर ऑस्कर वालों को संदेह था क्या? अब तक क्यों नहीं आया ऑस्कर? उल्टे देखा गया है कि गानों से सुसज्जित भारतीय फिल्मों को म्यूजिकल स्पूफ कहकर पश्चिम द्वारा तंज कसा जाता था। क्यों? क्योंकि तब भारत कमजोर था। गेहूं के लिए हाथ फैलाने वाला भारत। आज स्थिति अलग है, क्योंकि आज भारत सामर्थ्यवान है। इतना कि कोरोना काल में संकट में फंसे अमेरिका तक को दवा भेज दी। इतना सामर्थ्यवान कि यूरोप के कई विकसित देशों के सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। इतना सामर्थ्यवान कि रूस—यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका भी मान रहा है कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए, अब इतने सामर्थ्यवान भारत को कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी मिले या न मिले, लेकिन भारत पर पूर्व की भांति अब तंज कसना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑस्कर वालों को यह बात पता है। भारत में क्रिकेट कूटनीति लोकप्रिय है, उसी तरह अमेरिका में सिने कूटनीति। जो लोग इस के गूढ़ार्थ को समझते हैं, उन्हें पता है कि ऑस्कर समारोह में होने वाले प्रदर्शन, मजाक, ईनाम कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग होते हैं। क्रिएटिविटी, टैलेंट, आर्ट ये सब मंच पर दिखाने के लिए... हाथी की दांत की तरह। पर्दे के पीछे केवल प्रताप काम करता है। 21वीं सदी में भारत तेजी से बढ़ रहा है। याद कीजिए, कुछ वर्ष के अंदर भारत में विश्व सुंदरियों की लाइन लग गई थी। फिर सूखा पड़ गया। क्यों? सोचिए। हो सकता है कि आने वाले अगले कुछ सालों में भारत को ताबड़तोड़ ऑस्कर थमा दिए जाएं। बेस्ट फिल्म कैटगरी वाला भी।

जिन्हें नहीं पता हो वे जान जाएं कि वैसे भी ऑस्कर एक पॉपुलर अवार्ड कैटगरी है, जो पूरी तरह बाजार सापेक्ष है। जगजाहिर है कि ऑस्कर मिले फिल्मों को अमेरिका—इंग्लैंड में दोबारा रिलीज कर पैसे बनाए जाते हैं। तीन वर्ष पहले ऑस्कर के 92 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी गैर अंग्रेजी फिल्म 'पैरासाइट' (कोरियन) को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इनाम मिला। यानी अंग्रेजी से बाहर देखने में ऑस्कर को पूरे 92 साल लग गए। इन 92 सालों में गद्दार, त्रुफो, रोसेलिनी, फेलानी, डि सिका, बर्गमैन, रे, कुरोसावा, टार, माजिदी, घटक, दत्त, अडूर, बेनेगल, घोष, रत्नम... इन महान फिल्मकारों में से किसी की भी फिल्म बेस्ट नहीं थी? क्यों? केवल इसलिए कि ये लोग अंग्रेजी भाषा में फिल्में नहीं बनाते थे। वाकई। इनके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज कैटगरी का लेमनचूस थमा दिया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, इस बार के ऑस्कर पुरस्कारों में मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को सर्वश्रेष्ठ अदाकारा का ट्रॉफी मिला। इस तरह वे यह पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला बनीं। फिर वही सवाल कि इतने सालों में एशिया से कोई प्रतिभाशाली कलाकार ऑस्कर वालों को नहीं मिला। यानी क्षेत्रीय व भाषाई नस्लवाद की कुंठा में डूबे लोग आज विश्व के मानक स्थापित करने लगे हैं। जब आंख में थोड़ी सी लाज बची तो कोलकाता आकर रे साहब को ट्रॉफी पकड़ा दी। उससे पहले अकादमी अवार्ड वालों ने रे की फिल्में नहीं देखी थीं क्या?

जहां श्रीकृष्ण के सात वर्ष की अवस्था के ठाकुर की होती है पूजा

सुरेश गांधी

नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में श्यामवर्णी भगवान श्रीकृष्ण की किशोरावस्था की नृत्य मुद्रा के अलौकिक दर्शनों के लिए देश - दुनिया के हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रीनाथजी के इस सात वर्ष की अवस्था को विनय ठाकुर के नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ जी की मंदिर को ठाकुर जी की हवेली भी कहा जाता है। मान्यता है कि मंदिर में विराजमान किशोरावस्था की मूर्ति स्वयंभू है और भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला को दशार्ती है। वैसे तो यहां हर दिन हर पल रौनक रहती है, लेकिन जन्माष्टमी की रौनक देखने योग्य होती है। यहां का पूरा वातावरण ब्रज जैसा दिखता है और मध्य रात्रि में अनूठे अंदाज में ठाकुरजी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस परंपरा को निभाने के लिए मंदिर समिति एवं गार्ड को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। खास यह है कि सत्यचित्त आनंद स्वरूप प्रभु श्रीनाथजी का वर्ण श्याम है. गिरिराजजी के समान ही उनमें रक्त आभा है. उध्वभुजा गिरिराज गोवर्धन के भाव से है. जहां प्रभु खड़े हैं, वहां की पीठिका गोल तथा उपर चैकोर है. पीठिका में उध्वभुजा की तरफ दो मुनि हैं. नीचे एक सर्प, नृसिंह, दो मयूर हैं. दूसरी तरफ उपर एक मुनि, मेष, सर्प तथा दो गाय है. श्री मस्तक पर पीठिका में फल लिए हुए एक शुक (तोता) है।

फिरहाल, भारत में वैष्णो देवी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर, सबरीमाला मंदिर, शिरडी साईं बाबा, हरिद्वार, कमरुकामख्या सहित ऐसे कई धार्मिक

> मान्यता है कि मंदिर में विराजमान किशोरावस्था की मूर्ति स्वयंभू है और भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला को दशार्ती है। वैसे तो यहां हर दिन हर पल रौनक रहती है, लेकिन जन्माष्टमी की रौनक देखने योग्य होती है। यहां का पूरा वातावरण ब्रज जैसा दिखता है और मध्य रात्रि में अनूठे अंदाज में ठाकुरजी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस परंपरा को निभाने के लिए मंदिर समिति एवं गार्ड को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

स्थल हैं, जो प्रकृति की सुंदरता से घिरे हुए हैं और उन्हीं में से एक है राजस्थान के उदयपुर से 50 किमी दूर पूर्वी छोर पर स्थित नाथद्वारा नगर के श्रीनाथजी मंदिर, जहां जिंदगी में एक बार तो आपको जरूर जाना चाहिए. सोलह कलाओं से परिपूर्ण इस तीर्थ स्थल की महत्ता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, जहां भारत के कोने-कोने से ही नहीं, बल्कि साम समुंदर पार विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आना होता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र इसलिए है क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा सात साल के बालक के रूप में होती है। मंदिर में श्यामवर्णी भगवान श्रीकृष्ण की स्यवंभू मूर्ति किशोरावस्था की नृत्य मुद्रा में है, जो उनकी गोवर्धन लीला को दशार्ती है।

कहते है श्रीनाथजी वैष्णव संप्रदाय के केंद्रीय पीठासीन देव हैं, जिन्हें पुष्टीमार्ग (कृपा का मार्ग) या वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित वल्लभ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि जब औरंगजेब श्रीनाथजी की मूर्ति को खंडित करने मंदिर में आया था तो मंदिर में पहुंचते ही अंधा हो गया था, तब उसने अपनी दाढी से मंदिर की सीढ़ियां साफ करते हुए श्रीनाथ जी से विनती की और वह ठीक हो गया। उसके बाद औरंगजेब ने बेशकीमती हीरा मंदिर को भेंट किया, जिसे हम आज भी श्रीनाथजी के दाढ़ी में लगा देख सकते हैं। मान्यता है कि श्रीनाथजी भगवान श्रीकृष्ण के अवतार है और उनके जन्माष्टमी पर्व को देश-दुनिया से इतर बिलकुल अनोखे अंदाज में मनाते है। इस दिन मंदिर में विराजमान ठाकुरजी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके लिए विधिवत सुरक्षा व्यवस्था भी की जाती है. मंदिर से जब बाल गोपाल के जन्म की सूचना मिलती है तो फिर शुरू होती है तोपों की सलामी, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं. इस अनोखे ढंग से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की यह परंपरा 400 सालों से भी अधिक समय से कृष्ण भक्त चला रहे है। इस दिन इन तोपों से गोलों को उसी परम्परा और विधि से दागा जाता है जैसा सालों पहले इनसे दागा जाता था। इन तोपों से गोले भगवान श्रीनाथ जी के गार्ड ही दागते हैं और इसके लिए मंदिर समिति द्वारा खासतौर से प्रशिक्षण दिया जाता है। जिन दो तोपों से सलामी दी जाती है उन्हें नर और मादा तोप कहते हैं.

अनूठा है श्रीनाथजी की जन्माष्टमी

भगवान श्रीकृष्ण को भक्त प्रेम और मित्रता की मिसाल मानते हैं. प्रभु के जन्म उत्सव का आनंद लेने के लिए देशभर से भक्त यहां पहुंचते हैं. यहां का माहौल ब्रज जैसा दिखाई देता है. श्रीनाथजी मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव सबसे अलग होता है. जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीनाथ जी को पंचामृत और चंदन से स्नान कराया जाता है. फिर उनका वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार होता है. भजन-कीर्तन किए जाते हैं. महाभोग, पंजीरी के बड़े लड्डुओं के भोग लगाए जाते हैं. रात्रि के समय में जब भगवान श्रीकृष्ण का जन्म होता है तो घंटे और बिगुल बजाए जाते हैं. जैसे ही बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों को श्रीनाथजी के जन्म का संकेत मिलता है. वे श्रीनाथजी को 21 तोपों की सलामी देते हैं. इसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठती है. नगर के सभी घरों में भी श्रीनाथजी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है. जन्माष्टमी के अगले दिन सुबह श्रीनाथजी की हवेली में विधिपूर्वक नंद महोत्सव मनाया जाता है. इसमें लोग दूध और दही से होली खेलते हैं और भगवान श्रीनाथजी की भक्ति में डूब जाते हैं. आस-पास के गांव में कान्हा के जन्म को लेकर खुशियां मनाई जाती है और मिठाईयां बांटी जाती है। नगर का नजारा ब्रजमय नजर आता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथों पर उठाए दिखाई देते है और दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए तीन प्रवेशद्वार बनाए गए है। एक प्रवेशद्वार केवल महिलाओ के लिए बनाया गया है जिसे सूरजपोल कहते है। माना जाता है कि मेवाड़ के राजा इस मंदिर में मौजूद मूर्तियों को गोवर्धन की पहाड़ियों से औरंगजेब से बचाकर लाए थे। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का पर्वत शिला पर अंकित यह वही वास्तविक स्वरूप है जिसे उन्होंने द्वापर युग में वृंदावन वासियों की देवराज इंद्र से रक्षा के लिए धारण किया था। बाल कृष्ण ने गोकुल वासियों को देवराज इंद्र के डर से उनकी पूजा करने की बजाय गौ माता तथा अपने मान्य देव की पूजा करने की प्रेरणा दी।

पौराणिक मान्यताएं

कथानुसार, भगवान इंद्र के क्रुद्ध होने से पूरे वृंदावन सहित पूरे गोकूल में तेज बारिश होने लगी। इससे पूरा क्षेत्र जलमग्न होने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसके नीचे सभी गोकुल वासियों ने शरण प्राप्त की। उस समय तेज वश भगवान श्री कृष्ण की आकृति की छाप गोवर्धन पर्वत की शिला पर अंकित हो गई। सहस्त्रों वर्ष बीतने के बाद समय रहते वह शिला खंडित हो गई तथा मध्य युग के भक्तिकाल में पहले प्रभु की बाजू तथा चेहरा सदृश्य हुआ। फिर गोकुल में रहते कई-कई दिनों तक अपनी भक्ति में लीन रहने वाले स्वामी वल्लभाचार्य की श्रद्धा देख प्रभु ने अपनी खंडित छवि सम्पूर्ण

> **“ भगवान श्रीकृष्ण को भक्त प्रेम और मित्रता की मिसाल मानते हैं. प्रभु के जन्म उत्सव का आनंद लेने के लिए देशभर से भक्त यहां पहुंचते हैं. यहां का माहौल ब्रज जैसा दिखाई देता है. श्रीनाथजी मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव सबसे अलग होता है. जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीनाथ जी को पंचामृत और चंदन से स्नान कराया जाता है।**

रूप में प्रकट की। सत्रहवीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिन्दू मंदिर नष्ट करने शुरू किए तो स्थानीय भक्त श्रीनाथ जी की पावन मूर्ति लेकर सुरक्षित क्षेत्र की खोज में निकले। ऐसे में भगवान की मूर्ति मेवाड़ के शिहाद गांव में एक गड्ढे में स्वयं धंस गई। जब भक्तों ने मेवाड़ के राणा वंशीय सम्राटों से शरण मांगी तो महाराणा संग्राम सिंह तथा राणा प्रताप के वंशजों ने 20,000 राजपूत सिपाहियों को मूर्तिनुमा शिला की सुरक्षा के लिए तैयार कर लिया। उधर दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी अपने सैनिकों को वापसी का आदेश दे डाला। इस घटना के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर उस समय चयनित स्थान पर ही स्थापित करने का निर्णय लिया गया। श्रीनाथ जी का मंदिर दिन में 8 दर्शनों के लिए खोला जाता है। इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। मान्यतानुसार बाल कृष्ण अपने बचपन में इतने आकर्षक एवं तेजस्वी थे कि उन्हें देखने की लालसा में आसपास की महिलाएं (गोपियां) नंद बाबा के घर बार-बार चक्कर लगाती रहती थीं। यशोदा माता को इस बात की परेशानी होने लगी। उन्हें इस बात की चिंता सताएं जा रही थी कि गोपाल के खान-पान तथा आराम में इस बाधा को दूर कैसे किया जाय और अंत में उन्होंने बाल गोपाल से मिलने का समय तय कर दिया। इसी आधार पर मंदिर का द्वार भी दिन में तय समय पर ही खोला जाता है। भारत के अलावा श्रीनाथ जी के मंदिर रूस, मध्य एशियाई वोल्गा क्षेत्र में, पाकिस्तान में डेरा गाजी खान, भारत में गोवा तथा अमेरिका के न्यूजर्सी सहित आठ स्थानों पर विद्यमान हैं।

मंदिर में है श्रीकृष्ण के जीवन की आकर्षक झांकियां

ब्रज से लेकर राजस्थान तक श्रीकृष्ण की लीलाएं कण कण से झलकती हैं। कान्हा की बाल लीलाओं की गवाही गिरिराज की शिलाएं आज भी देती हैं। उसी खासियता के मद्देनजर मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन विशेषकर बालचित्रण से संबंधित विभिन्न लीलाओं की जीवंत झांकियां लगायी गयी है। मान्यताओं के अनुसार गिरिराज महाराज आदिपुरुष श्रीकृष्ण और श्रीनाथ जी एक ही देव के अनेक नाम हैं। गिरिराज जी यानी कृष्णकालीन वो पर्वत जिन्हें भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं पूजा और ब्रजवासियों की रक्षा को अपने बाएं हाथ की कानिष्ठा उंगली पर धारण किया था। कहते है करीब 551 वर्ष पूर्व आन्यौर की नरो नामक लड़की की गाय का दूध गिरिराज शिला पर झरने लगा। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने गिरिराज शिला पर आवाज लगायी, अंदर कौन है। अंदर से जवाब में तीन नाम सुनायी दिए, देव दमन, इंद्र दमन और नाग दमन। इसी शिला से श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ और सबसे पहले उनकी बायीं भुजा का दर्शन हुआ। करीब 450 वर्ष पूर्व पूरनमल खत्री ने जतीपुरा में गिरिराज शिलाओं के उपर मंदिर का निर्माण कराया। कन्हैया के गिरिराज पर्वत उठाते स्वरूप के दर्शन श्रीनाथ जी में होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गिरिराज महाराज, भगवान श्रीकृष्ण और श्रीनाथजी एक ही देव के अनेक नाम हैं। हालांकि मुगलकाल में श्रीनाथजी को सुरक्षित निकालकर नाथद्वारा भेज दिया गया। इसमें कृष्ण की सेवा में डूबे विभिन्न कलाकारों की व्यापक प्रतिभा को चित्रित एवं प्रदर्शित किया गया है. चित्रों के संग्रह को सात से आठ दृश्यों के चारों ओर व्यवस्थित किया गया है, मानो हर दिन उत्सव हो. रंग-बिरंगे त्योहार अलग-अलग मौसम को दर्शाते हैं और पुजारी अभिजात व धनी पाटीदारों द्वारा बनाए गए विशेष चित्र से हमें कृष्ण जीवन और प्रेम की विशेष झलक मिलती है. इसमें चित्रण श्रीनाथजी मंदिर और श्रीनाथजी के प्राकट्य के साथ शुरू होते हैं, इसके बाद ऋतुएँ आती हैं. वसंत (फाल्गुन-चैत), ग्रीष्म (वैशख-ज्येष्ठ), वर्षा (आषाढ़-श्रावण), शरद (भाद्रपद-अश्विन), हेमंत (कार्तिक-मार्गशीर्ष) और शिशिर (पौष-माघ). दिन की शुरूआत प्रातः 5.30 बजे उनके जागने से होती है, जिसे मंगला कहते हैं. उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है. गर्मियों में ये सुबह छह बजे और सर्दियों में साढ़े सात बजे किया जाता है. उसके बाद ग्वाल का वर्णन है, जब वे गाय चराने जाते हैं. फिर दिन में मुख्य भोजन राज भोग, जिसमें दही व दूध से बने पदार्थ शामिल होते हैं फिर उत्थापन, भोग, शयन व मनोरथ आदि क्रियाओं का वर्णन है.

अलग है दर्शन का तरीका

नाथद्वारा दर्शन करने का स्थान अत्यधिक संकरा है। इसलिए दर्शनार्थियों को बारी बारी से दर्शन कराया जाता है। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथजी के मंदिर में भगवान श्रीनाथजी के विग्रह के विषय में श्रद्धालुओं और पुजारियों में यह विश्वास है की श्रीनाथजी का विग्रह जीवित है। इसलिए श्रीनाथजी के मंदिर में होने वाली भगवान की पूजा अन्य मंदिरों से अलग होती है। भगवान श्रीनाथजी की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और

भगवान को रात के समय सुलाना यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथजी भगवान के भोजन के समय चढ़ाये जाने वाले प्रसाद को भोग कहा जाता है। श्रीनाथजी के दर्शन (दिनचर्या) को दिन के आठ भागों में बांटा गया है और इन सभी भागों को अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है जिन्हे द मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उथापन, भोग, आरती और शयन नाम से बुलाया जाता है। इन सभी दर्शनों में भगवान श्रीनाथजी को हर बार अलग -अलग रूप में तैयार किया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु दिन के समय होने वाली किसी भी आरती में दर्शन करने के लिए जा सकते है। लेकिन भगवान की श्रीनाथजी श्रृंगार आरती को देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। श्रृंगार आरती में भगवान श्रीनाथजी को बहुत ही सुन्दर और हाथ से बने हुए रेशम के कपड़ों से सजाया जाता है। भगवान के सभी वस्त्रों पर जरी और कढ़ाई का बहुत महीन काम होता है। कपड़ो के अलावा भगवान श्रीनाथजी को पहनाए जाने वाले सभी गहने असली सोने के बने हुए होते है। श्रीजी के लिए नित्य नए वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें जो वस्त्र एक बार पहनाया जाता है, वह दोहराते नहीं हैं। दजीर्खाने में दर्जियों की पूरी टीम है, जो लगातार श्रीजी के वस्त्रों की सिलाई करती है। श्रीजी को भिन्न मौसम व पर्वों के अनुसार परिधान पहनाया जाता है। श्रीजी को सुगंधित पुष्पों की एक माला पहनाई जाती है। उनके श्रृंगार पूर्ण होने पर मुखियाजी श्रीजी को एक स्वर्णिम दर्पण दिखाते हैं, ताकि श्रीजी स्वयं के श्रृंगार और परिधान से संतुष्ट हो सकें। सूखे फल और विभींन मिठाई का भोग लगाया जाता है। वो पल जब श्रीजी स्वयं को दर्पण में देखते हैं, उस दृश्य को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वे वहां पर जरूर उपस्थित होते हैं। यह अद्भुत अलोकिक दृश्य होता है।

कलश और सुदर्शन चक्र

भगवान श्रीनाथजी का मंदिर एक किलेनुमा महल के भीतरी भाग में स्थित है। मंदिर के बाहरी भाग में स्थित महल का निर्माण सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं द्वारा करवाया गया था। मुख्य मंदिर का वास्तु वृंदावन में स्थित भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा को समर्पित मंदिर के वास्तु से प्रभावित है। मंदिर के शीर्ष भाग पर एक कलश स्थापित किया गया है, कलश के साथ भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी स्थापित किया गया है। कलश और सुदर्शन चक्र के अलावा मंदिर के शिखर पर सात पताकाएं भी फहराई गई है। ये सातों पताकाएं पुष्य मार्ग वैष्णव सम्प्रदाय (वल्लभ सम्प्रदाय) का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीनाथजी के मंदिर को ह्लश्रीनाथजी की हवेलीह्ल के नाम से भी जाना जाता है। पुष्य मार्ग वैष्णव सम्प्रदाय में श्रीनाथजी को एक व्यक्ति

> “ ब्रज से लेकर राजस्थान तक श्रीकृष्ण की लीलाएं कण कण से झलकती हैं। कान्हा की बाल लीलाओं की गवाही गिरिराज की शिलाएं आज भी देती हैं। उसी खासियता के मद्देनजर मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन विशेषकर बालचित्रण से संबंधित विभिन्न लीलाओं की जीवंत झांकियां लगायी गयी है। मान्यताओं के अनुसार गिरिराज महाराज आदिपुरुष श्रीकृष्ण और श्रीनाथ जी एक ही देव के अनेक नाम हैं।

मान करके पूजा जाता है इस वजह से श्रीनाथजी के मंदिर को ह्लश्रीनाथजी की हवेलीह्व कह कर बुलाया जाता है। सामान्य भाषा में यह कहा जाता जा सकता है की नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथजी का मंदिर भगवान श्रीनाथजी घर है। इसलिए मंदिर में श्रीनाथजी की पूजा भी और मंदिरों से अलग प्रकार से होती है। इसीलिए एक घर में जैसे अलग-अलग उपयोग के लिए कक्ष बने हुए होते है। वैसे ही मंदिर में दूध के लिए एक कक्ष, मिठाई के लिए एक कक्ष, सुपारी के लिए एक कक्ष, रसोई घर, फूलों के लिए अलग कक्ष, बैठक, घुड़साल, ड्रॉइंगरूम, आभूषण कक्ष, सोने और चांदी को पीसने की चक्की और लॉकर रूम बना हुआ है। इन सभी कक्षों के अलावा जिस रथ पर भगवान श्रीनाथजी के विग्रह को लाया गया था उसको भी घर के मुख्य वाहन की तरह प्रदर्शित किया गया है। नाथद्वारा मंदिर के मुख्य परिसर में भगवान मदन मोहन और नवीन प्रिया को समर्पित दो मंदिर और बने हुए है।

शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है आकर्षण का केन्द्र

नाथद्वारा में शिवजी की 351 फीट सबसे ऊंची प्रतिमा है। हाल ही में इसका लोकार्पण हुआ है। इस प्रतिमा की नींव दस साल पहले प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने रखी थी। यह 20 बीस किमी दूर से दिखाई देती है। बैठी हुई अवस्था में यह शिव प्रतिमा नेपाल के कैलाशनाथ मंदिर में लगी शिव प्रतिमा से भी बड़ी है। खास यह है कि इस शिव प्रतिमा के कंधे तक भक्त जा सकते है। वहां पहुंचने के बाद अरावली पर्वत श्रृंखला का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इसके कंधे तक पहुंचने के लिए प्रतिमा के अंदर चार लिफ्ट एवं तीन सीढ़ियां बनाई गई है। दो लिफ्ट 29-29 लोगों की क्षमता वाली हैं यानी एक साथ 29 लोगों को ले जाया सकता है। जबकि दो अन्य लिफ्ट में तेरह-तेरह लोग जा सकेंगे। लिफ्ट और सीढ़ियों के जरिए इस प्रतिमा के 280 फीट ऊंचाई तक जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रतिमा में एक ऐसा हॉल भी बनाया गया है, जिसमें एक साथ चार सौ लोग बैठ पाएंगे। प्रतिमा के नीचे पांच-पांच हजार लीटर क्षमता वाले वाले दो छोटे तालाब बनाए हैं। मंदिर के अंदर बनाए गए हॉल में प्रोजेक्टर के जनिए इस प्रतिमा के निर्माण कार्य की शुरूआत से पहले से लेकर अंत तक की प्रक्रिया बताई जाती है। 26 बीघा क्षेत्रफल में फैले पार्क में बनी शिव प्रतिमा का वजन तीन हजार टन से अधिक है। जिसमें 2600 टन स्टील और लोहे का उपयोग लिया गया है। प्रतिमा इतनी मजबूत है कि आगामी 2500 साल तक यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

निकलती है शोभायात्रा

नाथद्वारा में हर साल धुलंडी पर एक सवारी निकलती है, नाम बहुत दिलचस्प है बादशाह की सवारी। यह सवारी नाथद्वारा के गुर्जरपुरा मोहल्ले के बादशाह गली से निकलती है। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति को नकली दाढ़ी-मूंछ, मुगल पोशाक और आँखों में काजल डालकर दोनों हाथो में श्रीनाथ जी की छवि देकर उसे पालकी में बैठाया जाता है। इस सवारी की अगवानी मंदिर मंडल का बैंड बांसुरी बजाते हुए करता है। यह सवारी गुर्जरपुरा से होते हुए बड़ा बाजार से आगे निकलती है तब बृजवासी सवारी पर बैठे बादशाह को गलियां देते है। सवारी मंदिर की परिक्रमा लगाकर श्रीनाथ जी के मंदिर पंहुचती है, जहां वह बादशाह अपनी दाढ़ी से सूरजपोल की सीढियाँ साफ करता है जो कि लम्बे समय से चली आ रही एक प्रथा है। इस तरह एक जीवंत, रंगीन और शानदार चित्रों की लंबी श्रृंखला बनाने की शुरूआत हुई, जिनकी संख्या कई सदियों में असंख्य हो गई.

औरंगजेब ने दिया था मंदिर तोड़ने का आदेश

औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ वृंदावन में गोवर्धन के पास श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोइ नुकसान पहुंचे। मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी ने मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लिया। दामोदर दास बैरागी वल्लभ संप्रदाय के थे और बल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथजी की मूर्ति को स्थापित किया और नाथद्वारा ले गए। ब्रजवासी आज भी श्रीनाथ जी प्राकट्य स्थल पर जन्माष्टमी पर्व मनाते हैं। संत कन्हैया बाबा के सानिध्य में नंदगांव बरसाना के तमाम ब्रजवासी हर महीने इस स्थली पर उत्सव मनाते हैं। नाथद्वारा शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनता है नाथ$द्वार, जिसमे नाथ का अर्थ भगवान से है। द्वार का अर्थ चैखट या आम भाषा मे कहा जाए तो गेट से है। तो इस प्रकार नाथद्वारा का अर्थ ह्लभगवान का द्वार हुआ। श्रीनाथजी मंदिर में भगवान श्रीनाथजी का विग्रह भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप को दशार्ता है, जिसकी अवस्था

सात वर्ष के बालक की है। श्रीनाथजी का मंदिर बहुत बड़ा है, परंतु मंदिर मैं किसी विशिष्ट स्थापत्य कला शैली के दर्शन नहीं होते। वल्लभ संप्रदाय के लोग अपने मंदिर को नांदरायजी का घर मानते है। मंदिर पर कोई शिखर नहीं है। मंदिर बहुत ही साधारण तरीके से बना हुआ है। जहां श्रीनाथजी की मूर्ति स्थापित है, वहां की छत भी साधारण खपरैलों से बनी हुई हैं। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में स्थापित श्रीनाथजी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित भगवान श्रीनाथजी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान के होंठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। श्रीनाथजी के विग्रह के साथ में एक शेर, दो गाय, एक सांप, दो तोता और दो मोर भी दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा तीन ऋषि मुनियों की चित्र भी विग्रह के पास रखे हुए हैं।

नाथद्वारा में ब्रज जैसी भाषा-संस्कृति

मेवाड़ के मध्य प्रभु श्रीजी की नगरी नाथद्वारा में ब्रज जैसी भाषा-संस्कृति है. यहां के अधिकांश स्थानीय लोग खुद को ब्रजवासी बताते हैं और ब्रजभाषा बोलते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि प्रभु श्रीनाथजी के साथ ही ब्रज के लोग नाथद्वारा आकर बस गए. कई परिवारों की कई पीढ़ियां यहां गुजर गई है. ब्रजवासियों के साथ यहां मेवाड़ के लिए लोग भी बहुतायत में हैं. यहां मेवाड़ी और ब्रजवासी भाषा के साथ ही दो संस्कृतियों का संगम होता है. ब्रज संस्कृति का प्रभाव शहर की बसावट में भी देखने को मिलता है. यहां अधिकाशं मोहल्लों के नाम ब्रज संस्कृति पर आधारित हैं. एक बड़ा मोहल्ला ब्रजपुरा कहलाता है तो दूसरे को द्वारकाधीश की खिड़की कहा जाता है. श्रीनाथ कॉलोनी, बड़ी बाखर, नीम वारी बाखर, गणेश टेकरी व मोदियों की खिड़की नामक इलाके भी हैं. 50 हजार से अधिक आबादी वाले इस शहर में 40 वार्ड हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहां पर आते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव पर तो नाथद्वारा कृष्णा के रंग में रंग जाता है। मंदिर समिति जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। मन्दिर मुख्यद्वार पर नक्कारखाने से ढ़ोल, नक्कारे, बिगुल, शहनाई आदि की मधुर ध्वनी से पूरा नाथद्वारा नगर गुंजायमान होता है। नगर में अद्भुत झाँकियों के साथ घोड़े, नक्कारे, श्रीनाथ बैण्ड, स्थानीय बैण्ड्स, भजन मण्डलियों के साथ विशाल शोभायात्रा का निकाली जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से न्यूँ कोटेज परिसर और श्री दामोदरधाम में सीसीटीवी लगे हैं। श्रद्धालुओं के लिए पानी और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती है।

सरकारी अधिवक्ता वीणा जायसवाल ने की छठ पूजा

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व "चैती छठ" पूजन की शुरूआत शनिवार को नहाय खाय से शुरू हो कर मंगलवार को प्रातःकालीन अर्द्ध के साथ सम्पन्न हुआ। पूर्व की तरह इस बार भी पटना उच्च न्यायालय की सरकारी अधिवक्ता वीणा कुमारी जायसवाल ने महापर्व छठ पूजा सम्पन्न की। उन्होंने बताया कि इस बार हम देश-राज्य एवम समाज की खुशहाली के लिए मन्नतें लेकर व्रत रखी थी। उन्होंने बताया कि पहले दिन व्रत सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर शुरू की, इसे लोग नहाय खाय कहते हैं। तत्पश्चात दूसरे दिन यानि रविवार को खरना का व्रत के साथ निराजली उपवास शुरू हुआ। सरकारी अधिवक्ता वीणा कुमारी जायसवाल ने बताया कि मैं छठ व्रत अपने आवास पर ही की। उक्त अवसर पर परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सैकड़ों गणमान्यगण लोगों ने इस महापर्व में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि परसादी और आशीर्वाद लेने वालों में डॉ०ए के जायसवाल, डॉ०राकेश, डॉ०संतोष, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आशीष रंजन सिन्हा, भागलपुर के वरिष्ठ पत्रकार गौतम सुमन गर्जना, समाजसेवी, किशोरी प्रसाद साह, समाजसेवी अशोक चौधरी, डॉक्टर मोहित, डॉ०अजय सुप्रिया भगत, राजा बाबू, विक्रांत कुमार, राजेंद्र उर्फ राजू समेत पटना उच्च न्यायालय के दर्जनों अधिवक्ता और शहर के नामचीन व चिकित्सकगण शामिल थे।उन्होंने बताया कि 27 मार्च सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दी और 28 मार्च मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दी। मुझे पूरी विश्वास है कि देश- राज्य और समाज की तरक्की एवम उन्नति के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस महापर्व को मनाने में उनके पति उपेन्द्र जायसवाल, जो स्वयं पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता हैं, वे अपने पुत्र राजीव रंजन, रजनीश रंजन जायसवाल, पुत्रवधू एवम पोते-पोतियों के साथ पूरी तरह सहयोग किए।

> उन्होंने बताया कि पहले दिन व्रत सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर शुरू की, इसे लोग नहाय खाय कहते हैं। तत्पश्चात दूसरे दिन यानि रविवार को खरना का व्रत के साथ निराजली उपवास शुरू हुआ। सरकारी अधिवक्ता वीणा कुमारी जायसवाल ने बताया कि मैं छठ व्रत अपने आवास पर ही की। उक्त अवसर पर परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सैकड़ों गणमान्यगण लोगों ने इस महापर्व में शामिल हुए।

अश्लील वीडियो कॉल्स के चक्रव्यूह का खुलकर करे सामना

बहुत से लोग छेड़खानी और साइबरसेक्स के लिए वेबकैम का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी जिन लोगों से आप ऑनलाइन मिलते हैं वे वे नहीं होते जो वे कहते हैं कि वे हैं। अपराधी नकली पहचान का उपयोग करके पीड़ितों से ऑनलाइन दोस्ती कर सकते हैं और फिर उन्हें अपने वेबकैम के सामने यौन क्रिया करने के लिए राजी कर सकते हैं, अक्सर शिकार को लुभाने के लिए एक आकर्षक महिला का उपयोग करते है। इन महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन या धमकियों का उपयोग करके इन कार्यों में मजबूर किया गया हो सकता है। ये वेबकैम वीडियो अपराधियों द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं जो फिर पीड़ितों के दोस्तों और परिवार के साथ छवियों को साझा करने की धमकी देते हैं। इससे पीड़ितों को बेहद शर्मिंदगी और शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। पुरुष और महिला दोनों इस अपराध का शिकार हो सकते हैं, या तो उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है या यौन कृत्यों को करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बेहद आकर्षक महिला के नकली प्रोफाइल पहले से ही बनाए जाते हैं और उन्हें यथार्थवादी दिखने के लिए सावधानीपूर्वक देखभाल की जाती है, यानी प्रोफाइल की लंबी कालक्रम, नियमित अद्यतन, या आकर्षक और यथार्थवादी चित्रों को नियमित रूप से अपलोड करना आदि। इन नकली लेकिन वास्तविक प्रोफाइल से पहचाने गए लक्ष्यों के लिए मित्र अनुरोध भेजे जाते हैं। अनुरोध फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, डेटिंग या यहां तक कि वैवाहिक साइटों जैसे प्लेटफार्मों में अत्यधिक दोस्ताना और आकर्षक आकर्षक महिलाओं से हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए तकनीकी पहलुओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और भोले-भाले शिकार का विश्वास हासिल करने के लिए 'सोशल इंजीनियरिंग' नामक मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

सोशल इंजीनियरिंग से तात्पर्य अपराधियों द्वारा धोखे और धोखाधड़ी के माध्यम से पीड़ितों को हेरफेर करने के लिए उपयोग की जाने वाली मनोवैज्ञानिक चाल से है। फिर स्कैमर्स उन्हें यौन लालच के वीडियो कॉल में शामिल होने के लिए लुभाते हैं और प्रेरित करते हैं, आमतौर पर गिरोह की महिला सहयोगियों को भद्दे वीडियो कॉल में लिप्त होने और इनबिल्ट या डाउनलोड किए गए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप का उपयोग करके उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये रिकॉर्ड की गई कामोत्तेजक क्लिप फिर जबरन वसूली के साधन बन जाते हैं जिससे पीड़िता को अनकहा आघात होता है। भारत में 70 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन (प्रत्येक अपने आप में एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं) के साथ, सेक्सटॉर्शन के जाल फैलाने के लिए चारागाह हैं। यह भारतीय समाज में यौन इच्छाओं से जुड़े अत्यधिक पाखंड और कलंक के साथ मिलकर, लोगों को फंसाने के लिए एक अनुकूल प्रजनन स्थल की सुविधा प्रदान करता है। सेक्सटॉर्शन एक दर्दनाक, भयानक और अमानवीय उल्लंघन है जो पीड़ितों की शर्म और सामाजिक स्तर से खेलता है। ऐसे में अपने आप को शिकार बनने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस बारे में बहुत सावधान रहें कि आप किसके साथ ऑनलाइन मित्रता करते हैं, खासकर यदि आप उनके साथ कुछ भी अंतरंग साझा करने पर विचार कर रहे हैं। घबराएं नहीं, पहला बड़ा कदम यह पहचानना है कि आप इसमें 'पीड़ित' हैं और जो कुछ हुआ है, उसमें आपकी मदद करने के लिए आपको समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। ब्लैकमेल के तौर पर पैसे की बजाये उल्टा धमकाना सही उपाय हो सकता है लेकिन अनुभव से पता चलता है कि जहां पीड़ितों ने भुगतान किया है, वहां इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अपराधी अभी भी रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं करेंगे और वास्तव में आगे की मांगों के साथ वापस आने की अधिक संभावना है। संवाद न रखें, ब्लॉक कर दे क्योंकि इन धमकियों का जवाब देने से यह अपराधियों को संकेत मिलता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी फिरौती देने के लिए राजी किया जा सकता है।

बहुआयामी गरीबी और शोषण में जी रहे बच्चे

नांदेड़, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। यह क्षेत्र गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और अपने सिख गुरुद्वारों के लिए प्रसिद्ध है। यह मराठवाड़ा मंडल के तहत महाराष्ट्र के 36 जिलों में से एक है और इसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा जाता है। भौगोलिक रूप से, यह क्षेत्र ज्यादातर सूखाग्रस्त है। नांदेड़ में कृषि मुख्य व्यवसाय है और यहां के आम लोग ज्यादातर मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं। कम वर्षा के कारण अधिकांश मजदूर काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और कई दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं। यहां की 86 प्रतिशत महिलाएं गैर-कृषि व्यवसायों से जुड़ी हैं। ईंट भट्ठों में काम करने के अलावा लोग अपने परिवारों के साथ गन्ने के खेतों में भी मजदूरी करते हैं। कुछ लोग मुंबई और पुणे की कंपनियों में काम करने जाते हैं। यहां के लोग अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में पलायन करते रहते हैं। कुछ महिलाएं गृहिणी के रूप में काम करती हैं, जबकि कुछ पुरुष कपड़ों की दुकानों में सहायक और विक्रेता के रूप में काम करते हैं।

नांदेड़ के अलग-अलग इलाकों में कपड़े का कारोबार अच्छा चल रहा है। शहर में अच्छी कपड़े की दुकानें होने के कारण जिले भर के गांवों और कस्बों से अच्छे ग्राहक यहां आते रहते हैं। नांदेड़ में वजीराबाद, श्रीनगर, जूना मोंढा और चौक अपनी कपड़े की दुकानों के लिए जाने जाते हैं। इन जगहों के आसपास दलित बस्ती है। इन दुकानों में काम करने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं बस्तियों से आते हैं। शहरी आवास योजना के तहत कुछ लोगों को पक्के मकान मिल गए हैं, लेकिन यहां के ज्यादातर लोग पीढ़ियों से एक या दो कमरे के किराए के मकान में रह रहे हैं। यहां सरकारी नल से पानी की आपूर्ति की जाती है। शहर के लोग आमतौर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए जंगंबरी, शिवाजी चौक, श्याम नगर और शिवाजी नगर के सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। यहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल विष्णुपुरी में है लेकिन स्कूल की बात करें तो इस क्षेत्र के आसपास बहुत कम सरकारी स्कूल हैं। ज्यादातर बच्चे मजदूर हैं। इसके पीछे गरीबी एक बड़ा कारण है। पिछड़े वर्ग के अधिकांश बच्चे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं।

नतीजतन, बाल श्रम का आंकड़ा बढ़ा है क्योंकि बाल श्रम वयस्क श्रम से सस्ता है इसलिए, नियोक्ता बच्चों से काम करवाना पसंद करते हैं। दलित और आदिवासी बच्चों के साथ जाति-आधारित भेदभाव उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार से जुड़ा है। इन बच्चों को कई स्तर पर शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें उच्च ड्रॉपआउट दर, निम्न पारिवारिक साक्षरता दर, सरकारी स्कूलों में खराब शैक्षिक मानक, स्कूलों में भेदभाव और बहिष्करण प्रथाएं आदि शामिल हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक बाल श्रम दर वाले राज्य हैं। इस क्षेत्र की निवासी सीमा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे गरीबी शिक्षा में बाधाएं पैदा करती हैं। वह कहती है कि उसके माता-पिता उसे स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और अच्छी स्टेशनरी जैसी अच्छी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण उसे अक्सर उसके साथियों द्वारा चिढ़ाया जाता था। यह उसे अपमानजनक लगता था। दूसरी ओर उच्च फीस के कारण माता-पिता उसकी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते थे और इसलिए वे अपनी बेटियों को शिक्षित करने में कम रुचि रखते थे। मजबूरन उसे स्कूल जाना बंद करना पड़ा। शैक्षिक सुविधाओं की कमी, वंचित छात्रों के लिए शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता की कमी (चाहे वह पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति या स्कूल का माहौल हो), कम पारिवारिक साक्षरता और शिक्षा नीति के अधिकार के कार्यान्वयन की कमी आदि मुख्य कारण हैं जो गरीब बस्ती के बच्चों के स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 79 प्रतिशत बच्चे 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच स्कूल छोड़ देते हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार नीति में जाति या वर्ग के बावजूद सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

> “ नांदेड़ के अलग-अलग इलाकों में कपड़े का कारोबार अच्छा चल रहा है। शहर में अच्छी कपड़े की दुकानें होने के कारण जिले भर के गांवों और कस्बों से अच्छे ग्राहक यहां आते रहते हैं। नांदेड़ में वजीराबाद, श्रीनगर, जूना मोंढा और चौक अपनी कपड़े की दुकानों के लिए जाने जाते हैं। इन जगहों के आसपास दलित बस्ती है। इन दुकानों में काम करने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं बस्तियों से आते हैं। शहरी आवास योजना के तहत कुछ लोगों को पक्के मकान मिल गए हैं।

परिंदे- पक्षियों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में - गौरैया की संख्या में स्थिरता बनी हुई है

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

हमारे देश में आमतौर पर इंसानी बस्तियों एवं सुदूर जंगलों में बरगद-पीपल जैसे बड़े-बड़े पेड़ो पर आशियाना बनाने वाले कौओं सहित अन्य पक्षियों की हो रही कमी और वहीं कई राज्यों में प्रवासी पक्षियों की तादात बहुत कम, देखी जा रही है। पेड़ के कटने से पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और पक्षियों को अब मानव निर्मित कृत्रिम आवासों पर निर्भर होना पड़ रहा है।

शहरीकरण की ओर दिनों दिन बढती रफ्तार और बड़े वृक्षों की तेजी से कम होती संख्या का का असर पक्षियों के साथ-साथ सभी जीवों पर प्रतिकूल पड़ने लगा है। खेती-बाड़ी में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का दिनोदिन अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण जीवों की कई प्रजातियाँ या तो नष्ट हो गया है, नहीं तो, इसका असर बड़े जीव-जन्तुओं पर पड़ने लगा है। वर्तमान समय में इंटरनेट और इलेक्ट्रोनिक सामानों का दायरा भी बढता जा रहा है, ऐसी स्थिति में जीवों के लिए घातक सिद्ध होने लगा है। यदि समस्या का समाधान समय रहते प्रभावी ढंग से नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में पूरी जैव-विविधता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। गौरैया को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 2002 में संकटग्रस्त रेड कार्ड में शामिल किया था। जबकि गौरैया संरक्षण का प्रश्न प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के दिन सामने आता है। गौरैया संरक्षण पर गौरैया की संख्या में हो रही कमी कई कारणों पर लगातार शोध हो रहे हैं।

देखा जाय तो गौरैया के कमी के कारणों में मूलतह बढ़ता आवासीय संकट, आहार की कमी, खेतों में कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवनशैली में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, शिकार, गौरैया को बीमारी और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जाता रहा हैं।

जबकि सर्वविदित है कि जंगल मानव सहित सभी जीवों को जीवन देता है। लेकिन जंगलों से बड़े एवं फलदार पेड़ों के नष्ट होने से वन्यजीवों व पक्षियों पर इसका स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जंगलों में फलदार पेड़ों के नहीं रहने से वानर व लंगूर बस्तियों में आने को विवश हो रहे है, यही हाल परिंदे-पक्षियों की भी है।

वर्तमान समय में जंगलों से बरगद, पीपल, गूलर, रेणी, आम, सहजन, गुरजन, तेंदू, बीजा, महुआ, इमली, केंत, गूंदी, नीम, कटहल, खजूर, पलाश, पारस पीपल, जामुन, अर्जुन, जंगल जलेबी, अमलतास, देशी बबूल एवं बिल्व-पत्र जैसे महत्वपूर्ण पेड़ों की कटाई होने के कारण लुप्तप्राय हो रहे है। इसका असर राष्ट्रीय पक्षी मोर, कौआ, उल्लू, तौते, मैना सहित कई प्रजातियों पर दिखाई पड़ने लगा है। जबकि जैव-विविधता के संरक्षक होते है बड़े एवं फलदार पेड़।

पशु-पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास बड़े पेड़ हीं होते है, जिनके सहारे मौसम की विषम परिस्थितियों में भी पशु-पक्षियां जीवित रहता है। उचित तो यही होता कि हमलोगों को मिलकर वन क्षेत्रों के साथ- साथ चारागाह एवं सार्वजनिक भूमि पर फलदार पेड़ लगाने का अभियान शुरू करना चाहिए ताकि समय रहते स्थिति को संभाला जा सके।

हमलोग जानते हैं कि प्रकृति में संतुलन के लिए हर जीव-जंतु और वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान एवं अहम भूमिका होती है। छोटे जीव चींटी से लेकर बड़े जानवर हाथी तक का जीवन चक्र एक संतुलित खाद्य श्रंखला पर निर्भर रहता है। किसी एक जीव के समाप्त होने होने पर इसका सीधा असर पूरी जैव- विविधता पर पड़ती है और इससे मानव भी नहीं बच सकता है।

विलुप्त होते चिड़ियों की चहचहाहट को वापस लाने के लिए यह जरुरी हो गया है कृत्रिम घोंसले का निर्माण किया जाय और छत पर उसके लिए दाना-पानी रखने की व्यवस्था हो। शहर हो या गांव गौरैया पक्षी की चहचहाहट दिनों दिन तेजी से गायब हो रही है। विश्व के विभिन्न देशों में पाई जाने वाली पक्षी गोरैया बहुत छोटी होती है जो शहरों की अपेक्षा गांवों में ज्यादा रहना पसंद करती है। क्योंकि गोरैया अनाज और कीड़े खाकर ही अपना जीवनयापन करती। गौरैया संरक्षण की शुरूआत सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र से हुई है। यह माना जा रहा है कि गौरैया संकट ग्रस्त पक्षी में, गिद्ध के बाद माना जाता है। हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेड सी स्पैरो और ट्री स्पैरो में से हाउस स्पैरो को गौरैया कहा जाता है। गौरैया छोटे पास्ता परिवार का पक्षी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पासरीडे (Passeridae) है। आंकडा के अनुसार, घर-आंगन में चहकने-फूदकने वाली छोटी सी प्यारी सी चिड़िया गौरैया की आबादी में 60 से 80 फीसदी तक की कमी आई है। भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को रेड लिस्ट में डाला था। लेकिन भारत में दावा किया जा रहा है कि गौरैया की संख्या में स्थिरता बनी हुई है।

> अब मानव निर्मित कृत्रिम आवासों पर निर्भर होना पड़ रहा है। शहरीकरण की ओर दिनों दिन बढती रफ्तार और बड़े वृक्षों की तेजी से कम होती संख्या का का असर पक्षियों के साथ-साथ सभी जीवों पर प्रतिकूल पड़ने लगा है। खेती-बाड़ी में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का दिनोदिन अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण जीवों की कई प्रजातियाँ या तो नष्ट हो गया है, नहीं तो, इसका असर बड़े जीव-जन्तुओं पर पड़ने लगा है।

'2005 के बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है', बिहार जीतने के लिए सम्राट की 'स्मार्ट' प्लानिंग से महागठबंधन में हलचल

गौतम सुमन गर्जना/भागलपुर

भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक राजनीति के रूप में पहचान बना चुके सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपकर एक तीर से कई निशाना साधा है। कुशवाहा जाति से आने वाले चौधरी पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर न केवल आक्रामक रहे हैं, बल्कि विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बिहार सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। माना जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों से भाजपा ने चौधरी को बिहार की कमान थमाकर सात दलों के महागठबंधन से सीधे मुकाबले में उतार दिया है। भाजपा अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद सम्राट चौधरी भी अपनी प्राथमिकता कार्यकताओं के मान-सम्मान की रक्षा करना और भाजपा की सरकार बनाना बताया है। श्री चौधरी आश्वस्त हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी बिहार में सभी 40 सीटों पर भगवा लहराएगी।

चुनौतियों का सामना करूंगाः सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के आम लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए तत्पर रहूंगा। उन्होंने माना कि चुनौतियां हैं लेकिन वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकताओं का समन्वय बनाकर कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को अवसर में बदलना हमें आता है। समता पार्टी के संस्थापकों में से एक शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। कुशवाहा जाति से आने वाले चौधरी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता पार्टी को विस्तार देते हुए बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। साथ ही हम अपने कार्यकताओं के मान सम्मान की रक्षा करेंगे।

संगठन से ही सरकार बनती हैः सक्रिय, कमिटेड और राजनीति से अलग व्यक्तिगत संबंधों को निभाने वाले सम्राट चौधरी ने जोर देते हुए कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि संगठन और कार्यकर्ता से ही सरकार बनती है। उन्होंने भाजपा द्वारा सामाजिक समीकरण दुरूस्त करने को लेकर अध्यक्ष बनाए जाने के प्रश्न पर कहा कि भाजपा कभी भी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों के कल्याण और विकास की बात करती है।

उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के लिए अप्रसांगिक हो गए हैं। 2005 के बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है। हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि परिणाम से साफ है कि नीतीश को अब प्रदेश की जनता पसंद नहीं कर रही है।

जहरीली शराब बड़ा मुद्दा; उन्होंने कहा कि आप खुद देख लीजिए, बिहार में कानून व्यवस्था, शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या, सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर लोगों को बरगलाना और सबसे बड़ी बात पलटी मारने की आदत के बाद लोगों की बात छोड़िए उनके सहयोगी दलों का भी उनपर विश्वास नहीं रहा। महागठबंधन के संदर्भ में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में चौधरी कहते हैं कि इसे महागठबंधन कहना कहीं से उचित नहीं है। सभी घटक दल कुर्सी पकड़कर समय काट रहे हैं और इससे सबसे अधिक नुकसान बिहार को हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, उपमुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की चिंता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि राजद के नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर क्या टिप्पणी नहीं की, लेकिन क्या हुआ?

गठबंधन पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसलाः अगले चुनावों में गठबंधन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर साफ लहजे में कहा कि देश में विपक्ष बिखरा हुआ है और फिलहाल भाजपा के सामने कोई मुकाबला नहीं है। बिहार में कृषि मंत्री और पंचायती राज मंत्री का दायित्व संभाल चुके चौधरी कहते हैं

कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा बहुत प्रभावी है। कार्यकताओं की सक्रियता और नेतृत्व के प्रति विश्वास के आधार पर लक्ष्य पूरा करेंगे। मोदी सरकार के कार्य की सार्थक चर्चा होती है। इसके आधार पर तय है कि हम निश्चित रूप से बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि राजद जंगलराज की प्रतीक है और नीतीश कुमार का बिहार में कोई जनाधार नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता सक्रिय है, वह समाज के बीच रहता है। उन्होंने प्रदेश कमिटी जल्द बनाए जाने की बात करते हुए कहा कि भाजपा के सारे पद कार्यकताओं के लिए हैं, परिवार के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। मेहनती कार्यकताओं को तरजीह दी जाएगी। भाजपा में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति सभी सामान्य कार्यकर्ता से इस मुकाम तक पहुंचे हैं।

> नांदेड़ के अलग-अलग इलाकों में कपड़े का कारोबार अच्छा चल रहा है। शहर में अच्छी कपड़े की दुकानें होने के कारण जिले भर के गांवों और कस्बों से अच्छे ग्राहक यहां आते रहते हैं। नांदेड़ में वजीराबाद, श्रीनगर, जूना मोंढा और चौक अपनी कपड़े की दुकानों के लिए जाने जाते हैं। इन जगहों के आसपास दलित बस्ती है। इन दुकानों में काम करने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं बस्तियों से आते हैं। शहरी आवास योजना के तहत कुछ लोगों को पक्के मकान मिल गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

भारत प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव सजग रहा, इसी कारण उसने संवैधानिक स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दिया। हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति भी रही है यही कारण है कि देश में हर स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान दिया गया और हमारे संविधान निमार्ताओं ने इसका ध्यान रखते हुए संविधान में पर्यावरण की जगह सुनिश्चित की। पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के संवैधानिक दायित्व से जोड़ा गया।मानवीय जीवन के आरम्भ से ही मनुष्य एवं पर्यावरण में आपसी संबंध बना हुआ है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः उसके अस्तित्व के लिये प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति ह्यपृथ्वीह्ल को माँ कहा गया है। ह्यमाता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याह्ल1 अर्थात पृथ्वी हमारी माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। चूँकि पृथ्वी माता रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है। अतः इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारतीय समाज आदिकाल से पर्यावरण संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। हमने प्रकृति प्रेम को सर्वोपरि रखा इसका कारण यह है कि हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में पेड़-पौधों एवं अन्य जीव-जंतुओं के सामाजिक महत्त्व को बताते हुए उनको पारिस्थितिकी से जोड़ा जाता है। प्राचीन युग में विभिन्न दार्शनिकों, शासकों और राजनेताओं ने प्रकृति के प्रति जागरूकता दिखाई है। प्राचीन युग के विद्वान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वन संरक्षण का उल्लेख किया है तथा पशुओं के शिकार के संबंध में अनेकों जटिल नियम प्रस्तुत किए हैं। अधुनातन परिभाषा के अनुसार चाणक्य भारत के प्रथम वन एवं वन्य जीव संरक्षक थे।

इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण के लिये वैदिक युग में नदियों के देवत्व वाला स्वरूप उभरकर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ था। नदी सूक्त में कहा गया है -

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती।
नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ।।

हे गंगा, हे यमुना, आदि नदियों तुम मेरे स्रोत सुनो! गंगा के प्रति विशेष आदर अवश्य रहा, किंतु एक समय था, जब स्वयं गंगा नदी शब्द नदी मात्र का द्योतक था झ सभी नदियाँ गंगा थी। नदी मात्र के प्रति जो आत्मीयता थी वह आज भी सुरक्षित है। यही कारण है कि आज वर्तमान सरकार ने गंगा नदी को माँ माना है और उसे प्रदूषण से रहित करने के लिये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चला रही है। अतः यही कहा जा सकता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिये न केवल वर्तमान में बल्कि प्राचीन समय से जागरूकता विद्यमान थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमें पर्यावरण के अर्थ को जानना होगा।

वर्तमान समय में मनुष्य प्रगति की ओर उन्मुख है। वह प्रतिदिन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी ओर विकास की गति हमारे लिये कष्टकारी सिद्ध होती जा रही है और इसी विकास के कारण हमारा पर्यावरण प्रभावित होकर प्रदूषित होता जा रहा है। वनों की कटाई, वनस्पतियों और जीवों के संबंधों में कमी, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि, विज्ञापन तथा तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार और जनसंख्या विस्फोट तथा परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाली रेडियोधर्मी ईंधन की राख, रासायनिक प्रदूषक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जनित प्रदूषक सामग्री के विस्तार से जो पारिस्थितिकी परिवर्तन प्रदूषण के रूप में सामने आ रहे हैं, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। प्रकृतिदोहन के कारण जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, उसमें प्रकृति कब तक मनुष्य का साथ दे पाएगी यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। विकसित देश जिस आर्थिक

> “ वर्तमान समय में मनुष्य प्रगति की ओर उन्मुख है। वह प्रतिदिन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी ओर विकास की गति हमारे लिये कष्टकारी सिद्ध होती जा रही है और इसी विकास के कारण हमारा पर्यावरण प्रभावित होकर प्रदूषित होता जा रहा है।

विकास का लाभ उठा रहे हैं वह भूतकाल में मानवीय पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखे बिना प्राप्त किया गया था। आज से पचास वर्ष पहले से ही पर्यावरणविद मानव और प्रकृति के बिगड़ते संबंधों के बारे में सचेत किए जा रहे हैं, लेकिन उपभोग के नाम पर औद्योगीकरण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

किसी भी देश में प्रदूषण की रोकथाम तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये सबसे बेहतर उपाय है कि पर्यावरण संबंधी पारंपरिक कानूनों तथा आधुनिक कानूनों को सम्मिलित कर एक बेहतर कानून का निर्माण करके वहाँ के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय सुरक्षा के बेहतर उपाय किए जाएँ तथा इसके लिये सभी सकारात्मक एवं प्रासंगिक उपायों को अपनाया जाए। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिये वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर संविधान द्वारा तथा सरकारी प्रावधानों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रयास किए जाने चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण : मानवीय दृष्टिकोण

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्रकृति से अनुराग केवल उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं वरन पूजा श्रद्धा और आदर की भावना से किया जाता है। वेदों में भी कहा गया है ह्यरक्षाये प्रकृति पातुं लोकाह्न अर्थात प्राणि मात्र के लिये प्रकृति की रक्षा कीजिए। यही पर्यावरणीय संरक्षण का भाव वर्तमान समय में स्टॉकहोम सम्मेलन में दिखाई देता है। सन 1972 में स्टॉक होम में पर्यावरण पर आयोजित प्रथम अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक मत से सभी ने पर्यावरण संरक्षण को मानवता की आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया। सौभाग्य से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने इसका प्रतिनिधित्व किया और इसे एक व्यावहारिक रूप देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जहाँ एक ओर पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकिता देना बेहिचक स्वीकार किया, वहीं उन्होंने इस बात को जोरदार ढँग से सामने रखा कि इस मुद्दे का समाधान विकास की समस्या के साथ जोड़कर ढूँढ़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि पर्यावरण का संकट वर्तमान में उत्पन्न हुआ है उसके लिये खुद औपनिवेशिक शक्तियाँ कम जिम्मेदार नहीं हैं। तेल हो या खनिज अपनी जरूरत के लिये इन संसाधनों का दोहन करते वक्त प्रकृति के स्वास्थ्य की कोई चिंता संपन्न पश्चिमी देशों ने कभी नहीं की थी। इस सम्मेलन में विकसित देशों के सामने यह विकल्प रखा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये दोहन का त्याग करना चाहिए तथा न्यायोचित मुआवजा देने के लिये उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्मेलन में जीवन को बचाने के लिये प्रगति की परिभाषा के पुनर्विलोकन तथा जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया तथा राज्यों द्वारा भी पर्यावरण विभाग स्थापित किए गए। वास्तव में यह सम्मेलन मानवता की स्पष्ट घोषणा थी कि पर्यावरण विनाश अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। अतः पर्यावरण को बचाने की संपूर्ण मानवता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस सम्मेलन में इस मंतव्य को स्वीकार किया गया कि मानवीय पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे लोगों की खुशहाली और पूरे विश्व का आर्थिक विकास जुड़ा है। सभी सरकारों और संपूर्ण मानव जाति का यह दायित्व है कि वह मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिये मिल-जुल कर काम करें, ताकि संपूर्ण मानव जाति और उसकी भावी पीढ़ियों का हित हो सकें। यह घोषणा कारगार साबित हुई और इसको ध्यान में रखकर अनेक देशों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम-कायदों व कानूनों का निर्धारण किया और इन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में दंड की व्यवस्था की।

भारतीय संविधान व पर्यावरण संरक्षण

आज के दौर में मानव विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि उसे अपने पर्यावरण की ओर देखने का समय नहीं है। वह यह भूलता जा रहा है कि उसे पृथ्वी पर रहना है। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध अपने पर्यावरण के प्रति सजगता, जागरूकता, चेतना और पर्यावरण अनुकूलन को विकसित करने की आवश्यकता है और तभी इस गंभीर समस्या का समाधान किया जा सकता है।भारत प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव सजग रहा, इसी कारण उसने संवैधानिक स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दिया। हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति भी रही है यही कारण है कि देश में हर स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान दिया गया और हमारे संविधान निमार्ताओं ने इसका ध्यान रखते हुए संविधान में पर्यावरण की जगह सुनिश्चित की। पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के संवैधानिक दायित्व से जोड़ा गया।

हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिये कुछ प्रावधान किए गए हैं। संविधान देश का सर्वोच्च तथा मौलिक कानून है तो समस्त व्यक्तियों, राज्यों पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है। प्रारंभ में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान नहीं था लेकिन अनुच्छेद 47 द्वारा स्वास्थ्य की उन्नति हेतु राज्य का कर्तव्य अधिरोपित कर पर्यावरण सुधार किया गया। संसद द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये अधिनियमों को पारित करके संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक एवं मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत कहा गया है -

1. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा।6
2. संविधान के भाग 4क के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी अन्य जीव भी हैं इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखें।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए, जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुँचाती हो।
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 252 व 253 को काफी महत्त्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वे पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिये अधिकृत करते हैं।

भारतीय संविधान में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हेतु अनेक प्रावधान व्यापक रूप से विद्यमान है। किसी भी कानून की वैधता के लिये यह अति आवश्यक हो जाता है कि केवल अधिनियम द्वारा संरक्षण न प्राप्त हो बल्कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अधीन बनाया गया हो।8 भारतीय संविधान में न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभावों से भी रक्षा की तरफ ध्यान दिया है।

पर्यावरण संरक्षण : सरकारी प्रयास

संसद द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण के लिये अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं यथा

- वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम (1972)
- जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम (1974)
- वायुप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम (1981)
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)
- खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन अधिनियम (1989)
- ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम (2000)
- भारतीय दंड संहिता (1860)
- इकोवार्म स्कीम

संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित करके सराहनीय प्रयत्न किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण अतुलनीय योगदान दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के इन ध्येयों में वनस्पतियों, वन रोपड़, जीव जंतुओं और वन्य जीवों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

> तेल हो या खनिज अपनी जरूरत के लिये इन संसाधनों का दोहन करते वक्त प्रकृति के स्वास्थ्य की कोई चिंता संपन्न पश्चिमी देशों ने कभी नहीं की थी। इस सम्मेलन में विकसित देशों के सामने यह विकल्प रखा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये दोहन का त्याग करना चाहिए तथा न्यायोचित मुआवजा देने के लिये उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्मेलन में जीवन को बचाने के लिये प्रगति की परिभाषा के पुनर्विलोकन तथा जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया।

भ्रमजाल में फंसी आधुनिकता की धारणा

हमारा समाज संक्रमण के जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें हम परम्परा और आधुनिकता के बीच चुनाव के द्वंद्व में फंसे हैं. एक ओर पश्चिमी जीवनशैली का सम्मोहन है तो दूसरी ओर सांस्कृतिक अस्मिता का आग्रह है. अनिश्चय और अनिर्णय कई बार हमसे ऐसे आधारहीन, अवसरवादी, हास्यास्पद और सिद्धांतहीन समझौते करवाते हैं कि लगता है जैसे हमारा विवेक खो गया है. महिलाओं और दलितों के संदर्भ में तो यह सच है ही किंतु प्रेम और विवाह के मामले में भी हमारा रुख विसंगतियों भरा है.

यह मान लिया गया है कि विदेशी पूंजी होगी तभी विकास होगा. विकास को अपने भरोसे, अपने श्रम-कौशल द्वारा, अपने ही संसाधनों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है—यह संकल्पना अब लुप्त होती जा रही है. हालांकि इस बात के सहीझसही बहुत कम उदाहरण हैं कि जिन देशों ने विकास किया है, उनमें विदेशी पूंजी का कितना बड़ा योगदान रहा है. यहां सिंगापुर जैसे कुछ छोटे देशों को, जिनकी अर्थव्यवस्था सैलानियों के बल पर चलती हैछोड़ा जा सकता है. हम औपनिवेशक दौर की बात भी नहीं कर रहे हैं, जब तीसरी दुनिया के देशों के संसाधनों को, ताकत या कूटनीति के बल पर अपने अधीन कर लिया जाता था. यूरोपीय देशों और अमेरिका, जो आज विकासशील देशों की सूची में हैं, की प्रगति की अगर विवेचना करें तो पता चलेगा कि उसमें उनके उपनिवेशों का बहुत बड़ा योगदान है. औद्योगिक क्रांति के दौर में नए बाजारों और संसाधनों की खोज के लिए यूरोप और अमेरिका की व्यापारी कंपनियां दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंचीं. और जहां, जितना भी उनका बस चला, अपना उपनिवेश कायम किया. फिर उनके संसाधनों से तैयार माल उन्हीं को बेचकर सालों-साल मुनाफा बटोरते रहीं. आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं. आर्थिक शोषण के लिए राजनीतिक उपनिवेश बनाना आवश्यक नहीं रह गया है. उपर्युक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में से अधिकांश ने अपनी समृद्धि-गाथा, औपनिवेशिक संपदा यानी बाहर की पूंजी के आधार पर लिखी है. अंतर केवल इतना है कि वह पूंजी न तो आमंत्रित थी, न ही स्वयं-स्फूत्र भाव से निवेश की गई. वह बलात कब्जाई गई पूंजी थी, जिसका उपयोग उन लोगों के शोषण के लिए किया जा रहा था, जिनका उसपर नैसर्गिक अधिकार था. इसलिए यह सवाल कि क्या विकास के लिए विदेशी पूंजी अपरिहार्य है, विशेषकर भारत जैसे साधन-संपन्न देशों में—अब भी खड़ा है. समय के साथ उपनिवेशों में सामाजिक-राजनीतिक चेतना का विकास हुआ. लंबे आंदोलन के बाद वे एक-एक कर स्वतंत्र होने लगे. लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जिस परिवर्तन की अपेक्षा वहां के लोगों ने की थी, जो जनसाधारण का आजादी से जुड़ा स्वप्न था, उससे वे निरंतर दूर होते गए. ब्राजील के प्रखर शिक्षाशास्त्री पाऊलो फ्रेरा के अनुसार उत्पीड़ित अपनी मुक्ति उत्पीड़क की भूमिका में आ जाने में देखता है. यह शार्टकट रास्ता है, जिसमें व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का लक्ष्य पीछे छूट जाता है. कई बार तो परिवर्तन चक्र ही उल्टा घूमने लगता है. वही हो रहा था. आजाद होते उपनिवेशों में जैसे-जैसे विकास की मांग बढ़ी, अपनी मुक्ति के लिए वे उन्हीं रास्तों का अनुसरण करने लगे, जो उनकी दासता का सबब थे. आपाधापी में वे उन्हीं देशों के आगे मदद के लिए हाथ पसारने लगे, जिन्होंने उन्हें शताब्दियों तक गुलाम बनाए रखा था, तथा जिनके स्वार्थ, सामान्य नैतिकता मैत्री-भाव से कहीं ज्यादा प्रबल थे. इस तथ्य को जानबूझकर नजरंदाज किया गया कि साम्राज्यवाद से मुक्ति का संघर्ष जितना राजनीतिक होता है, उतना ही आर्थिक एवं सांस्कृतिक भी होता है. यह भी कि सांस्कृतिक दासता राजनीतिक परतंत्रता की सदैव पश्चगामी होती है. वह देर से आती और राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद सामान्यतः देर तक बनी रहती है.

औपनिवेशीकरण का दौर वस्तुतः नए साम्राज्यवाद के उदय का दौर था. उसकी डोर पूंजीपति घरानों तथा उनके चहेते बुद्धिजीवियों और नौकरशाहों के अधीन थी. इस विचलन के कुछ कारण ऐतिहासिक भी थे. उपनिवेशों की स्वतंत्रता किसी बड़े संघर्ष के बजाय स्थानीय जनाक्रोश और लोक-जागरण का सुफल थी. उसके पीछे तीव्र वैश्विक घटनाक्रम था, जिसने दुनिया को कई धड़ों में बांट दिया था. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर उनके मूल में जिन जनांदोलनों और वैचारिक क्रांतियों का योगदान था, उनमें से अधिकांश पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध

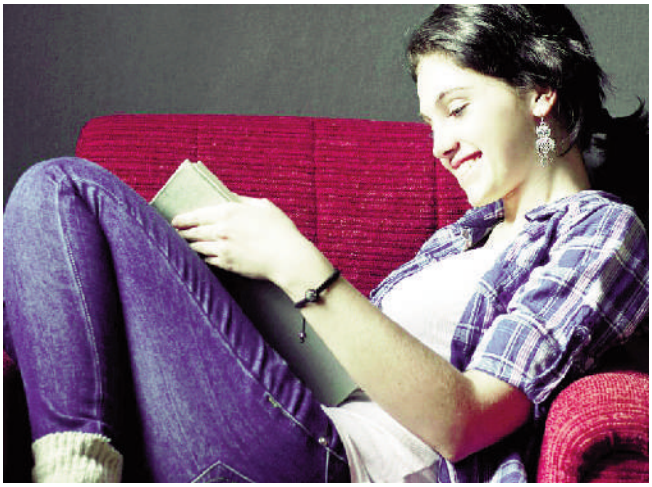

यूरोपीय देशों में जन्मी थीं. दूसरे शब्दों में औपनिवेशिक देशों को यूरोपीय दासता के विरुद्ध मुख्य औजार सीधे पश्चिम; अथवा वहां की वैचारिक प्रेरणाओं के माध्यम से प्राप्त हुए थे. यही कारण है कि आजाद होते उपनिवेशों के बुद्धिजीवियों में पश्चिम के प्रति खास आकर्षण था, जिसके दबाव में शताब्दियों पुरानी राजनीतिक दासता को बिसरा दिया गया था. पश्चिम के प्रति विशिष्ट आकर्षण का स्वरूप विभिन्न वर्गों के लिए अलगझअलग था. जो लोग पहले से ही पश्चिमी संस्कृति के प्रति आकर्षित थे, वे स्वतंत्र होने के बाद भी उसे अपनी जीवन-शैली के रूप में अपनाए हुए थे. पश्चिमी संस्कृति की विशेषताएं यथा भाषा, पहनावा, जीवन-शैली आदि उनके लिए पराए नहीं रह गए थे. वे इन्हें अपनी विशिष्ट पहचान के रूप में, कई बार तो अपने ही देशवासियों से अलग दिखने के लिए अपनाए रहते थे. यह उनके लिए गर्व का विषय था. इस श्रेणी में मुख्यतः अभिजात लोग सम्मिलित थे, जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के निकट रहकर पर्याप्त सुख-सुविधाएं भोगी थीं.

दूसरा वर्ग उन प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का था जो अपने देश और समाज के बौद्धिक नेतृत्व का दावा करते थे. किंतु अपनी वैचारिक प्रेरणाओं के लिए जब-तब पश्चिम की ओर झांकते रहते थे. यह आकस्मिक नहीं था. मानवतावादी विचार तो प्रायः सभी धर्मों और संस्कृतियों में आए थे. और भिन्न भौगोलिक स्थितियों के बावजूद उनमें आश्चर्यजनक एकरूपता थी. लेकिन धर्म-संस्कृति को नैतिकता का आश्रय बताने वाले पारंपरिक विचारों की सीमा थी कि वे सामाजिक न्याय एवं मानव-कल्याण को ईश्वर या उसकी समानधर्मा किसी तीसरी शक्ति की देन के रूप में देखते थे. यूरोपीय देशों की प्रौद्योगिकीय क्रांति ने परंपरागत विचार-शैलियों को चुनौती दी थी. उनमें सबसे प्रमुख धर्म-संबंधी अवधारणा थी. ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तार्किकता के कंधों पर सवार वे क्रांतियां धर्म को सीधे रूप में भले ही नुकसान न पहुंचा पाई हों, लेकिन लोगों के सोच को बदलने, बौद्धिक जड़ता को समाप्त करने में उनका बड़ा योगदान था.

“ यह मान लिया गया है कि विदेशी पूंजी होगी तभी विकास होगा. विकास को अपने भरोसे, अपने श्रम-कौशल द्वारा, अपने ही संसाधनों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है—यह संकल्पना अब लुप्त होती जा रही है. हालांकि इस बात के सहीझसही बहुत कम उदाहरण हैं कि जिन देशों ने विकास किया है, उनमें विदेशी पूंजी का कितना बड़ा योगदान रहा है.

बीमारी की वजह बनी बर्फ, जांच में 95% बर्फ के नमूने फेल

अगर आप भी तपती गर्मी से निजात पाने के लिए बर्फ से बनने वाली चीजों की ओर रुख कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं। हाल में बीएमसी द्वारा बर्फ के गोले, शरबत और जूस की दुकानों से जांच के लिए बर्फ के ढेरों नमूने लिए गए थे। इस जांच में करीबन95 प्रतिशत बर्फ के नमूने फेल हो गए और खाने-पीने लायक नहीं पाए गए।

खतरनाक बैक्टिरिया

74 प्रतिशत बर्फ के नमूनों में पेट की बीमारी फैलाने वाले ई-कोलाई बैक्टिरिया पाए गए। ऐसे में डॉक्टरों ने सड़क किनारे लगने वाली जूस की दुकानों और बर्फ से बनने वाले अन्य उत्पादों से दूरी बनाने की सलाह दी है। मुंबई में इन दिनों तापमान के तेवर चढ़े हुए हैं।

नतीजतन लोग गर्मी से राहत पाने के लिए बाहर खुले में बिकने वाले बर्फ मिश्रित पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फरवरी में बीएमसी द्वारा 363 बर्फ के नमूने होटलों, जूस स्टॉल और डिस्ट्रिब्यूटर्स से कलेक्ट किए गए थे। जांच में 363 नमूनों में 346 नमूने खाने योग्य नहीं थे, जबकि 270 नमूनों में ई-कोलाई बैक्टिरिया होने की बात सामने आई। केईएम अस्पताल के डीन डॉ. अविनाश सुपे कहते हैं, ई-कोलाई बैक्टिरिया से लोगों में चेस्ट व लिवर इन्फेक्शन, जुलाब, उल्टी, बुखार आदि की समस्या हो सकती है। ऐसे में बचाव के मद्देनजर बाहर के अस्वच्छ खाने-पीने वाली चीजों से परहेज करना चाहिए।

बढ़ रही है पेट की बीमारी

दूषित खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन से पेट संबंधी समस्या होती है। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा स्वच्छ और ताजा खाना खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि दौड़ती-भागती जिंदगी में इन बातों का ध्यान रखना लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। शायद यही वजह है कि महानगर में पेट से संबंधित बीमारियों के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी से फरवरी के बीच मुंबई में 1362 लोगों को पेट से जुड़ी बीमारियों की वजह से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। आंकड़े के अनुसार, इस वर्ष जनवरी में 722 और फरवरी में 640 लोग गैस्ट्रो बीमारी की चपेट में आए, जबकि पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 635 और फरवरी में 578 था। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. ओम श्रीवास्तव ने बताया कि ई-कोलाई बैक्टिरिया पेट की बीमारियों को जन्म देने का एक मुख्य कारण है। यह बैक्टिरिया दूषित खाने और पानी में पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर पेट की बीमारियों को जन्म देते हैं।

घर सजाने में की जानेवाली 5 आम डेकोरेटिंग गलतियां

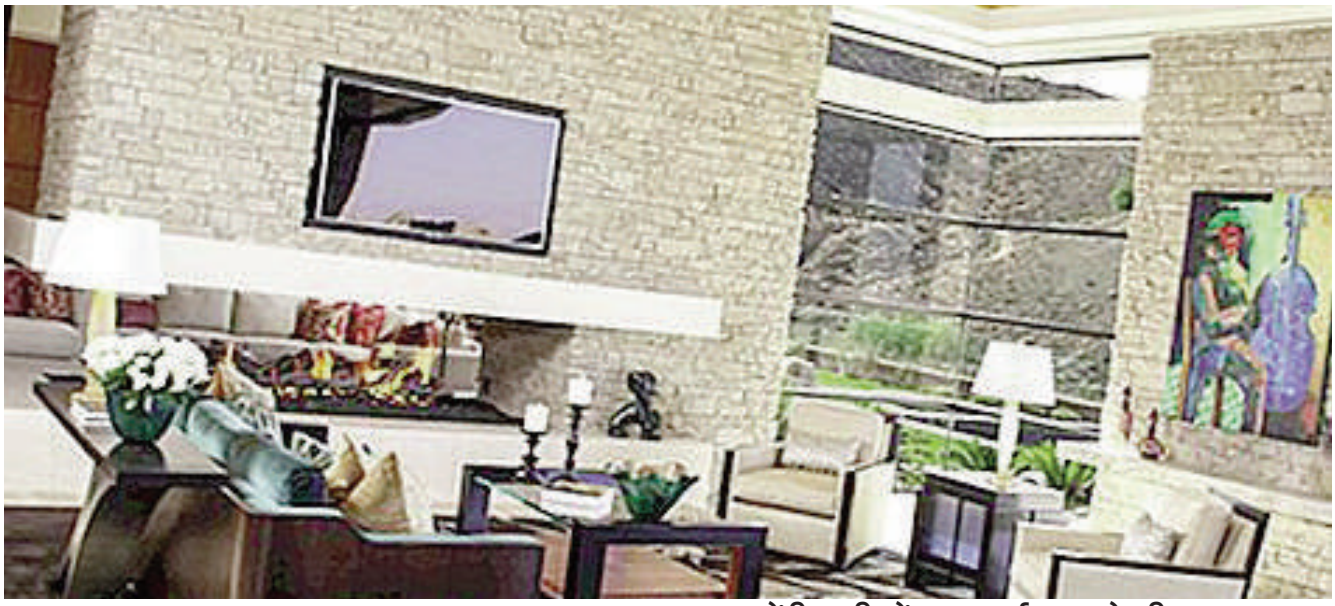

हममें से हर कोई चाहता है कि जो भी उसके घर आए, उसकी साज-सज्जा की तारीफ करे. पूरे जतन से घर को सजाने के बावजूद हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी ओर लोगों का ध्यान बरबस चला जाता है. आइए जानें, लोग घर की साज-सज्जा में कौन-सी आम गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है?

जरूरत से ज्यादा फोटोज का इस्तेमाल

बेशक आप के पास कई ऐसी यादागार तस्वीरें होंगी, जो आपके दिल के करीब होंगी. उन्हें देखकर आपको अच्छा लगता होगा. आप चाहती होंगी कि घर आनेवाले मेहमान भी उन तस्वीरों को देखें. लेकिन यदि आप घर के हर कोने को उन यादगार तस्वीरों से पाट देंगी तो आपका घर बिखरा-बिखरा लगने लगेगा.
यह करें: आप अपनी पसंदीदा फोटोग्राफ़्स का कोलाज केवल एक दीवार पर बनवाएं. यह ध्यान रखें कि फोटोफ्रेम्स सिम्पल और मैचिंग हों.

मैचिंग रंगों का इस्तेमाल

यदि आप घर को कलर करवा रही हैं तो एक बाद दिमाग में बैठा लें कि घर की सारी दीवारों पर मैचिंग कलर करवाने का ट्रेंड बीते जमाने की बात है.
यह करें: अलग-अलग हल्के रंगों के साथ प्रयोग करें. यदि आपको डार्क रंगों से विशेष प्यार हो तो किसी एक दीवार पर इसका इस्तेमाल करें. रंगों को और मोहक बनाने के लिए फर्नीचर और पर्दे के फैब्रिक कलर्स के साथ प्रयोग करें.

जरूरत से अधिक ट्रेंड्स का अनुसरण

कई लोग घर की सजावट के लिए नए ट्रेंड्स का आंख मूंदकर अनुसरण करते हैं. यदि आपकी भी यही आदत है तो आप परेशान में पड़ सकती हैं. होम डेकोर कैटलॉग्स की तरह घर सजाने से आपका अपना अलहदा अंदाज आपके घर की सजावट से गायब हो जाएगा. यह करें: अपने घर को अपने व्यक्तित्व का आईना बनाएं. उसकी सजावट में अपने मौलिक और अनूठे आइडियाज का इस्तेमाल करें. कौन जाने, कल आप ही ट्रेंड सेटर बन जाएं.

ऐंटीक चीजों का प्रदर्शन करने की आदत

घर की सज्जा में दशकों पुराने फर्नीचर्स और सजावटी वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है आपको खूब भाता हो, पर घर आनेवाले मेहमानों को भी रुचे जरूरी नहीं है. आपके ज़िंदगीभर के कलेक्शन के प्रदर्शन से आपका घर अस्त-व्यस्त लग सकता है. यह करें: यदि आपके पास ऐंटीक चीजों का बहुत बड़ा खजाना है तो उनका प्रदर्शन स्मार्ट तरीके से करें. लिविंग रूम को म्यूज़ियम बनाने के बजाय, घर की सजावट की थीम से मेल खाते पीसेस का ही प्रदर्शन करें. कुछ चीजों को रीडिजाइन करके भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

नकली फूलों का इस्तेमाल

घर को सजाने के लिए नकली फूलों के इस्तेमाल से बचना ही ठीक रहता है. नकली फूलों से सजावट हॉलिडे होम्स या बीच हाउसेस में भी अच्छी लगती है. यदि आप अपने घर में इनका इस्तेमाल करेंगी तो ये किसी सस्ते सलून सा एहसास दिलाएंगे. यह करें: यदि आप फूलों से घर सजाना चाहती हैं तो थोड़े पैसे खर्च करें और ताजे फूलों का इस्तेमाल करें.

> कई लोग घर की सजावट के लिए नए ट्रेंड्स का आंख मूंदकर अनुसरण करते हैं. यदि आपकी भी यही आदत है तो आप परेशान में पड़ सकती हैं. होम डेकोर कैटलॉग्स की तरह घर सजाने से आपका अपना अलहदा अंदाज आपके घर की सजावट से गायब हो जाएगा. यह करें: अपने घर को अपने व्यक्तित्व का आईना बनाएं. उसकी सजावट में अपने मौलिक और अनूठे आइडियाज का इस्तेमाल करें.

स्किन टाइप के अनुसार चुनें सीरम

फेस सीरम्स का लिक्विड जैसा टेक्स्चर उन्हें लगाने में आसान और त्वचा द्वारा अवशोषित करने में सहज बनाता है. इसका नियमित इस्तेमाल त्वचा में कुछ ही दिनों में बदलाव दिखाता है. आप इसका इस्तेमाल मॉइस्चराइजर के पहले कर सकती हैं. आमतौर पर सीरम्स एसेंशियल ऑयल्स से बनते हैं, जो त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करते हैं. नियमित रूप से सीरम्स का इस्तेमाल कर आप बेदाग और निखरी हुई त्वचा पा सकती हैं.

फायदे:

* सीरम्स त्वचा को हाइड्रेट कर चिकना बनाते हैं.
* ये क्रीम की तरह चिपचिपे नहीं होते और हमारे रोमछिद्रों को पूरी तरह से ढंकने की बजाय उन्हें सांस लेने का मौका देते हैं.
* फाउंडेशन लगाने के लिए यह चिकना बेस तैयार करते हैं.
* सीरम्स त्वचा में आसानी से प्रवेश कर त्वचा पर क्रीम्स से बेहतर नतीजे देते हैं.

लेकिन बाजार में मौजूद सीरम्स के ढेरों विकल्प इनके चुनाव को मुश्कि ल बनाते हैं. इसलिए हम यहां आपको आपकी स्किन टाइप के अनुसार सही सीरम चुनने का तरीका बता रहे हैं. सीरम चुनते समय कुछ बातों का खास ख़्याल रखें. पहले तो त्वचा की समस्या को जानें और फिर अपने स्किन टाइप के मुताबिक सीरम्स का चुनाव करें.

ऑयली स्किन

यदि आपकी त्वचा ऑयली, संवेदनशील है, तो सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल वाला फेस सीरम चुनें. रोजहिप सीड ऑयल युक्त सीरम भी आपकी त्वचा पर जादुई असर डालेंगे.

ड्राई स्किन

उम्रदराज या ड्राई स्किन के लिए हाइल्यूरॉनिक एसिड और विटामिन-सी युक्त सीरम बिल्कुल उपयुक्त रहेगा. विटामिन-सी की अधिक मात्रा वाले सीरम प्रदूषण से लड़ने में त्वचा की मदद करते हैं. विटामिन सी अशुद्धियों को मात देकर त्वचा की रौनक को बरकरार रखने में मदद करता है.

नॉर्मल स्किन

नॉर्मल स्किन टाइप के लिए ग्लाइकॉलिक एसिड वाला सीरम बेहतर नतीजे देता है. यह त्वचा को तरोताजा और जवां बनाए रखती है. ग्लाइकॉलिक सीरम त्वचा को एक्सफॉलिएट कर, त्वचा की दमक को बढ़ाता है.

यह तो बात थी डे सीरम की, नाइट सीरम में अल्फा-हाइड्रॉक्सी एसिड्स और रेटिनॉइड्स होते हैं, जो त्वचा को सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं. इसलिए इनका इस्तेमाल केवल रात में ही करना चाहिए. रेटिनॉल सीरम ऐंटी एजिंग फायदे पहुंचाता है. इसके अलावा एएचए और बीएचए एसिड्स युक्त सीरम त्वचा को एक्सफॉलिएट कर मृत कोशिकाओं से छुटकारा दिलाते हैं और आपकी त्वचा की कोमलता लौटाते हैं.

नुकसान

वैसे तो सीरम से त्वचा को कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन गलत तरह की स्किन टाइप पर गलत सीरम लगाने से त्वचा को कोई खास फायदा भी नहीं होता है. इसलिए सीरम चुनते वक़्त अपनी स्किन टाइप की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा सीरम को इस्तेमाल करने के तरीके और मात्रा पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है. ड्राइ स्किन वालों को ज्यादा मात्रा में सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं ऑयली स्किन को कम से कम सीरम की जरूरत होती है.

> परिवार में पिता और पुत्र रिलेशन मॉडल ही मुख्यतः काम करता है। पुत्र अपने पिता से साफ, सरल और स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहने से न हिचकें, बात में हमेशा लचीलापन रखें। पिता की धारणाएँ पुत्र के लिए सिद्धांत हो सकता है, लेकिन उनकी बातों से अलग राय रखने में विनम्रता और अनुभवों का लाभ उठाने में भी नही हिचकना चाहिए। परिवार में पारिवारिक समस्याओं में भावनात्मक हेराफेरी सीखने से सभी को बचना चाहिए।

पानी से परवरिश

उत्तर बिहार में पानी अथवा दलदली क्षेत्र लोगों को आर्थिक सम्बल और आजीविका उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाता है लेकिन अब तक इसका पूरा दोहन नहीं हुआ है। हालांकि स्थानीय स्तर पर हुए प्रयास सफलता की कई कहानियाँ बयां करते हैं लेकिन सरकारी प्रयास न के बराबर ही हुए हैं। पानी के अर्थतंत्र के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालती अनिल अश्विनी शर्मा व मोहम्मद इमरान खान की रिपोर्ट

बिहार में दलदली क्षेत्र से मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित होती है

दलदली भूमि (वेटलैंड) का नाम जेहन में आते ही अक्सर लोग-बाग नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं या आमतौर पर लोगों के चेहरे पर नकारात्मकता का भाव उभरता है। लेकिन उत्तर बिहार के दरभंगा जिले के तारवाड़ा गांव के मुन्ना सहनी और सुपौल जिले के दभारी गाँव के दिनेश मुखिया ने अपनी हाड़तोड़ मेहनत के दम पर दलदली भूमि पर लोगों की इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में तब्दील कर दिखाया। उन्होंने दलदली भूमि को उपजाऊ भूमि की तरह ही अपनी आजीविका का मुख्य साधन बनाया। मुन्ना सहनी कहते हैं, ह्लमेरे लिये दलदली भूमि बेकार की भूमि नहीं है बल्कि यह पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सबसे समृद्ध हिस्सा है। मैं इसी दलदली भूमि पर मछली पालन व मखाने की खेती साथ-साथ कर रहा हूँ और इससे अच्छी-खासी आमदनी (प्रति एकड़ 15 से 18 हजार रुपए) हुई है। मुन्ना सहनी एवं दिनेश मुखिया, दोनों ही छोटे किसान हैं और पिछले कुछ सालों के विपरीत अब उनके चेहरों पर चिन्ता नजर नहीं आ रही। क्योंकि उन्होंने दलदली क्षेत्रों को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। किसी समय घोर उपेक्षित रहने वाले ये दलदली क्षेत्र अब इनके और इनके पड़ोसियों के लिये आजीविका का मुख्य स्रोत बन चुके हैं। ये किसान मुख्यतया मछुआरा जाति से हैं, जिन्हें स्थानीय लोग सहनी या मल्लाह कहकर बुलाते हैं। इनकी ही तरह सैकड़ों अन्य किसान भी हैं जो पहले की तुलना में अब काफी खुशहाल हैं। स्थानीय भाषा में इस जमीन को ह्यचौरह्ल कहा जाता है और अब तक इसे बंजर या बेकार ही समझा जाता था। लेकिन अब इन दलदली क्षेत्रों में मत्स्य पालन के साथ-साथ मखाना व सिंघाड़ा जैसी जलीय फसलों की खेती हो रही है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वर्षों से बेकार पड़े इन दलदली क्षेत्रों के एक या दो एकड़ के छोटे टुकड़ों पर ही मत्स्य पालन या मखाने की खेती कर रहे हैं। हालांकि इन दलदली क्षेत्रों का लाभ अकेले छोटे एवं हाशिए पर पड़े किसान ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि कई अन्य लोगों ने भी इस भूमि को लाभप्रद बनाने के लिये भारी निवेश किया है। उदाहरण के लिये मुजफ्फरपुर जिले में सराय्या ब्लॉक के नरसन चौर को लिया जा सकता है, जहाँ राजकिशोर शर्मा व राजेश शर्मा ने संयुक्त उद्यम की शुरूआत की है। इसके अलावा शिवराज सिंह भी मुजफ्फरपुर जिले के ही बंद्रा ब्लॉक में आने वाली कोरलाहा चौर में सफलतापूर्वक मत्स्य पालन कर रहे हैं। इसके अलावा वह दलदली भूमि का एक और बड़ा हिस्सा इसी काम के लिये विकसित करने में जुटे हुए हैं। उत्तरी बिहार में इनके जैसे लगभग 24 से अधिक लोग इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं।

मुन्ना सहनी दरभंगा जिले के किरतपुर ब्लॉक के अन्दर आने वाले तारवाड़ा गाँव में लगभग 10 एकड़ दलदली भूमि में मखाने की खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन भी कर रहे हैं। लेकिन दिनेश ने सुपौल जिले के सुपौल ब्लॉक में पड़ने वाले दभारी गाँव में भूमि मालिकों (किसानों) से पट्टे पर लगभग 50 एकड़ की दलदली भूमि ली है। वह कहते हैं, ह्लआठ साल पहले तक दलदली भूमि का कोई उपयोग नहीं था। भूमि मालिकों को इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैंने एक पहल की और शुरूआत में कुछ एकड़ में मछली पालन के साथ-साथ मखाने की खेती शुरू की। बाद में मैंने उसका और विस्तार भी किया।

मुन्ना व दिनेश दोनों को मत्स्य पालन एवं मखाने की खेती के लिये और दलदली भूमि की आवश्यकता है। वे और भी जमीन पट्टे पर लेकर इस दिशा में निवेश करना चाहते हैं लेकिन पूँजी के मामले में स्थानीय प्रशासन एवं बैंकों की

उदासीनता आड़े आ रही है। मुन्ना कहते हैं, ह्लमेरे पास पूँजी नहीं है, सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। आज से पाँच साल पहले तक मुन्ना कोसी नदी में बालू खोद कर एवं उसे बेचकर जीवन-यापन किया करते थे। लेकिन आज वे खुश हैं। वे पूरे ब्लॉक में अकेले ऐसे हैं जिसने अपनी आजीविका के लिये दलदली भूमि के उपयोग का एक मॉडल विकसित करने में सफलता तो पाई है, साथ ही अन्यों के लिये भी रोजगार के अवसर बनाए हैं। वह कहते हैं, ह्लगभग 20 से 25 स्थानीय लोग मेरे साथ मजदूरी या अन्य सम्बन्धित कामों में लगे हैं। मेरे तालाबों से मछलियाँ खरीदकर लोग उन्हें बेच भी रहे हैं। प्रारम्भ में सुधार धीमा और लाभ कम था लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हम खुश हैं कि दलदली भूमि ने हमारी किस्मत बदल दी है। इन दलदली क्षेत्रों की बदौलत मेरा जीवन स्तर पाँच वर्ष पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया है। मैं और दस एकड़ जमीन पट्टे पर लेना चाहता हूँ।

बिहार के दलदली क्षेत्र की मखाना एक अहम उपज है

मुन्ना बताते हैं कि जहाँ तक दलदली क्षेत्रों की बात है, सरकार से मिली छोटी सी सहायता भी उनके जैसे लोगों की मदद कर सकती है और एक बड़ा बदलाव ला सकती है। सरकार चाहे तो बहुत विकास हो सकता है। उनसे प्रेरित होकर तीन अन्य लोगों ने अलग-अलग चौर में ऐसा ही करने की कोशिश की लेकिन निवेश के लिये धन की कमी के कारण उन्हें काम बीच में ही बन्द करना पड़ा। दिनेश ने कहा सरकार से मिली थोड़ी सी मदद हम जैसे लोगों के लिये, जो कि कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी बड़ी राहत होगी। कुछ मदद मिल जाए तो बड़ा बदलाव सम्भव है। पैसे की कमी से कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग इस क्षेत्र में आने के लिये उत्सुक हैं।

> मैं इसी दलदली भूमि पर मछली पालन व मखाने की खेती साथ-साथ कर रहा हूँ और इससे अच्छी-खासी आमदनी (प्रति एकड़ 15 से 18 हजार रुपए) हुई है। मुन्ना सहनी एवं दिनेश मुखिया, दोनों ही छोटे किसान हैं और पिछले कुछ सालों के विपरीत अब उनके चेहरों पर चिन्ता नजर नहीं आ रही। क्योंकि उन्होंने दलदली क्षेत्रों को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया है।

बेरोजगारी के लिए हो ठोस उपाय

हमारा राष्ट्र आज दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, खेल, प्रौद्योगिकी व रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और यह उम्मीद भी है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम विश्व की पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। मगर, स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता के पथ पर सतत गतिमान भारत की इस राह का सबसे बड़ा रोड़ा है जनसंख्या विस्फोट। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही आबादी विकास योजनाओं पर भारी पड़ती जा रही है। आप चाहे कहीं भी हों; सड़क, बाजार, रेलवे स्टेशन, सामाजिक या सार्वजनिक समारोह, सभी जगह सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 762 करोड़ है, जिसमें से 135 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। यानी दुनिया की कुल आबादी में 17.9 प्रतिशत भारतीय हैं। चीन के बाद हमारा देश दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला वाला देश है। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी जो आज चार गुना तक बढ़ गयी है। इनमें आधे बिलियन से अधिक भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारी आबादी में हर दिन पचास हजार की वृद्धि हो रही है। अगर हमने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाई तो 2027 तक चीन को पछाड़ कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। गौरतलब हो कि 11 जुलाई 1987 को जब विश्व की जनसंख्या ने पांच अरब का आंकड़ा छुआ तो देश-दुनिया के प्रबुद्धजनों का ध्यान इस ओर गया कि धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर मानव आबादी को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। तब इस विशेष दिन को यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम द्वारा ह्यविश्व जनसंख्या दिवसह्ल घोषित कर प्रति वर्ष इसे मनाने की परम्परा डाली गयी ताकि जनसंख्या को काबू रखने के लिये लोगों को शिक्षित एवं जागरूक किया जा सके। सनद रहे कि आजादी के बाद 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। बावजूद इसके आज हमारे देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, वह वाकई चिंताजनक है। यूं तो अलग-अलग देशों में देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के अलग-अलग कारण होते हैं मगर भारत के संदर्भ में कारणों की पड़ताल करें तो पाएंगे कि वर्तमान में इसका सबसे बड़ा कारण देश की कुल जनसंख्या में 60 प्रतिशत से ज्यादा युवाओं का होना है। जाहिर है, जिस देश में साठ प्रतिशत से ज्यादा प्रजनन आयु समूह के युवा होंगे, वहां आप फर्टिलिटी को कम करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, समुचित जीवन दृष्टि के अभाव में जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी। इसके अतिरिक्त जन्मदर में वृद्धि, मृत्युदर में कमी, निर्धनता, धार्मिक एवं सामाजिक अन्धविश्वास, शिक्षा का अभाव इत्यादि कारणों से भी आबादी पर नियंत्रण टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसके अलावा जल्दी शादी होने से गर्भधारण करने की अवधि भी बढ़ जाती है। आबादी के तेजी से बढ़ने का एक अन्य कारण गरीबी और निरक्षरता भी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत अब भी गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण विधियों के इस्तेमाल में पीछे है। मुस्लिम वर्ग में बहु-विवाह की प्रथा तथा कई बच्चों को अल्लाह की देन मानने की सोच ने भी इस समस्या को जटिल बनाता है। अवैध प्रवास भी आबादी बढ़ने का एक अन्य कारण है। हम इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि बांग्लादेश, नेपाल से अवैध प्रवासियों की लगातार वृद्धि से भी देश के जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी हुई है। देश में जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता के नाम पर साल दर साल विभिन्न कार्यक्रम चलाने की कवायद की गयी। बढ़ती आबादी का सबसे बुरा असर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। इस तरह बढ़ती हुई आबादी ने हमारे प्राकृतिक ताने-बाने को क्रूरता से क्षतिग्रस्त कर डाला है। रोजगार की तलाश में शहरों को पलायन की प्रवृति जनसंख्या असंतुलन का बड़ा कारक है। नगरों में यदि एक ओर बढ़ती नागरिक सुविधाएं हैं तो दूसरी ओर तेजी से पैर पसारते स्लम। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में 40 फीसदी आबादी स्लम के प्रदूषित गटर और नाले किनारों के नारकीय माहौल में रहती है। भारी आबादी को राहत पहुंचाने का सरकारी प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा नजर आता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की विकराल समस्या हमारे सामने है। यदि जनसंख्या विस्फोट यूं ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान की विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

> “ आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी जो आज चार गुना तक बढ़ गयी है। इनमें आधे बिलियन से अधिक भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारी आबादी में हर दिन पचास हजार की वृद्धि हो रही है। अगर हमने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाई तो 2027 तक चीन को पछाड़ कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा।

शिक्षा का स्तर गिरने में राजनीति है जिम्मेवार!

राजनीति का अपना चरित्र है। सत्ता में आने पर पिछली सरकारों की सभी उपलब्धियों को नकारना और भूतपूर्वो को अक्षम घोषित करना सत्ता पक्ष अपना महत्त्वपूर्ण कर्मकाण्ड मानता है तो विपक्ष भी वर्तमान की हर उपलब्धि को अपनी सरकार की योजना बताकर वर्तमान सरकार को नाकारा बताना जरूरी समझता है। दोनों की दृष्टि में लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा वह है जो वे तय करे क्योंकि उनका .मनमानाइ आचरण ही लोकतंत्र की कसौटी है परंतु एक से बढ़कर तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं। देश की जनता राजनीति के इस खेल को अच्छी तरह से समझते हुए भी मौन रहती है लेकिन कष्ट तब होता है जब शिक्षा को भी राजनीति की बलिवेदी पर विकृत और अपमानित किया जाता है।

व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद जगाकर दिल्ली में सत्ता में आये लोगों ने भी पिछली सरकारों को शिक्षा की अनदेखी करने के आरोपों से नवाजते हुए शिक्षा के मंदिरों में अपने नेताओं के चित्रों वाले हार्डिंग भी लगाये। शायद उनका विश्वास था कि क्रांतिकारी नेताओं के चित्रों से ही शिक्षा में सकारात्मक बदलाव होगा। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में हुए इस कायाकल्प से शिक्षा का स्तर कितना .ऊंचाइ उठा, इसके लिए स्वयं उन्हीं के बयानों से अनुमान लगाया जा सकता है। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्य संभाल रहे माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि हाल ही में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आयोजित .प्री बोर्ड टैस्टइ के परिणाम निराशाजनक ही नहीं, अपमानजनक हैं क्योंकि मात्र 10 प्रतिशत छात्र ही इसे पास कर सके हैं, इसलिए इन स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

शिक्षा के स्तर में इस .क्रांतिकारी परिवर्तनइ का श्रेय शिक्षकों को दिया जाये या व्यवस्था को, इस पर बहस चलती रहेगी। फिलहाल शिक्षकों का कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हजारों पद रिक्त हैं तो दूसरी ओर शिक्षा के वातावरण का अभाव है। अनुशासन कायम रखने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है जबकि शिक्षक किसी उदण्ड छात्र को दण्डित करना तो दूर, उन्हें डांट भी नहीं सकते।

अनेक मामलों में शिक्षक न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में छात्रों के दबाव में है। गत दिवस यमुनानगर में एक छात्र ने प्रधानाचार्य को गोली मार दी तो वेल्लोर के एकं छात्र ने अपने प्रधानाचार्य को चाकू घुसेड़ दिया। पिछले साल दिल्ली के एक विद्यालय में कक्षा में घुसकर छात्र ने शिक्षक की हत्या कर दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो शिक्षा के उचित वातावरण की अनुपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। ऐसे वातावरण में किसी शिक्षक को .राष्ट्र-निमार्ताइ कहा जाना किस तरह उचित है।

“ व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद जगाकर दिल्ली में सत्ता में आये लोगों ने भी पिछली सरकारों को शिक्षा की अनदेखी करने के आरोपों से नवाजते हुए शिक्षा के मंदिरों में अपने नेताओं के चित्रों वाले हार्डिंग भी लगाये। शायद उनका विश्वास था कि क्रांतिकारी नेताओं के चित्रों से ही शिक्षा में सकारात्मक बदलाव होगा। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में हुए इस कायाकल्प से शिक्षा का स्तर कितना .ऊंचाइ उठा, इसके लिए स्वयं उन्हीं के बयानों से अनुमान लगाया जा सकता है।

दूसरी ओर राजनीति का असर है कि किसी तरह नियुक्ति पा गये कुछ शिक्षक भी .क्रांतिकारीइ हैं। मध्यप्रदेश के एक जिलाधिकारी ने अपने दौरे के अवसर पर एक शिक्षक से स्कूल का नाम ब्लैकबोर्ड पर लिखने को कहा तो उसने .गवर्नमेंट मिडिल स्कूलइ का नाम ही गलत लिखा जबकि उसी कक्षा के एक बच्चे ने उसे सही लिखा। एक स्कूल की अध्यापिका से .मिडिलइ की स्पेलिंग पूछी गई तो उसने हाथ जोड़ लिए। केवल मध्यप्रदेश ही क्यों, कुछ समय पूर्व जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। दक्षिण कश्मीर के एक अध्यापक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने उसपर .अयोग्यताइ का आरोप लगाया तो कोर्ट ने उसे अंग्रेजी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए एक आसान सी पंक्ति दी जिसका वह अनुवाद नहीं कर सका। और तो और, वह अध्यापक बेहद आसान सी परीक्षा में पास नहीं हो सका जब वह .गायइ पर निबंध भी नहीं लिख सका था। गत वर्ष एक राज्य विशेष में सामूहिक नकल के चित्रों ने सभी को शर्मसार किया। यह संतोष की बात है कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार नकल पर सख्ती से रोक लगाने जा रही है लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम तभी सामने आयेंगे जब ऐसे प्रयासों को क्षुद्र राजनीति से दूर रखा जाये क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने शिक्षा के स्तर में सुधार के प्रयासों में नकल पर रोक लगाने की घोषणा की तो विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए सत्ता में आने पर उस कानून को निरस्त करने का वादा किया। राजनीतिक लोग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बातें तो अक्सर करते हैं पर कोई गंभीरता नहीं दिख सके हैं। केवल अपना नाम लिखना -पढ़ना ही साक्षरता का मापदंड है तो शिक्षा के स्तर पर चर्चा निरर्थक है। इस बात से इंकार नहीं कि सरकारी से अधिक निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आई है। हर साल लाखों डाक्टर, इंजीनियर तैयार होते हैं। ला और एमबीए जैसे अनेकानेक कोर्स पास करने वालों की संख्या भी लाखों में होती है परंतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ों लोगों के बच्चों का शिक्षा के स्तर क्या है, इसपर चुप्पी क्यों? क्या शिक्षा व उनका जीवन स्तर सुधारे बिना भारत का विकास संभव है?

वह राष्ट्र जो अग्रणी स्थान पाने का जोश दिखा रहा हो, वहां शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न उठना ही चाहिए। यह भी विचारणीय है कि हमारे एक भी विश्वविद्यालय को विश्व रैंकिंग में क्यों स्थान प्राप्त नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति की घुसपैठ इसके लिए जिम्मेवार हो। युवा छात्रों को राष्ट्रद्रोही नारो में उलझकर शिक्षा के स्तर को किस प्रकार ऊंचा उठा सकते हैं, इस पर भी गैर राजनीतिक और ईमानदार शोध की आवश्यकता है। शिक्षा के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन किये बिना विश्वगुरु तो बहुत दूर की बात है, न तो शिक्षा का स्तर सुधार सकता है और न ही .डिजिटल इण्डियाइ और .स्किल्ड इण्डियाइ सफल हो सकते हैं। क्या हम अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात से इंकार कर सकते हैं कि आजतक हम जाति से ऊपर नहीं उठ सके हैं। जनगणना से अधिक जोर जातिगणना के आंकड़ों पर है। साक्षरता से सजातीयता प्रिय होने के कारण शिक्षा के स्तर पर चर्चा की जरूरत महसूस नहीं होती। शायद उन्हें निरक्षर रखकर शासन करने की सोच बदली नहीं है। यह विशेष स्मरणीय है कि सन् 1911 में महान देशभक्त श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बिल पेश किया था तो ग्यारह हजार बड़े जमींदारों के हस्ताक्षरों वाली याचिका में कहा गया था कि .अगर गरीबों के बच्चे स्कूल जाएंगे तो जमींदारों के खेतों में काम कौन करेगा। बेशक शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है लेकिन सूचना क्रांति के इस दौर में आज भी देश के एक चौथाई स्कूलों में भी शिक्षा प्रदान करने वाले आधुनिक संसाधन होना तो दूर, उनका नाम तक नहीं जानने वाले लोग मौजूद है। अनेक स्थानों पर कम्प्यूटर है भी तो ताले में बंद है। ढेरों पद रिक्त हैं। ऐसे में गुणवत्ता की चिंता करे भी तो कौन? शिक्षा के स्तर पर चर्चा अधूरी और निरर्थक रहेगी यदि हम देश के शिक्षकों की दशा और दिशा को अनदेखा करें। क्या यह सत्य नहीं कि हमारी नई पीढ़ी डाक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस, जज, मैजिस्टेट तो बनना चाहती है पर शिक्षक नहीं बनना चाहती। यदि प्राथमिकता, .कहीं नहीं तो यहीं सहीइ की मजबूरी से कोई शिक्षक बनता है तो स्पष्ट है कि न तो समाज और सरकारें शिक्षक के प्रति कहीं न्याय कर पा रही है और न ही ऐसे शिक्षक भी अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सकते हैं। अभी हाल ही में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में शिक्षा के ढांचे में सुधार पर बल दिया गया है। शीघ्र ही शिक्षा का नया सत्र आरंभ होने जा रहा है। शिक्षा प्रणाली की कमियों को सभी स्वीकार तो करते हैं परंतु उसके सुधार में लगभग सभी के कदम लडखड़ाते रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है नीति आयोग की तरह शिक्षा आयोग बनाकर यह कार्य राजनीति की बजाय योग्य शिक्षाविदों और समर्थ समाजशास्त्रियों को सौंपा जाये। यदि नीति निर्माण के कार्य से राजनेता दूर रहे, तभी शिक्षा और ज्ञान को केवल नौकरी पाने का माध्यम बनाने की बजाय चरित्र निर्माण का माध्यम बनाये जाने पर विचार संभव है।

“ दूसरी ओर राजनीति का असर है कि किसी तरह नियुक्ति पा गये कुछ शिक्षक भी .क्रांतिकारीइ हैं। मध्यप्रदेश के एक जिलाधिकारी ने अपने दौरे के अवसर पर एक शिक्षक से स्कूल का नाम ब्लैकबोर्ड पर लिखने को कहा तो उसने .गवर्नमेंट मिडिल स्कूलइ का नाम ही गलत लिखा जबकि उसी कक्षा के एक बच्चे ने उसे सही लिखा। एक स्कूल की अध्यापिका से .मिडिलइ की स्पेलिंग पूछी गई तो उसने हाथ जोड़ लिए।

'जरूरी' और 'मजबूरी' के बीच झूलती हमारी भाषायी संवेदना

दिल्ली सहित देश के महानगरों में पिछले कुछ दशकों में .पब्लिक स्कूलइ संस्कृति बहुत तेजी से फैली हैं। गली-गली निजी स्कूल खुल गये हैं जो .अंग्रेजी माध्यमइ होने का दावा करते हैं। यहां प्रवेश पाकर .गुड मार्निंगइ और एक-दो पाईम रटने वाले अपने छोटे-छोटे बच्चों को देख फूले नहीं समाते। इसे दुर्भाग्य कहें या मजबूरी लेकिन सत्य यही है कि केवल मध्यम वर्ग ही नहीं, निम्न-मध्यम वर्ग, यहां तक कि किराये के मकान में रहकर किराये का रिक्शे चलाने वाले, पटरीवाले भी अपने बच्चे को बेशक दड़बेनुमा स्कूल ही क्यों न हो लेकिन .अंग्रेजीइ माहौल से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की संख्या दिल्ली के कुल छात्रों का एक चौथाई भी नहीं है। इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि तीन -चौथाई से अधिक प्राथमिक कक्षाओं के छात्र पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या झेल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि .मातृभाषा में विद्यार्थी को अपना विषय समझने में सरलता और सुगमता होती है जबकि विदेशी भाषा में विषय काफी समय तक समझ में नहीं आते या आधे- अधूरे ही आते हैं। उस पर अंग्रेजी की अवैज्ञानिक वर्तनी और उच्चारण को सीखने में वर्षों लग जाते हैं। समय-समय पर बनाये गये विभिन्न आयोगों ने भी अपनी सिफारिशों में इसी बात पर बल दिया लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि अपने- अपने समय में हर दल की सरकार ने इन सिफारिशों को ठण्डे बस्ते के हवाले करना ही उचित समझा। विशेषज्ञों के अनुसार, .विदेशी भाषा सीखना जितनी जल्दी शुरू किया जाए, उतना बेहतर है। मातृ-भाषा विदेशी भाषा सीखने के राह में रुकावट है। विदेशी भाषा सीखने का अच्छा तरीका इसका शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।इ को अंधविश्वास बताया है जबकि वास्तविकता यह है कि मातृ-भाषा की मजबूत नींव से विदेशी भाषा बेहतर सीखी जा सकती है। यह सर्वविदित है कि आचार्य विनोबा भावे ने देवनागरी के माध्यम से अनेक विदेशी भाषाएं सीखी। विदेशी माध्यम से बाल मन पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। ऐसे में बच्चा .आधा तीतर, आधा बटेरइ होकर न तो ढंग से मातृभाषा सीखा पाता है और न ही विदेशी भाषा।

जहां तक राजकीय विद्यालयों का प्रश्न है, वहां प्रतिदिन मिड डे मील, मुफ्त पुस्तकें, मुफ्त बस्ता, सर्दी में मुफ्त स्वेटर, कुछ वर्गों को आर्थिक अनुदान, वजीफा सहित बहुत कुछ दिया जाता है। इसके बावजूद दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से मध्यम वर्ग पहले ही दूरी बना चुका है अतः वहां किस वर्ग के बच्चे हाजिरी लगाते हैं, यह कोई पहेली नहीं है। आरोप यह भी है कि कुछ लोग यहां अंग्रेजी लाने के इसलिए विरोधी हैं ताकि अंतर बना रहे लेकिन वास्तविकता यह है कि जो लोग इन चन्द अंग्रेजी रहित स्कूलों में अंग्रेजी लादने का विरोध कर रहे हैं वे समस्या का केवल एक पक्ष देख अथवा दिखा रहे हैं। क्या मात्र इन स्कूलों को अंग्रेजी से दूर रखना समस्या का समाधान हैं? वे यह क्यों नहीं जानना चाहते कि इन स्कूलों में छात्रों का प्रतिशत लगातार क्यों गिर रहा है? क्या इसका कारण इन स्कूलों में पढ़ाई के स्तर के साथ-साथ अंग्रेजी को न होना नहीं है? अधिसंख्यक लोगों के व्यवहार

> इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की संख्या दिल्ली के कुल छात्रों का एक चौथाई भी नहीं है। इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि तीन -चौथाई से अधिक प्राथमिक कक्षाओं के छात्र पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या झेल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि .मातृभाषा में विद्यार्थी को अपना विषय समझने में सरलता और सुगमता होती है जबकि विदेशी भाषा में विषय काफी समय तक समझ में नहीं आते या आधे- अधूरे ही आते हैं।

और वातावरण के साथ चलना आम आदमी की मजबूरी है।

एक रिक्शा चालक, घर-घर जाकर बर्तन साफ करने वाली, सफाई करने वाले, कपड़े धोने वाले, सब्जी बेचने वाले का वास्ता हर क्षण ऐसे लोगों से पड़ता है जो .सड़सठइ नहीं समझते। उनके लिए सिक्सी ऐट जानना जरूरी है। सच तो यह है कि वे ग्यारह, बारह क्या दो, तीन, चार भी नहीं जानते। उनके साथ संवाद, व्यवहार, व्यापार, लेन-देन करने के लिए उन्हें भी गलत या सही अंग्रेजी सीखने की आवश्कता महसूस होती है। जो स्वयं अंग्रेजी नहीं सीख सके, वे अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अतः उनका सरकार पर दबाव है कि उन स्कूलों में भी अधिकांश स्कूलों की तरह अंग्रेजी होनी चाहिए। ऐसी मांग करने वालों की मजबूरी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह कहना अपनी जगह सही हो सकता है कि नगर निगम के स्कूलों को निजी स्कूलों से मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई का स्तर सुधार कर वे उन स्कूलों से बेहतर परिणाम दे सकते है। दरअसल इस तर्क में आवाज जरूर है परंतु लडखड़ाती हुई कमजोर आवाज। वास्तव में केवल शिक्षा में ही नहीं, जीवन के हर स्तर पर तुलना का दौर है। लगभग सभी सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से तुलना करते हुए अपने छात्रों के गले में टाई तो बंधवा ही चुके हैं। वेशभूषा से परिवेश तक हर जगह तुलना की परिपाटी के बीच आप अंग्रेजी सीखने की मजबूरी को नजरअदाज कैसे कर सकते हैं? अनेक विद्वान, शिक्षाविद इन स्कूलों में प्रथम कक्षा से अंग्रेजी लागू करने की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। विश्व के अनेक देशों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं लेकिने वे जरा अपने मन को टटोल कर उत्तर जानने की कोशिश करें कि क्या यहां शेष परिस्थितियां उन देशों जैसी है? अपनी शासन प्रणाली, संविधान, अपने नेताओं का आचरण, संसाधन, परिवेश, अपरिपक्वता तथा विभिन्न वर्गों में बंटे समाज और सबसे बड़ी बात नैतिकता के बड़े -बड़े दावे करने वालों के खोखले चरित्र को बदले बिना इस भाषाई पाखंड को कैसे दूर किया जा सकता है?

यह भी विचारणीय है कि क्या मात्र इन स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी रोकना पर्याप्त हैं? अगर अंग्रेजी को इस स्तर पर रोकना है तो देश के सभी स्कूलों में चाहे वे राजकीय हों अथवा निजी- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम केवल स्थानीय भाषा और छठी से स्थानीय भाषा के साथ हिंदी को किया जाना चाहिए जिसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, रशियन या अन्य विश्व की कोई भी भाषा सीखनी या सिखानी हो, वह उसे एक विषय के रूप में ऐसा कर सकता है। बहुत संभव है एक बहुत बड़ी लाबी जो अंग्रेजी को आधुनिक ज्ञान की .बैकबोनइ मानती है वे इस प्रस्ताव के विरोध में आसमान सिर पर उठा लें। उनके लिए अंग्रेजी के बिना विश्व से नाता टूट जायेगा।

बेशक जर्मनी, जापान, चीन, रशियो आदि अधिकांश देश अंग्रेजी के बिना आसमान छू सकते हों लेकिन भारत में अंग्रेजी नहीं रही तो प्रलय हो जायेगा। शिक्षा का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बताने वाले अपनी करनी से बाज नहीं आयेंगे तो क्यों न लोकतंत्र में बहुमत के बल पर भारतीय भाषाओं के पक्षधर सभी राजनैतिक दलों पर सरकारी नौकरियां केवल उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों के लिए आरक्षित करने का कानून बनाने का दबाव बनाये। यदि यह संवैधानिक प्रावधान कर दिया जाये तो अंग्रेजी की मजबूरी से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि बेशक भाषा संवाद का माध्यम है लेकिन उसका रोजी -रोटी से भी संबंध होता है। जिस भाषा की जानकारी का रोजगार से कोई संबंध होगा, आप लाख चाहकर भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। शायद राष्ट्रपति जी के मन में भी जरूर यह विचार रहा होगा कि अपनी भाषाओं का रक्षण जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा है अतः उनकी अभिव्यक्ति साधारण से साधारण भारतीय के प्रतिनिधि की आवाज है।

वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अपनी भाषाओं की अनदेखी करते हुए विदेशी भाषा को तरजीह दी गई तो सामान्यजन के मन में विदेशी भाषा के प्रति आकर्षण का रोका नहीं जा सकता। निश्चित रूप से आरंभिक शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं होना चाहिए।

“ यह भी विचारणीय है कि क्या मात्र इन स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी रोकना पर्याप्त हैं? अगर अंग्रेजी को इस स्तर पर रोकना है तो देश के सभी स्कूलों में चाहे वे राजकीय हों अथवा निजी- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम केवल स्थानीय भाषा और छठी से स्थानीय भाषा के साथ हिंदी को किया जाना चाहिए जिसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, रशियन या अन्य विश्व की कोई भी भाषा सीखनी या सिखानी हो।

कौन हैं किन्नर?

हिजड़ा उर्दू एवं हिंदी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग तृतीय प्रकृति के लोगों के संदर्भ में किया जाता है। इस वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। किन्नर इसी वर्ग के लिए एक संबोधन है। तेलुगु भाषा में हिजड़े के लिए नपुंसकुडु, कोज्जा या मादा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तमिल भाषा में इसके समतुल्य शब्द थिरु नंगई, अरावनी हैं। जहां पंजाबी में इनके लिए खुसरा शब्द का प्रयोग होता है वहीं गुजराती में इन्हें पवैय्या कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इनके लिए जोगप्पा शब्द प्रचलन में है। भारत में कई जगह इस समुदाय के लोगों के लिए कोठी शब्द का प्रयोग भी होता है। अंग्रेजी में इन्हें युनक कहा जाता है।

इनकी देश में अनुमानित संख्या सवा दो लाख से अधिक है। संयुक्त रूप से इन्हें किन्नर समुदाय अथवा आधुनिक पाश्चात्य भाषा में ट्रांसजेंडर्स या ह्यटी।जी। समुदाय माना जाता है, जिनके अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए देश में कोई कानून न होने के कारण उन्हें अनेक परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि इस वर्ग को वर्तमान व्यवस्था में न तो पुरुष माना जाता है और न ही स्त्री। प्राचीनतम रूप में इन्हें नपुंसक की भी संज्ञा दी गई जिसका प्रचलित रूप ही हिजड़ा है। देश के किन्नर समुदायों के लोगों ने एक समिति के माध्यम से अपने विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों की मांग के साथ उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता की मांग की। अंततः प्राधिकरण की याचिका को ही मुख्य याचिका मानकर यह निर्णय दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने मामले के तथ्यों और सबूतों का अध्ययन करने के बाद अनुभव किया कि वास्तव में यह वर्ग देश में उपेक्षित है और इसे तत्काल विधिक और संविधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। चूंकि इनके पक्ष में किसी भी कानून का अभाव था, अतः न्यायालय ने इन्हें एक व्यक्ति मानते हुए किसी ह्यव्यक्तिह्न को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मूल मानवाधिकार तथा देश के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वयं इनके पक्ष में निर्वचन करते हुए यह निर्णय दिया है।

किन्नरों के पक्ष में न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1) (क) और 21 के अंतर्गत देश के व्यक्तियों/नागरिकों को प्रदत्त सभी मूल अधिकारों को किन्नरों के भी पक्ष में विस्तारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया है-

विधि के समक्ष समता का अधिकार (अनुच्छेद 14)

संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद व्यक्ति को केवल पुरुष और स्त्री तक ही सीमित नहीं करता है। हिजड़ा या

“ इनकी देश में अनुमानित संख्या सवा दो लाख से अधिक है। संयुक्त रूप से इन्हें किन्नर समुदाय अथवा आधुनिक पाश्चात्य भाषा में ट्रांसजेंडर्स या ह्यटी।जी। समुदाय माना जाता है, जिनके अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए देश में कोई कानून न होने के कारण उन्हें अनेक परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि इस वर्ग को वर्तमान व्यवस्था में न तो पुरुष माना जाता है और न ही स्त्री। प्राचीनतम रूप में इन्हें नपुंसक की भी संज्ञा दी गई ।

ट्रांसजेंडर, जो न तो पुरुष हैं और न ही स्त्री, भी शब्द व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राज्य के उन सभी क्षेत्र के कार्यों, नियोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तथा समान सिविल और नागरिक अधिकारों, जिनका उपभोग देश के अन्य नागरिक कर रहे हैं, ये वर्ग भी विधियों का कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का हकदार है। अतः उनके साथ लिंगीय पहचान या लिंगीय उत्पत्ति के आधार पर विभेद करना विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का उल्लंघन करता है।

किन्नरों के साथ लिंग-विभेद (अनुच्छेद 15 एवं 16)

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 संयुक्त रूप से लिंगीय पक्षपात या लिंगीय विभेद को प्रतिबंधित करते हैं। इनमें प्रयोग किया गया शब्द लिंग केवल पुरुष या स्त्री के जैविक लिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत वे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं को न तो पुरुष मानते हैं और न स्त्री। अतः ये वर्ग इन अनुच्छेदों के संरक्षण के साथ-साथ अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के द्वारा प्रदत्त आरक्षण का भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसे देने के लिए राज्य बाध्य है।

वास्तव में ये अनुच्छेद ह्यसामाजिक समेकता की अपेक्षा करते हैं और इनका अनुभव टीजी समुदाय केवल तब ही कर सकता है जब उसे भी सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाएं।

किन्नरों की स्व-पहचानीकृत लिंग एवं आत्म- अभिव्यक्ति

संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) का कथन है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और इसके अंतर्गत किसी नागरिक के अपने ह्यस्व-पहचानीकृत लिंग को अभिव्यक्त करने का अधिकार भी सम्मिलित है, जिसे पहनावा, शब्द, कार्य या व्यवहार अथवा अन्य रूप में दर्शित किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 19 में कथित प्रतिबंधों के सिवाय किसी ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रस्तुति या वेशभूषा पर अन्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

अतः ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की एकांतता का महत्त्व, स्व-पहचान, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अखंडता अनुच्छेद 19(1) (क) के अंतर्गत प्रत्याभूत किए गए मूल अधिकार हैं और राज्य इन अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य है।

लिंगीय पहचान और गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21)संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद मानव जीवन की गरिमा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति की लिंगीय पहचान को मान्यता दिया जाना गरिमा के मूल अधिकार के हृदय में निवास करता है। इसलिए लिंगीय पहचान हमारे संविधान के अंतर्गत गरिमा के अधिकार और स्वतंत्रता का एक भाग है।

तृतीय लिंग की संविधानिक अवधारणा और कानूनी मान्यता स्व-पहचानीकृत लिंग या तो पुरुष या महिला या एक तृतीय लिंग हो सकता है। हिजड़ा तृतीय लिंग के रूप में ही जाने जाते हैं, न कि पुरुष अथवा स्त्री के रूप में। इसलिए इनकी अपनी लिंगीय अक्षमता को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूह के कारण एक तृतीय लिंग के रूप में विचारित किया जाना चाहिए।

संक्षेपतः संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 19 और 21 हिजड़ा या टीजी समूह के सदस्यों को अपनी सीमाओं से बाहर नहीं करते हैं। वास्तव में इन अनुच्छेदों में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति, नागरिक और लिंग संपूर्ण मानव-प्राणी को संकेतिक करता है जो निस्संदेह हिजड़ा (किन्नर) और टीजी समूह तक विस्तारित हैअतः लिंगीय उत्पत्ति या लिंगीय पहचान के आधार पर कोई भी विभेद करना या किसी भी प्रकार का अंतर करना, अपवर्जन, प्रतिबंध या प्राथमिकता को भी सम्मिलित करता है, जो संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत विधियों के समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता को शून्य करने का प्रभाव रखता है।

लिंग परिवर्तन करने वाले के संवैधानिक अधिकार

21वीं शताब्दी को अधिकारों का काल के रूप में जाना जा रहा है। इस न्यायालय ने पिछले दो-तीन दशकों से अनुच्छेद 21 का निर्वचन करने में अनेक अधिकारों की घोषणा की है, जिनकी समीक्षा करने के बाद निष्कर्षित किया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लिंग या अपनी लिंगीय विशेषता और मानसिक भाव का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत ह्यलिंग पुनर्स्थापना शल्य क्रिया के द्वारा परिवर्तन करा लेता है, तब ऐसी शल्य क्रिया के बाद बनाए गए पुनर्लिंग को लिंगीय पहचान की मान्यता देने में कोई बाधा या रुकावट नहीं है। अतः ऐसा व्यक्ति भी पुरुष या स्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने का संविधानिक अधिकार रखता है।

वस्तुतः टीजी समूह भी देश के नागरिक हैं और उन्हें तृतीय लिंग की पहचान दी जानी चाहिए जिससे वे भी गरिमा और सम्मान के साथ अर्थपूर्ण ढंग से जीवन-यापन कर सकें और देश के अन्य नागरिकों की भांति मतदान के अधिकार, संपत्ति अर्जन के अधिकार, विवाह के अधिकार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वाहन-चालन अनुज्ञप्ति इत्यादि के माध्यम से औपचारिक पहचान प्राप्त करने के अधिकार, शिक्षा, नियोजन एवं स्वास्थ्य इत्यादि के अधिकार का दावा कर सकें। वास्तव में इन अधिकारों से इन वर्गों को वंचित रखे जाने का कोई कारण नहीं है। (इस शीर्षक के अंतर्गत निर्णय के अंश न्यायमूर्ति ए.के। सीकरी के हैं, जिन्होंने अन्य मामलों में इसके पूर्व न्यायमूर्ति के.एस। राधाकृष्णन के संपूर्ण तर्कों का समर्थन किया है)।

किन्नर और अंतर्राष्ट्रीय कानून

उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों को देश के संविधान के अंतर्गत एक नागरिक और व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित करने के पीछे उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी विचार में लिया जो मानव-प्राणी को मूल मानव अधिकार प्रदान करने के लिए राज्यों को उत्तरदायित्व सौंपते हैं। यद्यपि ये कानून किसी राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते हैं किंतु यदि कोई देश ऐसे कानूनों पर एक सदस्य राज्य के रूप में हस्ताक्षर कर देता है, तब उनके मानकों को न्यायालय के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है। इस आशय का निर्णय और उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों को देश के नागरिकों के पक्ष में लागू किए जाने का प्रश्न अनेक बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले भी आ चुका है। ऐसा ही एक मामला ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लि। बनाम वीरेंद्र बहादुर पांडेय का है, जिसमें न्यायालय ने इस विषय पर विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि देश का न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशनों को देश की वचनबद्धता के सिद्धांतों के अनुसार लागू कर सकता है जब तक कि ऐसा देश की विधि के स्पष्ट नियमों द्वारा वर्जित न हो और इस निर्णय का सहारा लेते हुए अन्य अनेक मामलों के साथ-साथ एप्रैल एक्सपोर्ट प्रो। काउंसिल बनाम ए.के। चोपड़ा (1999) 1 रउउ 759के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन का प्रवर्तन देश में किया गया।

फिलहाल किन्नरों के पक्ष में जिन अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशनों एवं कानूनों का सहारा लिया गया है उनमें मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 1, 3, 5, 6, 7 और 12 के अंतर्गत प्रदत्त मूल मानव अधिकार, मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966, योज्ञकर्ता सिद्धांत, 2006 तथा यूरोपीय कंवेंशन, 2006 और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पारित किए गए हाल के वर्षों के कानून मुख्य हैं। कैसे हो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधान का प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब किन्नरों के अधिकारों के लिए देश में कोई विधि अर्थात विधायन नहीं है और इसके कारण टीजी समुदाय को अनेक विभेदकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तब यह न्यायालय उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा पर मूकदर्शक नहीं बना रहेगा और अपने संविधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने निदेर्शों /आदेशों के माध्यम से उसे प्रवर्तनीय बनाएगा। फिलहाल संसद चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 51/253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कंवेंशनों के अनुरूप कानून बना सकती है।

“ 21वीं शताब्दी को अधिकारों का काल के रूप में जाना जा रहा है। इस न्यायालय ने पिछले दो-तीन दशकों से अनुच्छेद 21 का निर्वचन करने में अनेक अधिकारों की घोषणा की है, जिनकी समीक्षा करने के बाद निष्कर्षित किया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लिंग या अपनी लिंगीय विशेषता और मानसिक भाव का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत ह्यलिंग पुनर्स्थापना शल्य क्रिया के द्वारा परिवर्तन करा लेता है।

अंधविश्वास से जूझ रहा ग्रामीण क्षेत्र

21वीं सदी के भारत को विज्ञान का युग कहा जाता है, जहां मंगलयान से लेकर कोरोना के वैक्सीन को कम समय में तैयार करने की क्षमता मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इसी देश में अंधविश्वास भी समानांतर रूप से गहराई से अपनी जड़ें जमाया हुआ है। देश के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का प्रभाव अधिक देखा जाता है। जहां अनजाने में ही लोग मान्यताएं और संस्कृति के नाम पर अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ही ऐसे मामले सामने आते हैं। दरअसल अंधविश्वास का मूल कारण व्यक्ति के अंदर का डर होता है। जिसकी वजह से वह खुद को इस जाल में फसने से रोक नहीं पाता है।जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जाए और किसी के द्वारा उसे यह कह दिया जाए कि आज यह कार्य करने से कुछ बुरा हो सकता है तो वह डर के कारण चाहते हुए भी वह कार्य नहीं करेगा।

अंधविश्वास का दूसरा मूल कारण अज्ञानता या अल्प ज्ञान भी है। जो जागरूकता में कमी के कारण होती है। यही अल्प ज्ञान जब इंसान पर हावी हो जाता है तो स्वयं की क्षमता और विश्वास में कमी आ जाती है जो अंधविश्वास की ओर अग्रसर होता चला जाता है। देश के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी शिक्षा का स्तर कम होगा वहां अंधविश्वास अधिक मजबूत नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे शहरी क्षेत्रों में अंधविश्वास बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कई शिक्षित और उच्च सोसाइटी में भी किसी न किसी रूप में हमें इसका प्रतिबिंब साफ नजर आ जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अंधविश्वास का समर्थन करने वालों की संख्या

“ अंधविश्वास का दूसरा मूल कारण अज्ञानता या अल्प ज्ञान भी है। जो जागरूकता में कमी के कारण होती है। यही अल्प ज्ञान जब इंसान पर हावी हो जाता है तो स्वयं की क्षमता और विश्वास में कमी आ जाती है जो अंधविश्वास की ओर अग्रसर होता चला जाता है। देश के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी शिक्षा का स्तर कम होगा वहां अंधविश्वास अधिक मजबूत नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे शहरी क्षेत्रों में अंधविश्वास बिल्कुल समाप्त हो चुका है।

काफी कम है। लेकिन वैज्ञानिक युग में देश के महानगरों से अंधविश्वास पूरी तरह से समाप्त हो गया है, यह कहना कठिन होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी संख्या अंधविश्वास की जाल में जकड़ा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड भी ऐसा ही एक राज्य है, जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का बोलबाला है। राज्य के बागेश्वर जिला स्थित गरुड़ ब्लॉक का लमचूला गांव इसका एक उदाहरण है। अंधविश्वास यहां के समाज पर इस कदर हावी है कि गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से बेहतर झाड़-फूंक करवाना समझते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी डॉक्टर को दिखाने की जगह झाड़ फूंक को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कई बार व्यक्ति की जान तक चली जाती है। अंधविश्वास उन्हें खत्म कर रहा है, परंतु लोग इस अंधविश्वास से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। अंधविश्वास की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि समाज इसे अंधविश्वास की जगह मान्यता नाम देता है और इसे वह गर्व से अपनाता भी है। हालांकि शिक्षा के प्रसार के बाद नई पीढ़ी में इसके विरुद्ध जागरूकता आई है और वह इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है लेकिन अभी भी ऐसी सोच वालों की संख्या सीमित है।

इस संबंध में गांव की एक किशोरी दीपा का कहना है कि अगर गांव में किसी को पेट दर्द, सर दर्द अथवा स्वास्थ्य संबंधी कोई अन्य परेशानी आती है तो लोग उसे डॉक्टर को दिखाने की जगह किसी के द्वारा किया गया जादू टोना मान कर उसका झाड़ फूंक करवाने का प्रयास करते हैं, जबकि उस समय उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की बजाय उसे घर पर ही रखते है और बोलते है कि बाबा को बुलाओं और इन पर लगे देवताओं को हटवाओ, वह इसे अस्पताल में दिखाने की जगह लगातार झाड़ फूंक करवाने का प्रयास करते रहते हैं और आखिरकार उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उस इंसान की मौत हो जाती है। इसके बावजूद अक्सर समाज यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कि बीमार व्यक्ति को समय पर इलाज की जरूरत थी। ऐसा केवल बीमार व्यक्ति के साथ ही व्यवहार नहीं किया जाता है बल्कि माहवारी के चक्र से गुजर रही किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के साथ भी किया जाता है।

दीपा के शब्दों में ह्वऐसे ही माहवारी के दिनों में बेटी और महिलाओं के साथ भी व्यवहार किया जाता है। उसे 11 दिनों तक घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और न ही किसी चीज को छूने दिया जाता है। माहवारी के दिनों में लड़कियों और महिलाओं को अशुद्ध मान कर उसे घर से बाहर गौशाला में रहने पर मजबूर किया जाता है। यह घर से जुड़ा सबसे गंदी जगह होती है, जबकि माहवारी के दिनों में सबसे अधिक साफ सफाई की आवश्यकता होती है। न केवल शरीर बल्कि रहने की जगह भी साफ होनी जरूरी है। इस दौरान कई किशोरियों को पेट में दर्द अथवा अन्य तकलीफें होती हैं, जिसके लिए समय समय पर डॉक्टर की सलाह आवश्यक होती है, लेकिन अंधविश्वास में डूबा समाज उस पीड़िता को मेडिकल चेकअप की जगह झाड़ फूंक पर अधिक जोर देता है। इतना ही नहीं, इस दौरान किशोरियों को कड़कड़ते जाड़े के दिनों में भी ठंडे पानी से ही नहाने पर मजबूर किया जाता है। अंधविश्वास के इस जोर के कारण कई बार शारीरिक रूप से कमजोर लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं। जो बीमारी चंद सजगता से ठीक हो सकती थी वह अंधविश्वास के कारण एक बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार इसके कारण लड़कियों को जीवन भर शारीरिक रूप से कष्ट उठाना पड़ता है।

इस संबंध में दीपा और अन्य किशोरियों का कहना है कि हिमालय से सटे इस पहाड़ी क्षेत्र में चाहे कितनी ही ठंड क्यों न हो, किशोरियों को चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न हो, हमें नदी के पानी में ही नहाना होगा। फिर चाहे नदी कितनी भी दूर क्यों न हो, हमें वहां जाना ही होगा और इस परंपरा को निभाना होगा। चिंता की बात यह है कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को स्वयं महिलाएं निभा रही हैं। गांव की एक अन्य किशोरी चांदनी का कहना है कि माहवारी के दिनों में यहां लड़कियों और महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता है। इस दौरान उसे अशुद्ध मानकर सभी प्रकार के पूजा पाठ या अन्य विधि विधान के कार्यों से दूर रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का शिकार सबसे अधिक महिलाएं और किशोरियां होती हैं। जिन्हें परंपरा और मान्यता के नाम पर इसकी मार झेलनी पड़ती है। इसे शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।

“ इस संबंध में गांव की एक किशोरी दीपा का कहना है कि अगर गांव में किसी को पेट दर्द, सर दर्द अथवा स्वास्थ्य संबंधी कोई अन्य परेशानी आती है तो लोग उसे डॉक्टर को दिखाने की जगह किसी के द्वारा किया गया जादू टोना मान कर उसका झाड़ फूंक करवाने का प्रयास करते हैं, जबकि उस समय उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की बजाय उसे घर पर ही रखते है।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाया

अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने वर्ष 2022 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर को दो प्रतिशत से घटाते हुए 6.7 प्रतिशत के स्थान पर अब 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर में कमी के लिए यूक्रेन और रूस के बीच वर्तमान में चल रहे युद्ध को मुख्य कारण बताया गया है। हालांकि वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमान को भी वर्ष 2022 के लिए 3.6 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है एवं विकासशील देशों के लिए आर्थिक वृद्धि दर कुछ अधिक कम रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहां रूस वर्ष 2022 में एक गहरी मंदी का अनुभव करेगा, वहीं पश्चिमी यूरोप और मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की विकास दर में भारी कमी की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में यह कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही भारी वृद्धि के चलते भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में भारी परेशानी का सामना करना पड सकता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार प्रतिबंधों, खाद्य मुद्रास्फीति, कई देशों की सख्त नीतियों और वित्तीय अस्थिरता की भी चुनौती भारत की आर्थिक विकास दर को प्रभावित कर सकती है। उक्त कारणों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत की अनुमानित विकास दर को कम किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि दक्षिण और पश्चिमी एशिया की कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा की मांग और कीमतों में तेजी से वृद्धि से कुछ लाभ हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को भी तीन प्रतिशत से घटाकर 2.4 प्रतिशत कर दिया गया है। चीन की आर्थिक विकास दर के अनुमानों को भी 5.7 प्रतिशत से घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया है। रूस के लिए तो वर्ष 2022 में एक गहरी मंदी की आशंका व्यक्त की गई है जिससे रूस की आर्थिक विकास दर 2.3 प्रतिशत से घटकर -7.3 प्रतिशत रह जाने की सम्भावना जताई गई है।

संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2022 के लिए भारत के संदर्भ में उक्त अनुमानों के ठीक विपरीत भारत की आर्थिक विकास दर लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है हालांकि जनवरी 2022 में जारी अपने पहिले अग्रिम अनुमानों में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया था। केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार भी भारत की आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9 प्रतिशत के आसपास रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 से 8 प्रतिशत की बीच रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से वर्ष 2022 के लिए भारत के अनुमानित आर्थिक विकास दर के अनुमान लगाने के संदर्भ में कहीं न कहीं चूक हो रही है क्योंकि वास्तविक धरातल पर भारत के आर्थिक विकास की कहानी कुछ और ही स्थिति दर्शा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्तुओं के निर्यात 40 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करते हुए 41,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे हैं जो निर्धारित लक्ष्य से भी 5 प्रतिशत अधिक रहे हैं। मार्च 2022 माह में वस्तुओं के निर्यात 4,038 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे हैं जबकि यह मार्च 2021 माह में 3,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे थे। विशेष रूप से पेट्रोलीयम उत्पाद, जेम्स एवं जवेलरी, इंजीनीयरिंग उत्पाद, कृषि उत्पाद आदि क्षेत्रों में वृद्धि दर सराहनीय रही है। यूक्रेन एवं रूस में चल रहे युद्ध के चलते भारत से कुछ उत्पादों, विशेष रूप से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर बढ़ी है क्योंकि युद्ध के पूर्व यूक्रेन एवं रूस कृषि उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात करते थे। अब कई देश गेहूँ आदि जैसे कृषि पदार्थों के लिए भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसी प्रकार कृषि उत्पादों के अलावा भारत द्वारा निर्मित किया जा रहे अन्य कई उत्पादों की मांग भी विदेशों में बहुत बढ़ी है और यह बढ़त वित्तीय वर्ष 2022-23 में बनी रहने की सम्भावना है, जिसके चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर में अच्छी बढ़त जारी रहेगी।

> **“ वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्तुओं के निर्यात 40 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करते हुए 41,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे हैं जो निर्धारित लक्ष्य से भी 5 प्रतिशत अधिक रहे हैं। मार्च 2022 माह में वस्तुओं के निर्यात 4,038 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे हैं जबकि यह मार्च 2021 माह में 3,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे थे।**

दूसरे, भारत ने हाल ही में कुछ देशों (यूएई एवं ऑस्ट्रेलिया) के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं एवं कुछ अन्य देशों (ब्रिटेन, अमेरिका एवं यूरोपीयन यूनियन) के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्नता की ओर अग्रसर हैं। भारत पूर्व में भी दक्षिणी कोरिया, जापान, मलेशिया, मारिशस, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, चिली, मरकोसुर आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) अथवा तरजीही व्यापार समझौते सम्पन्न कर चुका है। इस प्रकार के आर्थिक समझौते करने से भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी अतः भारत इस क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य कर रहा है।

आज विश्व के आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न कई देश भी भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं ऐसे में वर्ष 2022 में भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि जारी रहने की पूरी पूरी सम्भावनाएं बनती हैं, जिससे देश की आर्थिक विकास दर में तेजी बनी रहेगी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर में देश से उत्पादों के निर्यात का भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है और इस प्रकार देश की आर्थिक प्रगति निर्यात आधारित प्रगति बनने की ओर अग्रसर है।

तीसरे, भारत द्वारा हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं जैसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत 13 विभिन औद्योगिक उत्पादों को शामिल करते हुए 197,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना पर खर्च करने का निर्णय किया जा चुका है एवं इसमें से बहुत बड़ी राशि का बजट में प्रावधान भी कर लिया गया है। इस योजना में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है उनमें शामिल हैं झ ऑटोमोबील एवं ऑटो उत्पाद निर्माण इकाईयां, ड्रोन उत्पाद निर्माण इकाईयां, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर निर्माण इकाईयां, फूड प्रॉसेसिंग इकाईयां, मेडिकल उपकरण निर्माण इकाईयां, फार्मा उद्योग, स्टील उद्योग, केमिकल उद्योग, एलईडी बल्ब एवं एसी निर्माण इकाईयां, टेक्स्टायल उद्योग, सोलर पैनल निर्माण इकाईयां, टेलिकॉम एवं नेटवर्क उत्पाद निर्माण इकाईयां, शामिल हैं। इस विशेष योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से विश्व की कई बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी उत्पादन इकाईयों को भारत में स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर यह कम्पनियां स्थानीय सप्लाई चैन का हिस्सा बनने की ओर भी अग्रसर हैं। इस सबका मिलाजुला असर भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर बहुत अच्छा रहने की सम्भावना है। चौथे, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2022 को देश की संसद में प्रस्तुत किए गए आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए जाने वाले पूंजीगत खर्चों में अधिकतम 35.4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7.50 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार आम नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एवं देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अपने पूंजीगत खर्चों को लगातार बढ़ा रही है। इससे देश में रोजगार के नए अवसर अच्छी तादाद में निर्मित हो रहे हैं, यही समय की मांग भी है। पूंजीगत खर्चों में बढ़ौतरी से देश की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी जो कि आर्थिक विकास दर को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।

देश की आर्थिक विकास दर को बल देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार कई कदम उठा रही है जिसका अच्छा प्रभाव देश में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास दर के रूप में दिखाई भी दे रहा है। और फिर अब भारत में परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं एवं भारत, वर्ष 2030 में 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है एवं इसके लिए तो 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को हासिल करना ही होगा अन्यथा उक्त लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल कार्य होगा फिर वर्ष 2022 में 4.6 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर पर समझौता कैसे किया जा सकता है? विदेशी संस्थानों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में उनके द्वारा किए जा रहे अनुमानों में कहीं न कहीं चूक की जा रही है।

“ तीसरे, भारत द्वारा हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं जैसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत 13 विभिन औद्योगिक उत्पादों को शामिल करते हुए 197,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना पर खर्च करने का निर्णय किया जा चुका है एवं इसमें से बहुत बड़ी राशि का बजट में प्रावधान भी कर लिया गया है। इस योजना में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है ।

पाकिस्तान से यही अपेक्षित है!

जम्मू-कश्मीर के फैसले पर पाकिस्तान जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, हमें उससे यही आशा थी भी। देश को अब पाकिस्तान से चौंकन्ना रहने के साथ-साथ विश्व के दूसरे देशों से समर्थन हासिल करने की आवश्यकता है।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले से पाकिस्तान की तिलमिलाहट छिपी नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान, इमरान सरकार के मंत्रियों का बयान, वहां की मीडिया का रवैया और अब उसके द्वारा लिए गए फैसले पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ है। वास्तव में इमरान सरकार द्वारा भारत के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने यानी राजनयिक संबंध का दर्जा घटा दिये जाने तथा व्यापारिक संबध निलंबित करने का फैसला बिल्कुल अपेक्षित था।

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस जाने को कहा। फिलहाल भारत में पाकिस्तान का कोई उच्चायुक्त नहीं है। वह इसी महीने नई दिल्ली में मोइन उल-हक को उच्चायुक्त बनाकर भेजने वाला था लेकिन अब नहीं भेजेगा। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास पर इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद कुल 5 फैसले सुनाए गए। राजनयिक संबंध का दर्जा घटाना तथा द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने के साथ तीन फैसले और हैं। एक, भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों और व्यवस्थाओं (समझौतों) की समीक्षा होगी। दो, मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया जाएगा, सुरक्षा परिषद में भी उठाया जाएगा। तीन, 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ एकजुटता जाहिर करने और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एक एअरस्पेस भी बंद करने की घोषणा की। बाद में पाकिस्तान का बयान आया कि उसने कोई हवाई मार्ग बंद नहीं किया है। भारत के विमान उड़ सकते हैं। साफ है कि किसी सोच के तहत इस निर्णय को वापस लिया गया। समझौता एक्सप्रेस के बारे में कहा गया कि उनका ड्राइवर भारत जाने से डर रहा है। तो भारतीय रेलवे ने अपना ड्राइवर भेजकर समझौता एक्सप्रेस वापस मंगवाया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में इस प्रकार का निर्णय लिया जाना बताता है कि पाकिस्तान किस तरह इस फैसले से हिल गया है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

उसकी शांति, सुरक्षा, विकास के लिए निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। इससे पाकिस्तान को क्या लेना-देना। वैसे भी अनुच्छेद 370 का फैसला भारत की संविधान सभा ने किया था। पाकिस्तान की उसमें कोई भूमिका हो ही नहीं सकती थी। तो उसको समस्या क्या है? समस्या यह है कि इस एक फैसले के साथ पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पर द्विपक्षीय विवाद रह ही नहीं गया है। द्विपक्षीय बातचीत का बड़ा मुद्दा खत्म हो गया है। अब कोई मुद्दा है तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर।

पाकिस्तान इस समय प्रशासन द्वारा प्रायोजित सभायें पाक अधिकृत कश्मीर में करवा रहा है जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा है। ताकि वो जाकर सेना की बैरकों में घुसकर हमला कर सकें। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का निर्णय तो नहीं है लेकिन हो रहा है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष के साथ परोक्ष तौर पर भी जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने की साजिश पर काम कर रहा है।

पाकिस्तान बौखलाहट में ऐसे कुछ कदम उठा सकता है इसका साफ संकेत मिल रहा था। 5 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनकर अवैध कदम उठाया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह सभी संभावित विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित क्षेत्र माना गया है। भारत सरकार द्वारा उठाये गये किसी भी एकतरफा कदम से इस क्षेत्र का दर्जा नहीं बदल सकता है, जैसा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में निहित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने बहुत खतरनाक खेल खेला है। भारत सरकार के निर्णय के बाद पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को एक पराजित नेता के रूप में चित्रित किया जाने लगा है। अमेरिका से वापसी के बाद हुआ शानदार स्वागत हाशिए पर चला गया।

पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही बहस में कहा जाने लगा कि मोदी ने तो एक ही कदम से सब कुछ बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात कर रहे थे उसने तो उनको भी जवाब दे दिया। भारत के इस फैसले को पाकिस्तान की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया के एक बड़े तबके ने तो इसे 1971 की शर्मनार हार तक से तुलना कर दिया। इमरान खान को जो मजबूत नेता मान रहे थे वे ही उन्हें अब तक का सबसे कमजोर नेता कहने लगे हैं। इस दबाव में उन्होंने परिणामों की चिंता किए बिना सारे फैसले कर लिया। मोदी सरकार ने जब इतना बड़ा निर्णय किया तो उसने पाकिस्तान की संभावी प्रतिक्रियाओं और कदमों पर अवश्य विचार किया होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की पूरी नजर पाकिस्तान की गतिविधियों पर थी। वैसे भी इसमें पाकिस्तान का सफल होना कठिन है। ऑपरेशन ऑल आउट के कारण आतंकवादी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। कश्मीर घाटी की सुरक्षा स्थिति पूरी तरह बदली हुई है। अगर इमरान सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देती है तो यहां उनका फन कुचला ही जाएगा। एफएटीएफ में हम उसे आराम से घेर सकते हैं। अभी पाकिस्तान की मुख्य रणनीति कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की है। एक दो देश उसके पक्ष में बयान दे दे उससे क्या अंतर आएगा? कोई देश भारत से बैर लेने की सीमा तक जा नहीं सकता। भारत ने इस कदम के बाद सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को विस्तार से बता दिया कि यह उसका अंदरूनी मामला है। यूरोपीय संघ के देशों को भी यही कहा गया। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से बात की गई। चीन ने अवश्य इस पर चिंता प्रकट की है लेकिन वह पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसका आयाम अलग है।

ओआईसी यानी इस्लामी सम्मेलन संगठन यदि एकाध प्रस्ताव पारित भी कर दे तो उससे होगा क्या? कुल मिलाकर हमारा विदेश मंत्रालय लगातार दुनिया के देशों के संपर्क में है। अब आइए व्यापार पर। भारत ने पुलवामा हमले के बाद उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनकर उसके सामानों पर 200 प्रतिशत कर लगा दिया था। परिणामतः भारत में उसका निर्यात बहुत नीचे आ चुका है। इस फैसले का दोनों ही देशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 2017-18 में महज 2.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो भारत का दुनिया के साथ कुल व्यापार का महज 0.31 फीसदी है और पाकिस्तान के विश्व व्यापार का 3.2 पर्सेंट। भारत ने 2017- 18 में 48.85 करोड़ डॉलर का सामान पाकिस्तान से आयात किया, जबकि 1.92 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया गया। कुल द्विपक्षीय व्यापार में करीब 80 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान में भारतीय निर्यात का है।

इस एक फैसले के साथ पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पर द्विपक्षीय विवाद रह ही नहीं गया है। द्विपक्षीय बातचीत का बड़ा मुद्दा खत्म हो गया है। अब कोई मुद्दा है तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच आयातनिर्यात में 2014-15 से कमी आ रही है। भारत सरकार ने हथियारों, मादक पदार्थों और अवैध नोटों की चल रही तस्करी की वजह से अप्रैल 2019 में पाकिस्तान के साथ क्रॉस एलओसी ट्रेड को निलंबित कर दिया था।

सिर चढ़कर बोल रही योग की लोकप्रियता

प्रतिस्पर्धा की चक्की में पिसता आज का मनुष्य मन व देह में संतुलन साध नहीं पा रहा है। इसलिए इन सारी समस्याओं से मुक्ति का एक समाधान योग में दिख रहा है। आज समूची दुनिया में योग की धूम मची हुई है। 21 जून, 2014 को संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक मान्यता मिलने के बाद से बीते सालों में योग एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में तेजी से उभरा है। अपने देश ही नहीं, अमेरिका, चीन, जापान, रूस समेत दुनियाभर के कई देशों में पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसे शोध हुए हैं जो इसकी महत्ता को साबित करते हैं। भारतभूमि की यह वैदिक जीवन पद्धति आज पुनः लोकप्रिय होकर लोगों की दिनचर्या में गुणात्मक सुधार लाकर जीवनशैली को भी बेहतर कर रही है।

आज समूची दुनिया में माना जाने लगा है कि योग स्वास्थ्य संरक्षण की एक ऐसी पद्धति है, जो न केवल हमारे जीवन को दैहिक स्तर पर स्वस्थ रखती है, वरन मानसिक संतुलन को कायम रखने में भी उतनी ही उपयोगी है। शोधों के नतीजे बताते हैं कि प्रतिदिन न्यूनतम 30-45 मिनट का नियमित योगाभ्यास आश्चर्यजनक नतीजे देता है। इससे तनाव दूर होने के साथ याद्दाश्त भी बेहतर होने में भी काफी मदद मिलती है। खास बात है कि बूढ़े हों या युवा, स्वस्थ हों या बीमार, योग का अभ्यास सभी के लिए समान रूप से लाभप्रद है। यह योग की सर्वव्यापी लोकप्रियता का ही नतीजा है कि आज महानगरों व छोटे-बड़े शहरों में ही नहीं, कस्बों व तमाम गांवों में भी बड़ी तादाद में योग प्रशिक्षण केन्द्र खुल गये हैं। सुबह -शाम पार्कों में भी योगाभ्यास करने वालों की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। यह एक सुखद संकेत भी है कि लोग अच्छी सेहत के लिए जागरूक हो रहे हैं।

आयुष मंत्रालय के मुताबिक बीते साल में अमेरिका और चीन के साथ यूरोप में योग अपनाने वाले लोग तेजी से बढ़े हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने बड़ी संख्या में भारतीय ट्रेनर विदेशों में जा रहे हैं और वहां से ट्रेनिंग लेने लोग अपने देश में आ रहे हैं। भारत सरकार अब योग कोर्स के लिए आने वालों को अलग श्रेणी में वीजा देने की भी तैयारी कर रही है। वैश्विक मान्यता के बाद से योग की लोकप्रियता पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी है। अनेक मशहूर योग संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, योग कालेजों, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों तथा निजी न्यासों एवं समितियों द्वारा योग की शिक्षा दी जा रही है। देश के 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में योग के रोजगार आधारित डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े परीक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी अपने पाठ्यक्रम में योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का फैसला किया है।

सरकारी व निजी अस्पतालों में योग क्लीनिक, योग थेरेपी सेंटर व अनुसंधान केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। करियर के रूप में इसे अपनाने वालों में इजाफा दिखा है। यही वजह है कि करीब 50 यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में सार्टिफिकेट से लेकर बीए, एमए तक के कोर्स प्रारंभ किये गये हैं। विदेशों से भी इन कोर्स में स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ा है। देश के 14 लाख स्कूलों में भी योग शुरू करने को लेकर कदम उठाए गये हैं। मंत्रालय के अनुसार अकेले अमेरिका में लोग करीब 69 हजार करोड़ रुपये, योग से जुड़े किताब, प्रशिक्षण, परिधान और एसेसरी पर खर्च करते हैं। चीन के सेंट्रल टेलीविजन ने योग की डीवीडी बनाई है, जो दुनियाभर में लोकप्रिय है।

योग का उभरता बाजार

योग को वैश्विक मान्यता मिलने के बाद से योग का बाजार कितना बदला, इस बाबत पिछले दिनों हुए एक सर्वे में योग को लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आये। आयुष मंत्रालय के अनुसार योग आज एक दुनिया के बड़े कारोबार में तब्दील हो चुका है। मेक इन इंडिया द्वारा जारी सरकारी दस्तावेज के मुताबिक आज देश में योग और आयुर्वेद से जुड़े प्रोडक्ट्स का बाजार तकरीबन 120 अरब का है। 2015-16 के महज एक साल के भीतर योग इंडस्ट्री की आय 50 फीसद तक बढ़कर ढाई लाख करोड़ की हो गयी है। योग ट्रेनरों की संख्या भी 40 फीसद बढ़ गयी है। योग करने वालों की संख्या में भी 35 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ। एसोचैम की पिछले दिनों सामने आयी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आयुर्वेद रिजॉर्ट, हॉली-डे शिविर, कॉरपोरेट प्रशिक्षण आदि के रूप में अरबों का बाजार तैयार हो रहा है। योग के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों का बाजार ही हजार करोड़ के पार पहुंच चुका है। देश में योग ट्रेनर्स की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है।

जापान के हिकारो होशिमोतो में 700 योग केंद्र चल रहे हैं। जानना दिलचस्प होगा कि पारम्परिक योग के अलावा भी योग के अनेक तरीके मसलन पॉवर योग, वॉटर योग, ऑफिस योग, चेयर योग आदि आजकल खूब प्रचलन में हैं। हालांकि ये तरीके भारत की यौगिक पद्धति जितने ही कारगर हैं, इसे लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता। फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि योग को पॉपुलर बनाने के लिए अब बाजार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अनेक देशी विदेशी कंपनियां लोगों के बीच योग को लोकप्रिय बनाने के लिए तरह-तरह के ऑफर व डिस्काउंट आदि के जरिए अपने उत्पाद उतार रही हैं। कई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। इसमें योग सिखाने वाली ई-गाइड, योगा मैट, योग से जुड़े आधुनिक उपकरण, सीडी और डीवीडी आदि के साथ योग के समय पहने जाने वाले कपड़े समेत कई उत्पाद शामिल हैं। वर्तमान में योग को जन-जन तक पहुंचाने का श्रेय मुख्य रूप से बीकेएस अयंगर और बाबा रामदेव सरीखे योग गुरुओं को जाता है। इन्होंने योग का सरलीकरण कर इसे देश-विदेश में हर खासोआम तक पहुंचा दिया। आज नगरों- महानगरों से लेकर गांवकस्बों में भी लोग कपालभाति और अनुलोम विलोम करते आसानी से देखे जा सकते हैं। वैश्विक मान्यता मिलने के बाद योग के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं तेजी से उभरी हैं। सेहत सुधार के साथ योग अब कमाई का जरिया बन गया है। देश की अनेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को योग सिखा रही हैं। उन्हें लगता है कि इससे कर्मचारी कम बीमार पड़ेंगे, जिससे इलाज का खर्च कम होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। बात साफ है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे जीवन को स्वस्थ व ऊर्जावान बनाये रखने में योग की उपयोगिता आज देश ही नहीं, वैश्विक मंच पर भी साबित हो चुकी है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा से अस्त-व्यस्त होती दिनचर्या, तनाव व अवसाद और तेजी से गहराते प्रदूषण ने इंसानी सेहत को ग्रहण लगा दिया है। मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य को साधने वाला योग वस्तुतः ऐसी जीवनशैली है जो हमारे मस्तिष्क को शांत व शरीर को ऊर्जावान बनाकर शरीर को एक लयात्मक गति देता है।

योग से जुड़ना और जोड़ना दोनों लाभकारी

योग के विभिन्न तरह के आसन शरीर के लिए बेहद लाभकारी हैं। इनके नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। जिससे स्वतः कई रोगों से निजात मिल जाती है।

27 सितम्बर, 2014 को पीएम मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे गए प्रस्ताव, जिसका 192 देशों ने समर्थन किया। परिणामस्वरुप 21 जून 2015 से हर वर्ष इसी तारीख को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से हर भारतीय के लिए यह उल्लास, उमंग और उत्सव का विशेष मौका होता है। इस वर्ष भी 21 जून को विश्व के 170 से ज्यादा देशों में इसका आयोजन हुआ। जिसमें करोड़ों लोग भाग लेकर योगाभ्यास करेंगे।

योग एक सम्पूर्ण विज्ञान है। योग हमेशा योग्य प्रशिक्षक के मार्ग दर्शन में ही सीखें।

योग सिर्फ कुछ क्रियाओं का अभ्यास नहीं, सम्पूर्ण जीवनशैली है।

जितनी नियमितता, तन्मयता और निष्ठा से योगाभ्यास करेंगे, उनता ही अधिक लाभ होगा।

योग हर अच्छाई से जुड़ने, जोड़ने और जीवन में संतुलन कायम करने का दूसरा नाम है। सच कहें तो यह एक समावेशी विचार है।

आसन के बाद और ध्यानाभ्यास से पहले प्राणायाम करना चाहिए।

योगाभ्यास हमेशा खुले और स्वच्छ परिवेश में करें।

योगाभ्यास से पूर्व आवश्यक दैनिक क्रियकलाप से निवृत हो लें। खाली पेट और खुले मन से योगाभ्यास करना बेहतर।

सारी योग क्रियाएं सामान्य गति से करें, किसी झटके से नहीं।

योग कोई धार्मिक कर्म-काण्ड नहीं है। यह स्वस्थ जीवन जीने की प्राकृतिक कला है।

भ्रामरी प्राणायाम

किस रोग में लाभप्रदः स्ट्रेस, हाई बीपी, गले का रोग

विधि

किसी भी आरामदायक आसन जैसे सुखासन, अर्धपद्मासन में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें। शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें। अब प्रथम अंगुलियों से दोनों कान बंद कर लें। दीर्घ श्वास लेंऔर भौंरे की तरह ध्वनि करते हुए मस्तिष्क में इन ध्वनि तरंगों का अनुभव करें। यह एक आवृत्ति है। इसे 5 आवृत्तियों से शुरू कर यथासाध्य रोज बढ़ाते रहें। रोजाना 10 मिनट तक करें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे।

अवधि रोजाना 5-10 मिनट रोजाना

सावधानी जल्दबाजी न करें। श्वास क्रिया व ध्वनि लयबद्ध हो।

शशांक आसन

किस रोग में लाभप्रदः गुर्दा रोग (किडनी प्रॉब्लम),साइटिका, कब्ज

विधि वज्रासन यानी घुटनों के बल पंजों को फैला कर सीधा ऐसे बैठें कि घुटने पास-पास एवं एड़ियां अलग-अलग रहे। हथेलियों को घुटनों पर रखें। श्वास लेते हुए धीरे-धीरे हांथों को ऊपर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को सामने की ओर पूरी तरह झुकाएं जिससे कि माथा और सामने फैले हाथ जमीन को स्पर्श करें। उस अवस्था में थोड़ी देर रुकें। अब श्वास लेते हुए धीरे-धीरे प्रथम अवस्था में लौटें। इसे रोजाना 10 बार करें।

अवधि रोजाना 6-8 मिनट

सावधानी स्लिप डिस्क से पीड़ित लोग इसका अभ्यास न करें।

भुजंगासन

किस रोग में लाभप्रदः पीठ व कमर दर्द, किडनी रोग, अनियमित मासिक धर्म

विधि

पांव को सीधा करके पेट के बल लेट जाएं। माथे को जमीन से सटने दें।

हथेलियों को कंधे के नीचे जमीन पर रखें। अब श्वास लेते हुए धीरे-धीरे सिर तथा कंधे को हाथों के सहारे जमीन से ऊपर उठाएं। सिर और कंधे को जितना पीछे की ओर ले जा सकें, ले जाएं। ऐसा लगे कि सांप अपना फन उठाये हुए है।

श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस प्रथम अवस्था में लौटें। इसे 5 बार दोहरायें।

अवधि रोजाना 5 मिनट सावधानी हर्निया, आंत संबंधी रोग से ग्रसित लोग इसे न करें।

अनुलोम-विलोम प्राणायाम

किस रोग में लाभप्रदः सिरदर्द, माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, न्यूरो प्रॉब्लम विधि सुखासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन में सीधा बैठ जाएं।

आर्थिक अंधेरों के बीच उम्मीद के उजाले

कोरोना महामारी के कारण न केवल भारत बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था डांवाडोल हुई है। भारत में लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ी है। छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप्प होने, नौकरी चले जाने, कमाई बंद होने के कारण आम व्यक्ति का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है, रोजमर्रा के खर्च के लिए प्रॉविडेंट फंड और बचत योजनाओं से पैसा निकालने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सोने का भाव रेकॉर्ड तोड़ बावन हजार रुपये प्रति दस ग्राम के पार चले जाना वित्तीय असुरक्षा एवं आर्थिक असंतुलन को दशार्ता है। इन आर्थिक असंतुलन एवं असुरक्षा की स्थितियों से उबारने के लिये नरेन्द्र मोदी सरकार व्यापक प्रयत्न कर रही है, नयी-नयी घोषणाएं एवं आर्थिक नीतियां लागू की जा रही है, जिनसे अंधेरों के बीच उजालों की संभावनाएं दिखाई दे रही है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को ऐसी ही संभावनाओं की चर्चा करते हुए आर्थिक संतुलन स्थापित करने के उन पांच कारकों की ओर ध्यान खींचा, जो आने वाले समय में आर्थिक उजाला बन सकते हैं। जिनमें है कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वैकल्पिक ऊर्जा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नॉलजी। स्टार्टअप्स को उन्होंने ऐसे स्पॉट्स के रूप में चिह्नित किया जो मौजूदा आर्थिक चुनौतियों एवं खतरों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। जिनसे हमारी आर्थिक रफ्तार एवं आकांक्षा की उड़ान को तीव्र गति दी जा सकेगी। उनके द्वारा कहीं गयी बातों की उपयोगिता और उनके द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं को भला कौन खारिज कर सकता है, लेकिन असल बात बड़ी चुनौतियों से निपटने एवं कृषि एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को पहचानने की है, जिसके बगैर बड़ी से बड़ी संभावना भी अभी के माहौल में खुद को साकार नहीं कर पाएगी।

अर्थ का कोमल बिरवा कोरोना के अनियंत्रित प्रकोप के साए में कुम्हला न जाये, इसके लिये इन संभावनाओं को रेखांकित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है, लेकिन इसके साथ ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को भी बल देने की जरूरत है। आरबीआई की प्रमुख प्राथमिकता देश की बैंकिंग व्यवस्था को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि यहां कोई बड़ा संकट शुरू हुआ तो किसी संभावना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ऐसे में धूर्त, चालाक, धोखेबाज और अक्षम कारोबारियों के विपरीत बहुत सारे वास्तविक उद्यमी भी धंधा बिल्कुल न चल पाने के कारण कर्ज वापसी को लेकर हाथ खड़े करने को मजबूर हो सकते हैं। इसके संकेत कई तरफ से मिल रहे हैं। इन स्थितियों पर नियंत्रण भी जरूरी है।

अर्थव्यवस्था के जानकारों के अनुसार भारतीय अर्थ व्यवस्था को स्वस्थ करने के लिये जरूरी है कि हम अपने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को पटरी पर लाने के सकारात्मक प्रयत्न करें। पिछले कई सालों से बड़े कर्जों के डूबने की स्थितियों ने हमारी बैंकिंग प्रणाली को तबाह कर दिया हैं। कुछ बड़े कारोबारी बैंकों से भारी-भरकम कर्ज लेकर विदेश भाग गये हैं, तो कुछ दिवालिया घोषित हो चुके हैं या इसके करीब पहुंच रहे हैं। सख्ती एवं तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद कर्जे की वसूली सपना ही बनी हुई है, जो अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने की एक बड़ी बाधा है। सरकारी बैंकों या बीमा कंपनियों में लगा धन एकाधिकारी, व्यावसायिक घरानों की खिदमत और बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होना भले ही आर्थिक विकास की सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत करता हो, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से आर्थिक तनाव, हिंसा एवं असंतुलन का बड़ा कारण है। जिससे सामाजिक चेतना या न्याय भावना आहत होती है। इस बड़ी विसंगति एवं विडम्बना को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियों में छोटे व्यापारियों, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को ऋण देने एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के उपक्रम हो रहे हैं। लेकिन बैंकों के आर्थिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित किये बिना मोदी की आर्थिक नीतियों को भी गति नहीं दी जा सकेगी। लोकतांत्रिक तत्वों से परिपूर्ण आर्थिक निर्णयों की खोज भी कम मुश्किल काम नहीं है।

कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था हिल गई है, आर्थिक जीवन ठहर सा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की योजनाओं की घोषणा के साथ राष्ट्र को संबोधित किया ताकि बाजार जीवन्त हो उठे, उद्योग ऊर्जावान हो जाये, ट्रेड बढ़ जाये, कृषि में नयी संभावनाएं जागे, ग्रामीण आर्थिक योजनाओं को बल मिले और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाये। लेकिन दूसरी ओर कोरोना ने पूरे समाज को निठल्ला भी बना दिया है। आम नागरिकों और सम्पन्न तबके के बीच की खाई गहरी हो गई है, गरीब की गरीबी बढ़ी है तो अमीर अपनी अमीरी को कायम रखने में सफल रहा है, ज्यादा मार मध्यम वर्ग की हुई है। कोरोना ने निर्धन को केवल आँसू दिये हैं और धनवान को धन देने के बावजूद जीवन के लुत्फ उठाने वंचित किया है। इन विकट स्थितियों के बीच संतुलित आर्थिक विकास की तीव्र अपेक्षा है।

हमारा लोकतंत्र और उसके बड़े प्रगतिशील आर्थिक कदम बड़े व्यावसायिक घरानों को कर्ज आनन-फानन में दे देते हैं लेकिन आम एवं उभरते हुए नये उद्यमियों एवं व्यापारियों के सामने कर्ज की अनेक औपचारिकताएं इतनी कठोर है कि वे चाह कर भी कर्ज नहीं ले पाते हैं। न केवल व्यापारी बल्कि छोटे-छोटे कर्ज लेने में एक छोटे किसान की जूतियां घिस जाती हैं। बाजार की मांग और पूर्ति की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में निवेश, उत्पादन, व्यापार आदि करने के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं बनना एक बात है और उन योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना दूसरी बात है। तमाम लुभावनी एवं आकर्षक आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के बावजूद करोड़ों लोग न्यूनतम आय एवं सरकारी योजनाओं से महरूम है। उनके पास इस आर्थिक विकास के सहभागी बनने के साधन और क्षमताएं नहीं हैं। सरकारी प्रयास इन तबकों के एक अति-लघु भाग को कुछ मदद करते हैं। मगर यह सहायता पाने वाली जनसंख्या से ज्यादा लोग एकाधिकार और बाजारपक्षीय सरकारी नीतियों-निर्णयों के कारण अर्थव्यवस्था के बाहर धकेल दिए जाते हैं। नतीजन, वोट के अधिकार से संपन्न होने के बावजूद करोड़ों लोग मानवीय-सामाजिक भागीदारी और क्षमताओं के विकास के अवसरों से वंचित रहते हैं।

बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक जरूरी

बाल विवाह समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे है, समाज में स्त्री और पुरूष के समान हक की बात भी करते है। लेकिन समाज में आज भी स्त्रियों को न ही समान हक दिया जाता है और न ही समान शिक्षा। इस बात में कोई अतिश्योक्ति नही की आज भी महिलाओं को समाज में पुरुषों से कमतर ही आका जाता है। आज भी लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। यह सबसे बड़ा अभिशाप कहे या समाज की हकीकत, आज भी लड़कियों को या तो पैदा होते ही मार दिया जाता है। और अगर किसी तरह वह जिंदा रह भी गयी तो उन्हें न ही लड़को के समान शिक्षा दी जाती है, और न ही उनके हुनर को तवज्जों दी जाती है। बचपन से ही उन्हें ये कहा जाता है, कि वह पराया धन है। यहां तक की आज भी समाज में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। जिससे न केवल उनका मानसिक विकास रुक जाता है, अपितु शारिरिक विकास भी ठीक से नही हो पाता है।

भारत में बाल विवाह आज भी चिंता का विषय है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। कम उम्र में विवाह से लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार औऱ उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के अवसर कम हो जाते है। बाल विवाह लड़कियों के लिए सदा एक अभिशाप ही रहा है। बाल विवाह रोकने के लिए समय समय पर कई कानून भी बनाये गए, लेकिन आज भी समाज में बाल विवाह का कलंक ज्यों का त्यों बना हुआ है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम कानून बनाया गया। इस अधिनियम में विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और लड़के की उम्र 21 व लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन जैसा कि समाज में प्रचलित है अधिनियम बन जाना अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत पर उसे लागू करने में वर्षों का समय लग जाता है। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजाराम मोहन राय ने अथक प्रयास किए। इसकी शुरूआत अंग्रेजी शासन काल मे ही हो गई थी। लेकिन इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए 1978 में पुनः इसमें परिवर्तन किया गया और इसे शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम नाम दिया गया। लेकिन आज की वास्तविक परिस्थितियों को देखे तो आज भी ये अधिनियम उतना प्रभावी नहीं हो सका है। आज भी न जाने कितनी मासूम लड़कियां कम उम्र में ही विवाह की बलि चढ़ा दी जाती है। जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई करना और सामाजिक ताने-बाने को समझने का समय होता उस उम्र में वो अपनी गृहस्थी का बोझ संभालती नजर आती है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 47 फीसदी बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र ही कर दी जाती है। रिपोर्ट बताती है कि 22 फीसदी लड़कियां 18 वर्ष से कम उम्र में ही मां बन जाती है। ये रिपोर्ट यह बताने के लिए काफी है कि आज भी रीति रिवाज और सामाजिक रूढ़िवादिता के फेर मे हम महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे है। 21वीं सदी में भी पितृसत्तात्मक सोच का ही वर्चस्व दिखाई देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जहां लड़कियों को देवी

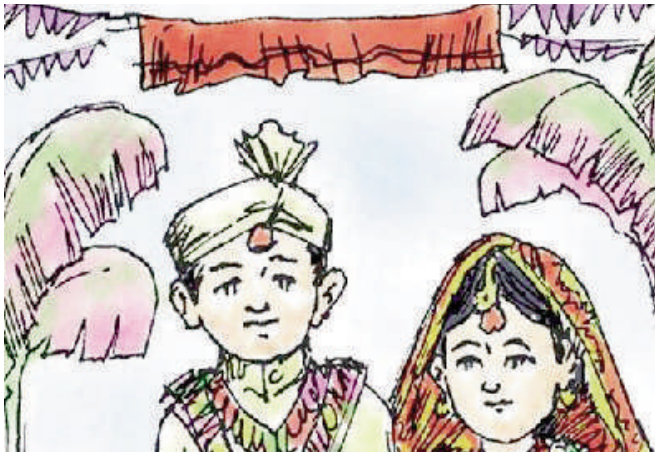

के रूप में पूजा जाता रहा हो आज वही लड़कियां अपमान और तिरष्कृत जीवन जीने को मजबूर हो रही है। और कही न कही इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि समय से पूर्व ही उनका विवाह कर दिया जाता है और एक ऐसी ज़िन्दगी की बलि-वेदी पर चढ़ा दिया जाता है जहां उसे अपने अधिकार, अपनी बात रखने का कोई हक नही होता है। आज भी देश में एक वर्ग महिलाओं का ऐसा है, जो देश का संचालन कर रही है, ऊंचे पदों पर आसीन है लेकिन इनकी तादात बहुत कम है।

गैर सरकारी संस्था यंग लाइवज व एनसीपीसीआर की 2011की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में एक दशक के भीतर 1.2 करोड़ बाल विवाह हुए। जिनमें 69.5 लाख करोड़ लड़के थे, जिनकी 21 साल से कम उम्र में शादी हो गई। 51.6 लाख लड़कियां थी जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई थी। आज एक बार फिर बाल विवाह कानून को और प्रभावी बनाने के लिए शारदा एक्ट में पुनः परिवर्तन की मांग उठ रही है। पुरुषों और महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर को रूढ़िवादी ओर पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित बताया जा रहा है। साथ ही महिलाओं की आयु को भी 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मांग की जा रही है। वैसे देखा जाए तो कम आयु में विवाह से महिलाओं को जीवन भर स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम आयु में माँ बनने पर प्रजनन के दौरान मां या बच्चे की मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाती हैं। कम उम्र में शादी के कई अन्य खतरे भी होते। मातृ मृत्यु दर कम उम्र की महिलाओं की सबसे ज्यादा है देश में। महिला और पुरुष की विवाह की आयु में अंतर होना संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन भी है कहीं न कहीं। ऐसे में आगामी समय में अगर लड़कियों की शादी की उम्र कानूनी रूप से 21 वर्ष तय कर दी जाती और उसका अनुपालना बेहतरी से होता है। तो इससे महिलाओं की स्थितियों में काफी बदलाव देखने को मिल सकता।

“ भारत में बाल विवाह आज भी चिंता का विषय है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। कम उम्र में विवाह से लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार औऱ उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के अवसर कम हो जाते है। बाल विवाह लड़कियों के लिए सदा एक अभिशाप ही रहा है। बाल विवाह रोकने के लिए समय समय पर कई कानून भी बनाये गए, लेकिन आज भी समाज में बाल विवाह का कलंक ज्यों का त्यों बना हुआ है।

आत्म-विकास का अवसर है चातुर्मास

भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में चातुर्मास का विशेष महत्व है। विशेषकर वषार्कालीन चातुर्मास का। हमारे यहां मुख्य रूप से तीन ऋतुएँ होती हैं- ग्रीष्म, वर्षा और शरद। वर्ष के बारह महीनों को इनमें बॉट दें, तो प्रत्येक ऋतु चार-चार महीने की हो जाती है। वर्षा ऋतु के चार महीनों के लिए ह्यचातुर्मासह्ण शब्द का प्रयोग होता है। चार माह की यह अवधि साधना-काल होता है। एक ही स्थान पर रहकर साधना की जाती है। हिन्दू धर्म और विशेषतः जैन धर्म में इन चार महीने सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में उपवास, व्रत और जप-तप का विशेष महत्व होता है। हिन्दू धर्म में देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरूआत होती है जो कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलती है, जबकि जैन धर्म में आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस समय में श्री हरि विष्णु योगनिद्रा में लीन रहते हैं इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी अवधि में ही आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से तीन पग में सारी सृष्टी दान में ले ली थी। उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। फलस्वरूप श्री हरि अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। इस बार हिन्दू चातुर्मास 1 जुलाई से 25 नवंबर तक रहेगा जबकि जैन धर्म का चातुर्मास 5 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 नवम्बर तक चलेगा।

वास्तव में पुराने समय में वषार्कल पूरे समाज के लिए विश्राम काल बन जाता था किन्तु संन्यासियों, श्रावकों, भिक्षुओं आदि के संगठित संप्रदायों ने इसे साधना काल के रूप में विकसित किया। इसलिए वे निर्धारित नियमानुसार एक निश्चित तिथि को अपना वषार्वास या चातुर्मास शुरू करते थे और उसी तरह एक निश्चित तिथि को उसे समाप्त करते थे। चातुर्मास शुभारंभ पर सम्पूर्ण देश में जगह-जगह आध्यात्मिक कार्यक्रमों की गरिमापूर्ण प्रस्तुति देखने को मिलती है। इस दिन से तप की गंगा प्रवहमान हो जाती है।

जैन परम्परा में आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय तथा वैदिक परम्परा में आषाढ़ से आसोज तक का समय चातुर्मास कहलाता है। धन-धान्य की अभिवृद्धि के कारण उपलब्धियों भरा यह समय स्वयं से स्वयं के साक्षात्कार, आत्म-वैभव को पाने एवं अध्यात्म की फसल उगाने की दृष्टि से भी सर्वोत्तम माना गया है। इसका एक कारण यह है कि निरंतर पदयात्रा करने वाले जैन साधु-संत भी इस समय एक जगह स्थिर प्रवास करते हैं। उनकी प्रेरणा से धर्म जागरणा में वृद्धि होती है। जन-जन को सुखी, शांत और पवित्र जीवन की कला का प्रशिक्षण मिलता है। गृहस्थ को उनके सान्निध्य में आत्म उपासना का भी अपूर्व अवसर उपलब्ध होता है।

यों तो हर व्यक्ति को जीने के लिये तीन सौ पैंसठ दिन हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन उनमें वषार्वास की यह अवधि हमें जागते मन से जीने को प्रेरित करती है, इसके लिये जैन धर्म में विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान एवं उपक्रम किये जाते हैं। यह अवधि चरित्र निर्माण की चैकसी का आव्हान करती है ताकि कहीं कोई कदम गलत न उठ जाये। यह अवधि एक ऐसा मौसम और माहौल देती है जिसमें हम अपने मन को इतना मांज लेने को अग्रसर होते हैं कि समय का हर पल जागृति के साथ जीया जा सके। संतों के लिये यह अवधि ज्ञान-योग, ध्यान-योग और स्वाध्याय-योग में आत्मा में अवस्थित होने का दुर्लभ अवसर है। वे इसका पूरा-पूरा लाभ लेने के लिये तत्पर होते हैं। वे चातुर्मास प्रवास में अध्यात्म की ऊंचाइयों का स्पर्श करते हैं, वे आधि, व्याधि, उपाधि की चिकित्सा कर समाधि तक पहुंचने की साधना करते हैं। वे आत्म-कल्याण ही नहीं पर-कल्याण के लिये भी उत्सुक होते हैं। यही कारण है कि श्रावक समाज भी उनसे नई जीवन दृष्टि प्राप्त करता है। स्वस्थ जीवनशैली का निर्धारण करता है।

हम सही अर्थों में जीना सीखें। औरों को समझना और सहना सीखें । जीवन मूल्यों की सुरक्षा के साथ सबका सम्मान करना भी जानें। इसी दृष्टि से वषार्कल है प्रशिक्षण का अनूठा अवसर। यह अवसर जहां प्रकृति के अणु-अणु में प्राणवत्ता का संचार करता है, भूगर्भगत उर्वरता की अनंत संभावनाओं को उभार देता है, वहां वह व्यक्ति और समाज की आध्यात्मिक चेतना को जगाने एवं संस्कार बीजों को बोने और उगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इंसान को इंसान बनाने एवं स्वस्थ जीवन-शैली की स्थापना का उपक्रम है। जिसमें संतों के साथ-साथ श्रावक भी अपने जीवन को उन्नत बनाने को प्रेरित होता है।

संतों के अध्यात्म एवं शुद्धता से अनुप्राणित आभामंडल समूचे वातावरण को शांति, ज्योति और

“ वास्तव में पुराने समय में वषार्कल पूरे समाज के लिए विश्राम काल बन जाता था किन्तु संन्यासियों, श्रावकों, भिक्षुओं आदि के संगठित संप्रदायों ने इसे साधना काल के रूप में विकसित किया। इसलिए वे निर्धारित नियमानुसार एक निश्चित तिथि को अपना वषार्वास या चातुर्मास शुरू करते थे और उसी तरह एक निश्चित तिथि को उसे समाप्त करते थे। चातुर्मास शुभारंभ पर सम्पूर्ण देश में जगह-जगह आध्यात्मिक कार्यक्रमों की गरिमापूर्ण प्रस्तुति देखने को मिलती है।

आनंद के परमाणुओं से भर देता है। वे कर्म संस्कारों के रूप में चेतना पर परत-दर-परत जमी राख को भी हवा देते हैं। इससे जीवन-रूपी सारे रास्ते उजालों से भर जाते हैं। लोक चेतना शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त हो जाती है। उसे द्वंद्व एवं दुविधाओं से त्राण मिलता है। भावनात्मक स्वास्थ्य उपलब्ध होता है।

संत धरती के कल्पवृक्ष होते हैं। संस्कृति के प्रतीक, परम्परा के संवाहक, जीवन कला के मर्मज्ञ और ज्ञान के रत्नदीप होते हैं। उनके सामीप्य में संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म और दर्शन का व्यवस्थित प्रशिक्षण लिया जा सकता है। उनका उपदेश किसी की ज्ञान चेतना को जगाता है तो किसी की विवेक चेतना को विकसित करता है। किसी को आत्महित में प्रवृत्त करता है तो किसी को चित्तगत संक्लेशों से निवृत्त करता है। ठीक इसी तरह श्रावक भी संवेदनाओं एवं करुणाशीलता के फैलाव के लिये जागरूक बनते हैं। यह इस अवधि और इसकी साधना का ही प्रभाव है कि श्रावक की संवेदनशीलता इतनी गहरी और पवित्र हो जाती है कि वह अपने सुख की खोज में किसी को सुख से वंचित नहीं करता। किसी के प्रति अन्याय, अनीति और अत्याचार नहीं होने देता। यहां तक की वह हरे-भरे वृक्षों को भी नहीं काटता और पर्यावरण को दूषित करने से भी वह बचता है। चातुर्मास का महत्व शांति और सौहार्द की स्थापना के साथ-साथ भौतिक उपलब्धियों के लिये भी महत्वपूर्ण माना गया है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जहां चातुर्मास या वषार्वास और उनमें संतों की गहन साधना से अनेक चमत्कार घटित हुए है। यह अवधि जिसमें कुछ व्यक्ति सामूहिक रूप से ध्यान, साधना, तपोयोग या मंत्र अनुष्ठान करना चाहें, उनके लिये उपहार की भांति है। जिस क्षेत्र की स्थिति विषम हो। जनता विग्रह, अशांति, अराजकता या अत्याचारी शासक की क्रूरता की शिकार हो, उस समस्या के समाधान हेतु शांति और समता के प्रतीक साधु-साध्वियों का चातुर्मास वहां करवाया जाकर परिवर्तन को घटित होते हुए देखा गया है। क्योंकि संत वस्तुतः वही होता है जो औरों को शांति प्रदान करे। बाहर-भीतर के वातावरण को शांति से भर दे। जो स्वयं शांत रस में सराबोर रहता है तथा औरों के लिए सदा शांति का अमृत छलकाता रहता है। एक तरह से अध्यात्म एवं पवित्र गुणों से किसी क्षेत्र और उसके लोगों को अभिस्नात करने के लिये चातुर्मास एक स्वर्णिम अवसर है।

वषार्वास जैन परम्परा में साधना का विशेष अवसर माना जाता है। इसलिए इस काल में वे आत्मा से परमात्मा की ओर, वासना से उपासना की ओर, अहं से अर्हम् की ओर, आसक्ति से अनासक्ति की ओर, भोग से योग की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर, बाहर से भीतर की ओर आने का प्रयास करते हैं। वह क्षेत्र सौभाग्यशाली माना जाता है, जहां साधु-साध्वियों का चातुर्मास होता है। उनके अध्यात्म प्रवचन ज्ञान के स्रोत तथा जीवन के मंत्र सूत्र बन जाते हैं। उनके सान्निध्य का अर्थ है-बाहरी के साथ-साथ आंतरिक बदलाव घटित होना।

आज की भौतिक सुखवादिता एवं सुविधावादी दृष्टिकोण ने जहां प्राकृतिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया है, कोरोना महाव्याधि ने मानव जीवन को संकट में डाला है, उससे कहीं ज्यादा मन के गलत विचारों ने मानवीय संवेदना को प्रदूषित किया है। कोरोना कहर के इन जटिल से जटिल होने हालातों को बदलने के लिये और जीवन को सकारात्मक दिशाएं देने के लिये चातुर्मास एक सशक्त माध्यम है। यह आत्म-निरीक्षण का अनुष्ठान है। यह महत्वाकांक्षाओं को थामता है। इन्द्रियों की आसक्ति को विवेक द्वारा समेटता है। मन की सतह पर जमी राग-द्वेष की दूषित परतों को उघाड़ता है। करणीय और अकरणीय का ज्ञान देता है तभी जीवन की दिशायें बदलती है। चातुर्मास में ज्ञानी मुनिजनों के मुख से शास्त्र-वाणी का श्रवण करने से भौतिकता के साथ-साथ आध्यात्मिक का भाव पुष्ट होता है। त्याग-प्रत्याख्यान में वृद्धि होती है। कर्म निर्जरा के लिए पराक्रम के प्रस्फोट की प्रेरणा मिलती है। गांव और घर-घर में तप आराधना का ज्वार-सा आ जाता है। जो न केवल जीवन की दिशाओं को ही नहीं बदलता बल्कि जीवन का ही सर्वांगीण रूपान्तरण भी कर देता है। चातुर्मास संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। जरूरत है इस सांस्कृतिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाने की। ऐसी परम्पराओं पर हमें गर्व और गौरव होना चाहिए कि जहां जीवन की हर सुबह सफलताओं की धूप बांटें और हर शाम चारित्र धर्म की आराधना के नये आयाम उद्घाटित करें। क्योंकि यही अहिंसा, शांति और सह-अस्तित्व की त्रिपथगा सत्यं, शिवं, सुंदरम् का निनाद करती हुई समाज की उर्वरा में ज्योति की फसलें उगाती है।

“ वषार्वास जैन परम्परा में साधना का विशेष अवसर माना जाता है। इसलिए इस काल में वे आत्मा से परमात्मा की ओर, वासना से उपासना की ओर, अहं से अर्हम् की ओर, आसक्ति से अनासक्ति की ओर, भोग से योग की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर, बाहर से भीतर की ओर आने का प्रयास करते हैं। वह क्षेत्र सौभाग्यशाली माना जाता है, जहां साधु-साध्वियों का चातुर्मास होता है। उनके अध्यात्म प्रवचन ज्ञान के स्रोत तथा जीवन के मंत्र सूत्र बन जाते हैं।

बाल श्रम से कैसे बच पायेगा भविष्य

संयुक्त राष्ट्र बाल श्रम को ऐसे काम के रूप में परिभाषित करता है, जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी गरिमा और क्षमता से वंचित करता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों के स्कूली जीवन में हस्तक्षेप करता है। बाल श्रम आज दुनिया में एक खतरे के रूप में मौजूद है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। देश की प्रगति और विकास उन पर निर्भर है। लेकिन बाल श्रम उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर चोट करता है। कार्य करने की स्थिति, और दुर्व्यवहार, समय से पहले उम्र बढ़ने, कुपोषण, अवसाद, नशीली दवाओं पर निर्भरता, शारीरिक और यौन हिंसा, आदि जैसी समस्याओं के कारण ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते है। यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है। यह उन्हें उनके सही अवसर से वंचित करता है जो अन्य सामाजिक समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस-

बाल श्रम एक वैश्विक चुनौती है। बाल श्रम को लेकर अलग-अलग देशों ने कई कदम उठाए हैं। बाल श्रम से निपटने के लिए हर साल 12 जून को ह्लविश्व बाल श्रम निषेध दिवसह्व मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरूआत साल 2002 में ह्यइंटरनेशनल लेबर आगेर्नाईजेशनह्व द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मकसद बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की जरूरत को उजागर करना और बाल श्रम व अलग-अलग रूपों में बच्चों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघनों को खत्म करना है। हर साल 12 जून को मनाए जाने वाले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र एक विषय तय करता है। इस मौके पर अलग झ अलग राष्ट्रों के प्रतिनिधि, अधिकारी और बाल मजदूरी पर लगाम लगाने वाले कई अंतराष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेते हैं, जहां दुनिया भर में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या पर चर्चा होती है।

दुनिया भर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बच्चों को मजदूर के रूप में काम पर लगाया जा रहा है। पहले बच्चे पूरी तरह से खेतों में काम करते थे, लेकिन अब वे गैर-कृषि नौकरियों में जा रहे हैं। कपड़ा उद्योग, ईंट भट्टे, गन्ना, तम्बाकू उद्योग आदि में अब बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों को देखा जाता है। अशिक्षा के साथ गरीबी के कारण, माता-पिता अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाने के बजाय काम करने के लिए मजबूर करते हैं। पारिवारिक आय की तलाश में, माता-पिता बाल श्रम को प्रोत्साहित करते हैं। अज्ञानता से, वे मानते हैं कि बच्चों को शिक्षित करने का अर्थ है धन का उपभोग करना और उन्हें काम करने का अर्थ है आय अर्जित करना। लेकिन वे ये नहीं समझते कि बाल श्रम काम नहीं होता बल्कि गरीबी को बढ़ाता है क्योंकि जो बच्चे काम के लिए शिक्षा का त्याग के लिए मजबूर होते हैं, वे जीवन भर कम वेतन वाली नौकरियों में बर्बाद होते हैं

आंकड़ों में बाल श्रम-

दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल 152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं। खतरनाक श्रम में मैनुअल सफाई, निर्माण, कृषि, खदानों, कारखानों तथा फेरी वाला एवं घरेलू सहायक इत्यादि के रूप में काम करना शामिल है। इस तरह के श्रम बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक विकास को खतरे में डालते हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण बच्चे सामान्य बचपन और उचित शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। बाल श्रम के कारण दुनिया भर में 45 मिलियन लड़के और 28 मिलियन लड़कियाँ प्रभावित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख से अधिक बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाए गए। दुनिया भर के कुल बाल मजदूरों में 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। गैरसरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में झ करीब झ 5 करोड़ बाल मजदूर हैं।

> “ बाल श्रम एक वैश्विक चुनौती है। बाल श्रम को लेकर अलग-अलग देशों ने कई कदम उठाए हैं। बाल श्रम से निपटने के लिए हर साल 12 जून को ह्लविश्व बाल श्रम निषेध दिवसह्व मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरूआत साल 2002 में ह्यइंटरनेशनल लेबर आगेर्नाईजेशनह्व द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मकसद बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की जरूरत को उजागर करना ।

बाल श्रम के पीछे कौन है ?

बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। बाल श्रम में बच्चों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं, उनमें आमतौर पर गरीबी पहला कारण है। इसके अलावा, जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता-पिता (वे अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं, ताकि परिवार की आय बढ़ सके) जैसे अन्य कारण भी हैं। बाल श्रम के लिए जिम्मेदार एक और प्रमुख समस्या है तस्करी। अनुमान के अनुसार, लगभग 1.2 मिलियन बच्चे यौन शोषण और बाल श्रम के लिए सालाना तस्करी होते हैं। भारत में बाल तस्करी की मात्रा अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, प्रत्येक आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। ये बच्चे मुख्य रूप से भीख मांगने, यौन शोषण और बाल श्रम के लिए तस्करी के शिकार हैं।

बाल श्रम और कानून

संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धातों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है- 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिये अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है।

फैक्टरी कानून 1948 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गई है और उनके रात में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्त्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

बाल श्रम से कैसे बच पायेगा भविष्य

बाल अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। बाल श्रम की कमियों के बारे में कम शिक्षित या अनपढ़ माता-पिता को शिक्षित करना इस संकट से लड़ने में सहायक हो सकता है। माता-पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना बाल श्रम के खतरे को नियंत्रण में ला सकता है। सामाजिक कार्यकताओं, मीडिया व्यक्तियों, नागरिक समाजों, गैर-सरकारी संगठनों, वास्तव में, सभी क्षेत्रों के लोगों को इस मुद्दे के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चों का समृद्ध जीवन हो सके। आइए हम इस विश्व दिवस पर बाल श्रम (12 जून) के खिलाफ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करें।

आगे की राह

बाल श्रम गरीबी, बेरोजगारी और कम मजदूरी का एक दुष्चक्र है। परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और बच्चों को काम पर न भेजने के लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और नकद हस्तांतरण की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। शैक्षिक संस्थानों और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत साथ ही शिक्षा की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत है। बाल श्रम से निपटने के मौजूदा भारतीय कानूनों में एकरूपता लाने की जरूरत है। निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी बनाना होगा।सार्वजनिक हित और बच्चों के बड़े पैमाने पर जागरूकता और बाल श्रम के खतरे को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने की जरूरत है।

“ बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। बाल श्रम में बच्चों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं, उनमें आमतौर पर गरीबी पहला कारण है। इसके अलावा, जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता-पिता (वे अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं,।

परिवहन को ज्यादा साफ-सुरक्षित बनाना होगा

अब परिवहन सड़कों पर लौट आया है, लेकिन जब तक कोरोनोवायरस संक्रमण बढ़ रहा है, चीजें सामान्य से बहुत दूर रहेंगी। अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने और शहरों में कामगारों को कार्यस्थल पर लाने में सार्वजनिक परिवहन एक प्रमुख माध्यम है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के समय में बसों, ट्रेनों की यात्रा को सुरक्षित बनाने की जरूरत महसूस हो रही है । कोविड-19 महामारी से प्रभावित पूरी दुनिया में सार्वजनिक परिवहन नये रूप में सामने आ रहा है। पहले जैसा होने में सालों लग जायेंगे। अब सवाल यही है क्या हम पहले जैसे परिवहन के साधनों का इस्तेमाल कर पाएंगे और कब से कर पाएंगे।

जब तक ये सामान्य नहीं हो जाता तब तक क्या सावधानियां रखने की जरूरत है और वायरस के साथ रहने वाले ह्लकी वास्तविकता के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता है? कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारत में परिवहन का पूर्ण बंद था। अब, जैसे ही देश लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है, परिवहन प्रणाली की एक उचित रैंपिंग की आवश्यकता है। यात्रा करते समय एक दूसरे से पर्याप्त दूरी रखना कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकता है। लेकिन सार्वजनिक परिवहनों में शारीरिक दूरी बनाना मुश्किल है। हमें यातायात के विभिन्न माध्यमों पर विचार करना होगा और उसमें बदलाव करने होंगे।

उपनगरीय ट्रेनों, सार्वजनिक बसों और मेट्रो में अधिक भीड़भाड़ को इस तरह व्यवस्थित करना होगा कि लोग एक दूसरे से दूरी बना कर आरामदायक तरीके से बैठ सके या खड़े हो सके। हालाँकि यातायात का प्रबंधन करना एक चुनौती भी होगी क्योंकि आपूर्ति पहले ही मांग से बहुत कम है। सीमित साधनो के कारण सार्वजनिक परिवहनों की व्यवस्था करना निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट संचालकों के लिए एक कठिन काम होगा। रेलवे अपनी यात्री सेवाओं को इस तरह डिजाइन करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ले जाया जा सके। फलस्वरूप उपनगरीय रेल के कोच लोगों से ठसाठस भरे होते हैं

क्या कोविड-19 सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों से फैल सकता है?

यह प्रशंसनीय है कि भारत में सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया गया, इससे पहले कि वह एक कोविड प्रसारक बने। हमें अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पुनः आरंभ हो और कैसे ? खासकर मेट्रो रेल। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए अधिक से अधिक कोविद सुरक्षा मानक जरूरी है और इसके बाद जरूरी है सार्वजनिक परिवहन की क्षमता। जैसे वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र आवश्यक हैं, वैसे ही सरकार को लोगों में विश्वास जगाने के लिए कोविद सुरक्षा प्रमाण पत्र के साथ आना होगा। सरकार द्वारा बसों और महानगरों पर कोविद सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया जाए, वाहनों पर सुरक्षा प्रतिबंध लगाने और ओला और उबर कैब में यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और मालिकों और ड्राइवरों पर इसकी जिम्मेवारी को तय करना होगा।

कोविड -19 और सार्वजनिक परिवहन:

भीड़ के संक्रमण के डर से, यात्री दोपहिया जैसे निजी मोड में यात्रा करना पसंद करते हैं। कोविड -19 के बाद, जब स्थिति कुछ सामान्य हुई है, तो लोग निजी वाहनों के जरिए शारीरिक दूरी बनाने की कोशिश में है। लोग स्कूटर और मोटरबाइक से यात्रा करना पसंद कर रहें है, उन लोगों का जिक्र छोड़ दे जो पहले ही निजी यात्रा के लिए कार का इस्तेमाल करते थे या अब कार खरीदने में सक्षम हैं। वैसे आज भी कई कारणों से, दोपहिया वाहन परिवहन का एक पसंदीदा तरीका है क्योंकि यह सुविधाजनक है और सार्वजनिक परिवहन की तुलना में सस्ता भी है। सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी और

> “ जब तक ये सामान्य नहीं हो जाता तब तक क्या सावधानियां रखने की जरूरत है और वायरस के साथ रहने वाले ह्लकी वास्तविकता के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता है? कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारत में परिवहन का पूर्ण बंद था। अब, जैसे ही देश लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है, परिवहन प्रणाली की एक उचित रैंपिंग की आवश्यकता है।

जो साफ वातावरण हमें अभी मिला है वह फिर से एक सपना हो जाएगा दिल्ली जैसे शहर, जिसने लगभग चार सप्ताह पहले सेवाओं को फिर से शुरू किया, कई मार्गों पर सीमित आवृत्तियों के बावजूद, प्रति बस में 20 यात्रियों की तुलना में कम सवारियां देखी गई। हालांकि मुंबई जैसे कुछ शहरों में बस में भीड़ देखी जा रही है, शायद वहां ऐसा विकल्पों की कमी के कारण है। सार्वजनिक परिवहन गिरावट की बहाली महीनों तक जा सकती है।इसका मतलब है कि सड़क परिवहन के परिवहन साधनों में जनता का विश्वास हासिल करने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं

क्या ये उपाय गंभीर वायरल संचरण को रोकने के लिए पर्याप्त हैं?

दुर्भाग्य से, दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों को सार्वजनिक परिवहन आवागमन के दौरान कोविड -19 ट्रांसमिशन की मात्रा पर वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान की कमी का सामना करना पड़ा है। गोपनीयता कानून आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा संक्रमित होने के सटीक विवरण को निकालने के लिए संपर्क-ट्रेसिंग डेटा की उपलब्धता को रोकते हैं। एयर कंडीशनिंग एयरफ्लो के प्रभाव को भी जानना बेहद जरूरी है भारतीय प्राधिकरण जो पहले से ही एसी के प्रभावों पर समान धारणाओं के तहत काम कर रहे थे, से पता चला है कि खुली खिड़कियों वाली एक गैर-एसी बस बहुत कम जोखिम वाला आउटडोर वातावरण प्रदान करती है। हालांकि ये अभी भी संशय है कि एक एसी मेट्रो रेल कोच जोखिम भरा है।

आगे का रास्ता:

हमारे सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों और जनता दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। खासकर सरकार इस वक्त सार्वजनिक परिवहन से कमाने की कोशिश न करे। किराया कम करे, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर आकर्षित हों। बसों में सोशल डिस्टैंसिंग के चलते कम यात्री बैठेंगे, इसलिए बसों की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी। इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, जैसे- जहां मेट्रो या ट्रेन की यात्रा समाप्त हो, वहीं बस मिल जाए। छोटी सी लापरवाही वायरल ट्रांसमिशन का एक गंभीर स्तर पैदा कर सकती है। चूंकि प्रदूषण और दुर्घटनाएं भारत में कोविड -19 की तुलना में अधिक लोगों की जान लेती हैं, इसलिए सार्वजनिक परिवहन के लिए अब उठाये कदमों के भविष्य में बेहतर परिणाम होंगे। सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा साफ बनाना होगा। थूकने या गंदगी फैलाने पर सजा और जुमार्ने के प्रावधान कड़े करने होंगे। यात्रा से पहले वाहन के चालकों और यात्रियों की जांच जरूरी होगी। हर सार्वजनिक वाहन, चाहे वह ट्रेन हो या विमान, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह बस स्टॉप, बस डिपो और मेट्रो स्टेशन हर जगह को सैनेटाइज किया जाना जरूरी है। वाहनों को भी सैनेटाइज किया जाए। यही वह वक्त है, जब सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जा सकता है।

> हमारे सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों और जनता दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। खासकर सरकार इस वक्त सार्वजनिक परिवहन से कमाने की कोशिश न करे। किराया कम करे, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर आकर्षित हों। बसों में सोशल डिस्टैंसिंग के चलते कम यात्री बैठेंगे, इसलिए बसों की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी। इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, जैसे- जहां मेट्रो या ट्रेन की यात्रा समाप्त हो, वहीं बस मिल जाए।

मेष गुरु की कृपा से भाग्य की बृद्धि होगी।कर्म स्थान का शनि मेहनत के बाद ही सफलता देगा।शनिबार की संध्या में लड्डू गरीबों में बांटे।सेहत का ध्यान रखें।भगवान श्री सूर्यनारायण को अर्ध्य प्रदान करें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल है।

बृषभ मन खिन्न रहेगा।बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी।जीवन में आनंद का वातावरण बनाने के लिए दुर्गासप्तशती का पाठ करें।विद्यार्थी के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल अवसर हैं। शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद या ऑफ वाइट।

मिथुन स्वास्थ्य का ध्यान रखें।प्रतिष्ठा तो मिलेगी।लेकिन धनागमन में थोड़ी परेशानी होगी।अष्टम शनि के लिए चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें।दशम सूर्य आपके जीवन में विशेष कृपा बनाएगा।मा के महालक्ष्मी रूप की पूजा करें। शुभ अंक 3 रंग हरा और लाल।

कर्क सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।घर के स्त्री पक्ष का सेहत चिंता का कारण बनेगा।प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल समय है।हनुमान जी की आराधना करें।बजरंगबाण का पाठ करें। शुभ अंक 7। शुभ रंग- गुलाबी

सिंह मत्र के वेश में छुपे शत्रु से सावधानी की जरूरत है।श्री लुक्ष्मी नारायण की पूजा से धन लाभ होगा।संध्या प्रहर घी का चतुर्मुख दीपक अपने घर के मुख्यद्वार पर प्रतिदिन जलाए।उत्सव और मांगलिक कार्य की बातें करने का उपयुक्त समय है। शुभ रंग नीला। शुभ अंक 8।

कन्या पंचम शनि करियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर देंगे।विद्या व बुद्धि से सफलता प्राप्त होंगे।गुरु के प्रभाव से लीवर या पेट की समस्या रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप या श्रवण करें। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 3।

बृश्चिक आपके आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन आगमन का योग है।भाई के लिए समय अनुकूल नही है।बाएं सुर बाले पीले गणपति का तस्बीर घर में रखें।प्रतिष्ठा व सम्मान का योग है। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 5।

तुला भाग्य का राहु राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे।गुरु की कृपा से शत्रु व रोग का नाश होगा।शनि माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है।चांदी के पात्र से गाय का कच्चा दूध नदी में बहाएं।अनुकूलता बनी रहेगी। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 4।

मकर जिद्द छोड़ना होगा।बाएं हाथ की कलाई में पीला धागा बांधने सेनुक्सान कम होगा।राहु अचानक व विचित्र परिणाम दे सकता है।कालभैरव जी की पूजा करें। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 7।

कुम्भ झूठ से नफरत होगी।झूठे लोगों से सामना होगा।लाभ होंगे लेकिन मन के अनुकूल नही।लेकिन मान सम्मान बढेगा।मंगल कार्य के लिए आगे बढ़े।आवश्यकता को कम करें।चोट चपेट से बचना होगा।हल्दी का गांठ अपने पर्स में रखें।ॐ नमो नारायणाय का जाप करें। शुभ रंग-गुलाबी। शुभ अंक 8।

धनु धन का आगमन होगा।लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध व दही का सेवन नही करें।आत्मभिमान से बचना होगा।अहंकार को हावी नही होने दे।हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6। शुभ रंग हरा।

मीन सूर्य की कृपा से पद व प्रतिष्ठा की बृद्धि होगी।गुस्सा पर नियंत्रण रखें।दुश्मन से सचेत जरूरी है।नजर बचना होगा।घर की शांति राहु के कारण नियंत्रण में नही रहेगा। सफेद कपड़े में सिंधा नामक घर के मुख्य द्वार पर बांधे। शुभ रंग -हरा। शुभ अंक 9।

इक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां

प्रगतिशीलता के पुरोधा,परम्पराओं को ध्वस्त करने वाले कवि करुण कालखंडी जी देश में मजदूरों के पलायन से बहुत दुखी थे ,उन्होंने लाक डाउन के पहले दिन से बहुत मर्माहत करने वाली तस्वीरें और करुणा से ओत प्रोत कविताएं लिखी थीं ।वो सरकार पर बरसते ही रहे थे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया ? कोई अगर भूले भटके उनसे पूछ लेता उनकी फेसबुक वाल पर तो उसे वे तुरन्त ब्लॉक कर देते थे।सड़क पर चल रहे मजदूरों की व्यथा से विकल उन्होंने समान धर्मा लोगों की एक मीटिंग बुलायी। मीटिंग लॉक डाउन का लिहाज करके दिन में तीन बजे खत्म कर देने का उनके इसरार पर दोस्तों ने इकरार कर के हामी दी।तय शुदा वक्त पर उनकी मंडली पहुंची ।उनके नौकर ने स्टार्टर रख दिया ।फिर मुर्ग मुसल्लम,मटन से कमरे में खुशबू भर गयी ,उन्होंने खाना शुरू करने से पहले तंदूरी रोटी को देखा और मोबाइल पर गीत लगा दिया इक बगल में चाँद होगा ,एक बगल में रोटियां।रोटियों के गीत सुनकर और तंदूरी रोटी की खुश्बू से उनकी मंडली खाने पर टूट पड़ने वाली थी कि उन्होंने वोदका पेश कर दी ।मंडली के चेहरे निहाल हो उठे,।डफली बजाकर सड़कों पर गीत गाने वाले रोटी मैन के नाम से मशहूर मजहर साहब ने पाये का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा -ह्वकहाँ से मिली आपको ,इस बंदी में भी।लास्ट टाइम जब हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के खिलाफ स्ट्रीट प्ले और प्रोटेस्ट कर रहे थे ,तब इवल कम्पनी ने पूरा क्रेट वोदका हम लोगों को दिया था ,लेकिन कमीने ने फाइनल पेमेंट के टाइम वोदका की हर बोतल के पैसे काट लिए थे ,देखो अब ऐसे बेहतरीन ऑफर वाले प्रोटेस्ट करने के मौके दुबारा मिलें या न मिलें ह्वये कहते हुए वोदका का पूरा गिलास गटक लिया उन्होंने और गुनगुनाने लगे ह्वइंकलाब लाना है साथी इंकलाब लाना है ह्व।मुर्गे के लेग पीस को दांतों से खींचकर उसे सटकने के बाद हल्की सी सिप लेते हुए गिलास को बगल में रखकर संध्या वादिनी जी बोलीं -ह्वआपके कहने पर ये लेग पेस खा लिया मैंने।शहर के सारे जानवर मर रहे हैं ,खास तौर से पोल्ट्री ।अब ये मर रहे हैं तो इनको मरना ही है ।हमारी गोवरर्नमेंट इंसानों को ही बचाने में उलझी है ।यू नो एनिमल्स डोंट कास्ट देअर वोट्स । हे भगवान इन पोल्ट्री की रक्षा करना ।मैं तो एक प्रार्थनासभा भी करूंगी इन बेजुबानों के लिये।हमारी एनजीओ की फेसबुक पेज पर फोटो देखकर ऑस्ट्रेलिया से हमको एक ग्रांट मिली थी । कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगो थी ,उस पर हमने यहां कितनी रैली,सांग,स्लोगन किये थे।किसी कम्बख्त ने ऑस्ट्रेलियन एनजीओ को मेल कर दिया कि हमारी एनजीओं को गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था।अब ये बंदी के दिन बीत जाएँ तो किसी अफसर से कह सुन कर मुझे ब्लैक लिस्ट से निकलवायें।करुण जी आप तो कवि हैं मिनिस्ट्री में बहुत से कवि हैं।कवियों के बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं ।प्लीज डु समथिंग करुण जी यू हैव टू हिल्प मी ,आई विल गिव यू टेन परसेंट ऑफ ग्रांट ,यू नो इन डॉलर ।हे भगवान मैं जब पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिये प्रार्थना सभा करूंगी तो आपको टैग भी करूंगी ।बाद में आप भी इसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजियेगा तो मेरी एनजीओ का इमेज मेकओवर हो जायेगा।आप रिटायर हैं तो क्या थे तो बहुत बड़े अफसर।बेचारे इनोसेंट बर्ड्सह्वये कहकर वो सुबकने लगीं ।वो सुबकते सुबकते उठा कर एक लेग पीस मुंह में रख लेतीं और फिर पोल्ट्री उत्पादों के बारे में सोचकर सिहर उठातीं और फिर सुबकने लगतीं।कुमार कालजयी साहब अब तक तीन पैग नीट पी चुके थे ।कुमार कालजयी साहब बहुधन्धी व्यक्ति थे।लेकिन फिलहाल वो खुद को जन्मजात चित्रकार बताते थे मगर इस वक्त चाइल्ड राईट एक्टिविस्ट के तौर पर चांदी कूट रहे थे ।उन्हें दुनिया भर के बच्चों की बेहद फिक्र थी ,अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पेज पर अयलान की डीपी लगा रखी थी ।जब से देश -दुनिया में बंदी का माहौल शुरू हुआ है तब से वो लोगों के फेसबुक पेज पर से यात्रा कर रहे बच्चों की तस्वीरें उठा लेते हैं उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके उसका स्केच

बनाकर रंग भरते हैं और उन्हें दुनिया भर की वेबसाइट्स पर बेचने की कोशिश करते हैं जिसमें वो फिलहॉल विफल हैं ।उन्हें बच्चों से इतना ज्यादा प्रेम है मगर न जाने क्यों अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखते और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी सुदूर गांव में अपने माँ -बाप को दे रखी है ।उन्होंने चौथा पैग नीट भरा और बोले ह्वअब दुनिया भर की वेबसाइट्स बच्चों के अधिकारों को लेकर संवेदनहीन हो गयी हैं।एक भी पेंटिंग नहीं ली किसी ने बच्चों की।अब ग्राउंड जीरो पर भी बच्चों के लिये काम करने की गुंजाइश नहीं दिख रही ।अरे जब दुकानों ,कारखानों में बच्चे काम नहीं करेंगे तो उनकी रिलीज और रिहैब के लिये हमें ग्रांट कौन देगा इस बंदी में मेरा भी नौकर भाग गया।पिपलोनिया की ग्लास इंडस्ट्री में सोलह नाबालिग थे ।मैंने पुलिस के साथ रेड में कोऑपरेशन किया था ।पिपलोनिया ने पुलिस को क्या लिया दिया,उसका तो पता नहीं ।मगर उस सोलह नाबालिगों में से एक लड़का मेरे घर काम करने को भेज दिया।काम वो मेरे घर करता था ,तनख्वाह पिपलोनिया देता था ।इस बंदी में पिपलोनिया के सारे नौकर भागे तो मेरे यहां वाला लड़का भी भाग गया।अब मेरी वाइफ को घर का सारा काम करना पड़ता है ,और वो मेरा काम तमाम करने को आमादा है।अब कौन देगा हमें मुफ्त का नौकर ,हे भगवान ये कहते हुए उसने चौथा पैग नीट पी लिया।ह्वसेम हियर ,कुमार डियर ये करुण स्वर किरणमयी आनंदी मैडम का था।उन्होंने शीशे के गिलास पर सिप करने से शराब के जाम पर इंपोर्टेड लिपस्टिक के निशान दिख रहे थे ।

> “ हे भगवान इन पोल्ट्री की रक्षा करना ।मैं तो एक प्रार्थनासभा भी करूंगी इन बेजुबानों के लिये।हमारी एनजीओ की फेसबुक पेज पर फोटो देखकर ऑस्ट्रेलिया से हमको एक ग्रांट मिली थी । कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगो थी ,उस पर हमने यहां कितनी रैली,सांग,स्लोगन किये थे।

विटामिन डी की कमी से है आपको बड़ा खतरा, घर बैठे ऐसे बढ़ाएं इसका स्तर

विटामिन डी का शरीर को सेहतमंद रखने में बड़ा महत्व है। विटामिन डी मछली, पनीर, अंडे, लिवर ऑयल में पाया जाता है। इसी के साथ विटामिन डी का सबसे बड़ा और मुख्य स्त्रोत सूरज है। रोजाना कुछ समय के लिए धूप में बैठने से भी आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है। यह हड्डियों को मजबूत रखने के साथ-साथ इम्युनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाए रखता है। अब जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तब अपनी इम्युनिटी को स्ट्रांग रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कोरोना के मरीजों को भी विटामिन डी की गोलियां लेने की सलाह दी जाती है। अभी तक आई कई स्टडीज में यह कहा गया है कि विटामिन डी की कमी होने पर कोरोना लगने का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें, विटामिन डी वायरस को रोकने के साथ-साथ शरीर में मौजूद सेल्स की लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।

विटामिन डी की कमी से होते हैं ये नुकसान

भारतीयों में भी बड़ी संख्या में विटमिन डी की कमी पाई गई है। इससे हड्डियां कमजोर होने के साथ-साथ फ्रेक्चर होने का खतरा भी रहता है। इससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर रहती है, कैंसर का खतरा अधिक रहता है और हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे रोगों का खतरा भी बना रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे1. वात्त, पित्त और कफ को संतुलित रखेगा2. तनाव दूर करेगा3.शरीर में ऑक्साजन की मात्रा बढ़ाएगा4. चेहरे पर झुर्रियां और एजिंग कम होंगी5. शरीर में बंद पड़ी नसों को खोलेगा6. कॉन्सटिपेशन/कब्ज दूर करेगा7. अस्थमा/साइनस और सांस से जुड़ी समस्याओं लिए फायदेमंद.

घर पर ही कैसे शरीर में विटामिन डी की कमी को करें पूरा

- सही डाइट और धूप यानी सूरज में रहने से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। कहा जाता है कि शरीर को रोजाना 600 वकविटामिन डी की जरूरत होती है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो इस तरह घर बैठे विटामिन डी की कमी को खत्म करें।
- रोजाना धूप में अपने हाथ, पैरों और चेहरे को 30 मिनट के लिए सूरज की रोशनी दिखाएं। आप ऐसा सुबह 10 से दिन में 3 बजे के बीच में करें। आप अपनी बालकनी या छत पर बैठ कर ऐसा कर सकते हैं।
- अपने डाइट में मछली जैसे - साल्मन , टूना आदि शामिल करें। आप नाश्ते में अंडे की जर्दी, दूध, ऑरेंज जूस, मशरूम सलाद, अनाज को शामिल करें।

ये देसी अचार बढ़ाएंगे आपकी इम्युनिटी, कोरोना से करेंगे बचाव

- अगर आप मछली नहीं खाते तो आप रोजाना एक चम्मच लिवर ऑयल ले सकते हैं। एक चम्मच लिवर ऑयल आपके शरीर की विटामिन डी की रोजाना की जरूरत को 56 प्रतिशत के करीब पूरा कर देता है।
- वेगन लोगों को इसकी कमी होने की आशंका अधिक है। अगर आप वेगन हैं तो सोया दूध, बादाम दूध आदि का विकल्प अपना सकते हैं।
- ध्यान रहे, विटामिन डी को जरूरत से अधिक भी न ले लें। इससे किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो कैल्शियम अवशोषण में मदद करने के साथ -साथ हड्डियों का भी ख्याल रखता है।

इसी के साथ विटामिन डी इम्युनिटी मजबूत करता है और मसल्स भी स्ट्रांग बनाता है। विटामिन डी हमें दो स्त्रोत से मिलता है- पहला सूर्य और दूसरा हमारी डायट। डायट की बात करें तो यह मछली, जैसे कि साल्मन, टूना आदि में मिलती है। यह कुछ मशरूम में भी मिलता है। विटामिन डी हमें फुल क्रीम मिल्क, मक्खन, घी से भी प्राप्त होता है। इसी के साथ सुबह 9 से 2 बजे के बीच में कुछ समय धूप में खड़े होना चाहिए ताकि शरीर को जरूरी विटामिन डी मिल सके।

> “ रोजाना कुछ समय के लिए धूप में बैठने से भी आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है। यह हड्डियों को मजबूत रखने के साथ-साथ इम्युनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाए रखता है। अब जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तब अपनी इम्युनिटी को स्ट्रांग रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कोरोना के मरीजों को भी विटामिन डी की गोलियां लेने की सलाह दी जाती है।

Rohit Kumar (Gagan)

9386475346, 9835055706

Sorry Madam

Men's Wear Shop

Wholesaler & Retailer

Stylish Shirt, T-Shirt,
Jeans, Pant, Sweater,
Track, Suit, Jacket,
Shoe Etc.

KANKARBAGH, LIGH 96, NEAR TEMPO STAND, PATNA-20

FORD HOSPITAL, PATNA

A NABH Certified Multi Super-Speciality Hospital

PATNA

A 105-Bedded Hospital Run by Three Eminent Doctors of Bihar

उत्कृष्ठ एवं अपनत्व की अनुभूति

Dr. Santosh Kr.

Dr. B. B. Bharti

Dr. Arun Kumar

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE

NABH

PRE ACCREDITED

हृदय रोग चिकित्सा के लिए बेहतरीन टीम

Best Promising Multi Speciality Hospital 2018 Bihar.

2nd Multi Speciality NABH Certified Hospital of Bihar

फोर्ड हॉस्पीटल में उपलब्ध सेवाएं

क्लीनिकल सर्विसेस

- कार्डियोलॉजी
- क्रिटीकल केयर
- न्यूरोलॉजी
- स्पाईन सर्जरी
- नेफ्रोलॉजी एवं डायलेसिस
- ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा
- ओब्स एवं गॉबनेकोलौजी
- पेडिएट्रिक्स
- पेडिएट्रिक सर्जरी
- साइचिरेट्री एवं साइकोलॉजी
- रेस्पिरेट्री मेडिसिन
- यूरोलॉजी
- सर्जिकल ऑन्कोलौजी

Empaneelled with CGHS, ECR, CISF, NTPS, Airport Authority, Power Grid & other Leading PSUs, Bank, Corp. & TPS

New Bypass (NH-30) Khemnichak, Ramkrishna Nagar, Patna- 27

Helpline ; 9304851985, 9102698977, 9386392845, Ph.: 9798215884/85/86

E-mail : fordhospital@gmail.com web. : www.fordhospital.org